खण्ड-332, अंक-2
सोमवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1900
(24 अप्रैल, 1978 ई0)

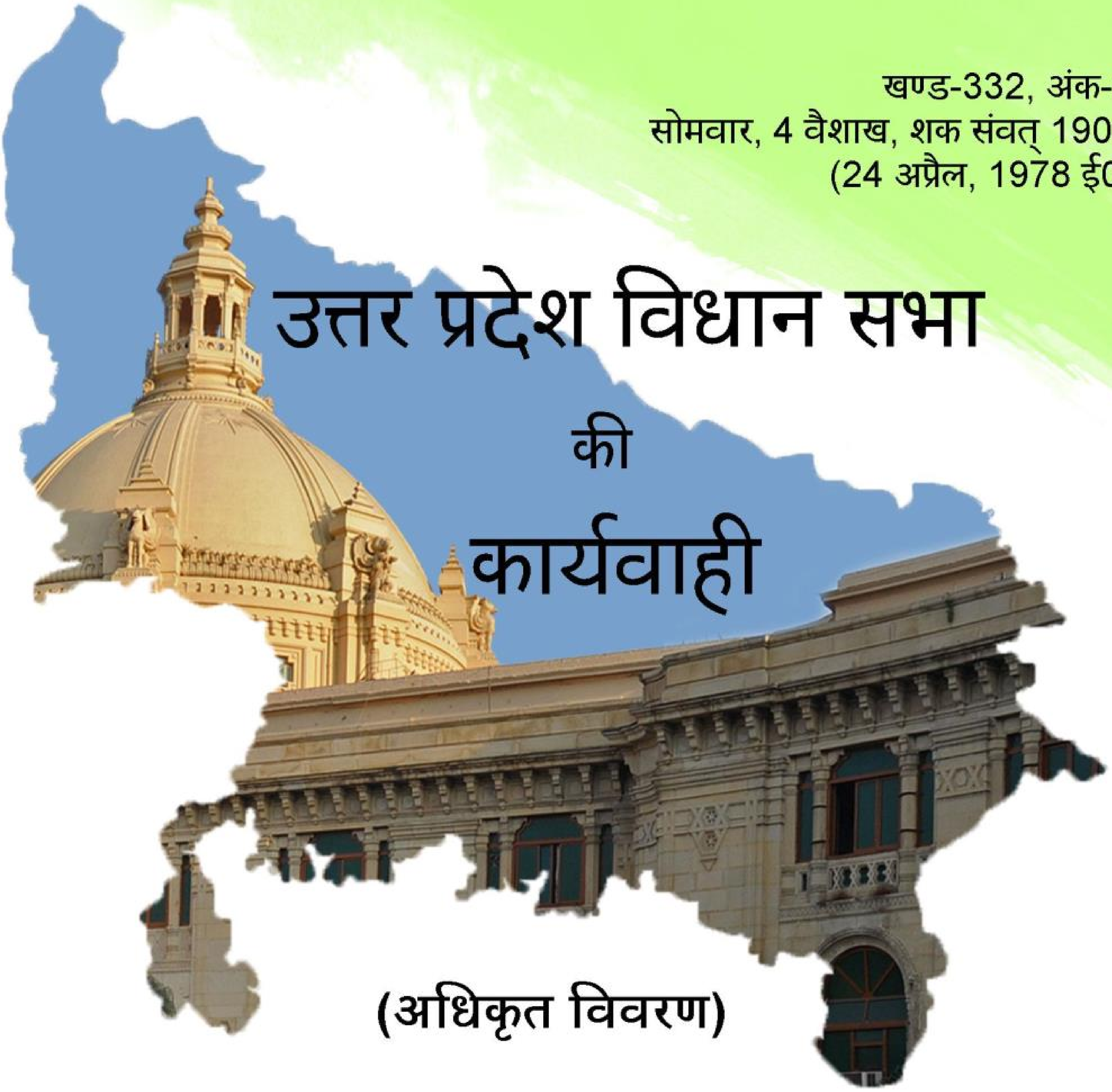

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१६५-१६७
प्रश्नोत्तर	१६८-२०६
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	२०६
आगरा में अम्बेदकर दिवस पर निकाले गए जुलूस पर लाठी चार्ज एवं अश्रुगैस के प्रयोग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	२०६-२०७
मुगलसराय से लखनऊ आने वाली पैसेन्जर गाड़ी के लूटे जाने और जी० आर० पी० के निष्क्रिय रहने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२०७-२०८
तहसील धौरहरा, जिला खीरी के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से फसल को क्षति तथा राहत दिए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२०८-२०९
फर्रुखाबाद जनपद में गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२०९
मुरादाबाद व उसके निकट के जिलों में गेहूं क्रय केन्द्र न खोलने से गेहूं के मूल्य में गिरावट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२०९-२१०
मोहल्ला नीलकण्ठ, वाराणसी में पुलिसकांस्टेबिल, श्री चन्द्रबली यादव को गोली मारकर हत्या तथा एक सब-इंस्पेक्टर व एक सिपाही को घायल किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	२१०
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	२१०-२११
उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२११
उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, १९७८ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	२११
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२११-२१२
श्री अरविन्द कुमार शुक्ल, विधान भवन रक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	२१२-२१३
विविध विषय	२१३
अभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	२१४

विषय	पृष्ठ संख्या
पूर्वगामी सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों से चलाये गए मुकदमों की संख्या और उनकी वापसी के सम्बन्ध म वक्तव्य ..	२१४–२१७
आय–व्ययक की मांगों पर मतदान के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	२१७–२२०
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७७ की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	२२०–२२१
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	२२१–२२४
१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान — अनुदान संख्या ३—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५—निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१—पुलिस, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (जारी)	२२४–२७२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	२७२–२७३
लोक सेवा आयोग द्वारा एक हजार डाक्टरों की सेवाएं स्थायी न किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२७३–२७७
नैनी टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद में मजदूरों द्वारा अतिरिक्त महा–प्रबन्धक का घेराव व पथराव तथा पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	२७८–२८४
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८ (पारित) ..	२८४–३०७
नत्थियां	३०९–३१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में ११ बजकर २ मिनट पर अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २५४

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद महिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर

जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठ 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, श्री
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजीलाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राज कुमार शर्मा, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
रामदत्त जो ी, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी. श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ अप्रैल, १९७८

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

कोरम का अभाव है, यह सब मंत्रियों की जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी कार्य आरम्भ कहां हुआ है ?

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर पर बकाया गन्ना मूल्य

**१—श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत), श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) तथा श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर ने अपने पिराई सीजन वर्ष १९७७–७८ में गन्ना मूल्य का भुगतान कृषकों को अब तक आरम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

बीसलपुर सहकारी चीनी मिल ने पेराई सीजन १९७७–७८ में गन्ना मूल्य का भुगतान करना अभी प्रारम्भ नहीं किया है । गन्ना खरीद अधिनियम के चैप्टर ९ के नियम ४५ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना सहकारी समिति करेगी । इसके साथ ही नोटीफीकेशन सं० ३०९६–एस०, दिनांक १८–५–६१ में यह भी प्राविधान है कि गन्ना कृषकों को गन्ना सहकारी समिति की ओर से गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिल कर सकती है परन्तु यह कार्य चीनी मिल तथा सहकारी समिति के आपसी समझौते पर निर्भर करेगा । इस सम्बन्ध में सहकारी गन्ना समिति ने दिनांक २८–३–७८ को प्रबन्ध कमेटी की बैठक में यह तय किया कि चूंकि गन्ना समिति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए गन्ना मूल्य का भुगतान फिलहाल चीनी मिल ही करें । इस आशय का प्रस्ताव जब चीनी मिल को प्राप्त हुआ, तब चीनी मिल ने दिनांक ३–४ ७८ को अपनी प्रबन्ध समिति की बैठक में यह निर्णय लिया कि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिल वांछित व्यवस्था करेगी । अतः गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही चीनी मिल गन्ना मूल्य का भुगतान करना प्रारम्भ करेगी ।

मान्यवर, इसमें बतलाऊं कि भुगतान कब होगा, तो कल २५ तारीख से भुगतान की व्यवस्था हो गयी है ।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

क्या यह सही है कि चूंकि वर्णित क्षत्र से विधान सभा का प्रतिनिधित्व वहां के जिलाधिकारी की इच्छानुसार नहीं हुआ, इसलिए कृषकों का पेमेन्ट न करके परेशान किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

अब कहा कि २५ तारीख से व्यवस्था हो गयी है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

यह निर्णय २८-३-७८ को लिया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें ३ महीने की देरी क्यों की गयी ? पहले क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका तो उत्तर दिया है कि गन्ना समिति करती है ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह--

पीलीभीत में दो और भी मिलें हैं, जो स्वयं कृषकों को भुगतान करती हैं, तो इस मिल का भुगतान जिलाधिकारी ने क्यों नहीं कराया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

नियमानुसार गन्ना सहकारी समिति ही करती है, जो कानून है, वह गन्ना सहकारी समिति द्वारा ही भुगतान करने का है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

इस मिल पर इस सीजन का कितना रुपया किसानों का बाकी है और इसकी जानकारी सरकार को कब हुई और कब शासन ने निर्णय लिया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह मिल तो नयी चालू हुई है २२ फरवरी से ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

बकाया कितना है और आपको जानकारी कब हुई ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जब इसकी जानकारी माननीय सदस्य ने दी, तभी हुई । मिल की तरफ से रुपया भुगतान के लिए समिति को दे दिया गया था, उन्होंने बैंक में जमा कर दिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इस चीनी मिल पर कितना रुपया बकाया है ? शासन को कब मालूम हुआ ?

श्रीमती चन्द्रावती--

४० लाख रुपये के करीब भुगतान होना है । अब २५ तारीख से भुगतान के लिए निर्णय हो गया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इस ४० लाख के भुगतान में से मिल वालों ने समिति को कितना रुपया अब तक दे दिया है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इस सभी रुपये का भुगतान कल से शुरू हो जायेगा ।

पंचायतों के चुनाव के लिये मतदाता की आयु

**२—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगामी पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु घटाकर १८ वर्ष करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जनता पार्टी की ओर से और जगह अर्थात बिहार, हिमांचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आदि में यह निर्णय ले लिया गया है कि पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाताओं की आयु १८ वर्ष होगी । इसी सदन में भी माननीय स्वशासन मंत्र न भी कहा था कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है, तो आज यह उत्तर कि आधार पर दिया गया है कि "जी नहीं" ।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, यह प्रश्न अभी शासन के सामने आया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा है, विचाराधीन है कि नहीं, आप कहते हैं कि नहीं ।

श्री जमुना प्रसाद—

यह अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, पंचायत के चुनाव के पूर्व शासन इस बात पर निर्णय ले लेगी कि मतदाताओं की आयु २१ साल के बजाय १८ साल होगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह प्रश्न शासन के सामने विचार के लिए रखा जायेगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को एवं सदन की भावना को देखते हुये चुनाव के पूर्व क्या कोई निर्णय सरकार करेगी कि १८ वर्ष की आयु कर दी जाय ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, यह प्रश्न जो है विचार के लिए रखा जायेगा, इस पर विचार होगा ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत के चुनाव कब वह कराने जा रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, यह चुनाव जो है अक्तूबर, नवम्बर तक हो जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, जब इसी सरकार का एक विभाग नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकाय इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार कर रहा है, तो इसी सरकार के दूसरे विभाग द्वारा विचार न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर नगर पालिकाओं में १८ वर्ष करन का विचार है, तो ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं है ?

श्री जमुना प्रसाद--

यह जो प्रश्न है, वह मैंने कहा, माननीय सदस्य को बताया कि यह शासन के सामने विचार के लिए रखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आपने तो कहा कि विचाराधीन ही नहीं है । यहां पर स्वायत्त शासन मंत्री जी ने घोषणा की थी कि १८ वर्ष की आयु करने का प्रश्न विचाराधीन है तो आपके यहां भी यह प्रश्न विचाराधीन है, तो आपको पहला उत्तर संशोधित करना चाहिये ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, अभी विचाराधीन नहीं है । अब यह प्रश्न जो है, रखा जायेगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में यह तारकुन्डे कमेटी की सिफारिश के बारे में उल्लेख है १८ साल की आयु के लोगों को मताधिकार के संबंध में, तो इस बात को जानते हुए माननीय मंत्री जी के विभाग में क्या कोई प्रश्न विचाराधीन है ? यदि है, तो उसके विचार करने के कौन से आधार हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप तर्क उपस्थित कर रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या पंचायतों के चुनाव के पूर्व मतदान आयु २१ वर्ष की जगह १८ वर्ष की घोषणा मंत्री जी करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने मान्यवर, माननीय सदस्य को बताया और फिर बतलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो है, मंत्रि परिषद् के सामने रखा जायेगा ।

बस्ती जिले की भूमि विकास बैंक शाखा, बांसी के अध्यक्ष श्री काशी नाथ त्रिपाठी का चुनाव

**३—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि वर्तमान अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक शाखा, बांसी, जनपद बस्ती अपने वर्तमान निर्वाचन के पूर्व भी लगातार दो कार्य काल तक उपरोक्त शाखा के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली के नियम ४४९ (१) के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमितता को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

भूमि विकास बैंक की शाखा बांसी जनपद बस्ती के शाखा अध्यक्ष, श्री काशी नाथ त्रिपाठी सर्वप्रथम १९७३-७४ में बांसी शाखा से प्रतिनिधि चुने गये। उसके पश्चात् पुनः वर्ष १९७६-७७ में शाखा बांसी से प्रतिनिधि चुने गये। बैंक की सामान्य निकाय के लिए शाखा से निर्वाचित प्रतिनिधि ही शाखा प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष होता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली का नियम ४४९ (१) इस पर लागू नहीं होता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नियम ४४९ (१) अन्य समितियों के संचालक मंडल पर लागू होता है, तो भूमि विकास बैंक की शाखा की जो प्रतिनिधि शाखा प्रबंध समितियां हैं, उन पर भी इस नियम को लागू करने का विचार करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो यह जो शाखा बैंक है, यह कोई सहकारी समिति नहीं है। इसका संचालक मंडल एक ही संस्था है। इनको कुछ डेलीगेटेड पावर दे दिये गये हैं। इसलिए यह नियम लागू नहीं हो सकता और न लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं वहां डेलीगेटेड पावर दिया है, तो ४४९(१) में है की किसी भी सहकारी समिति का संचालक मंडल का सदस्य २ कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता है, तो क्या इसी प्रकार जो शाखा समितियां हैं क्या उन पर भी नियम ४४९ (१) लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विचार नहीं करेंगे।

श्री सुखपाल पान्डेय—

मान्यवर, क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह बांसी लैंड मारगेज बैंक की उप समिति है, वह निर्वाचित होती है या संचालक मंडल द्वारा मनोनीत होती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह प्रतिनिधि होता है और यह प्रतिनिधि आम सदस्यों द्वारा चुना जाता है । यह प्रतिनिधि मेम्बर, मैनेजमेंट का नहीं होता है । अगर मैनजमेंट का मेम्बर होता, तो दो बार रहने का अधिकार नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि प्रतिनिधि पदाधिकारी चुनते हैं या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह प्रतिनिधि चुना गया है और संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव करके उसको पावर दे दिया गया है, यही अध्यक्ष समिति का मान लिया गया । माननीय सदस्य दो बार रहने के संबंध में जानना चाहते हैं, तो यह नियम उन पर लागू नहीं होता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरा कहना है कि अगर वहां का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो नियम ४४९ (१) क्यों नहीं लागू किया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष--

आप तर्क कर रहे हैं । उन्होंने कहा उन्हें अधिकार है । वह नहीं करना चाहते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं, तो प्रश्न के द्वारा आप कैसे बाध्य करेंगे ?

चक गंजरिया फार्म, लखनऊ के मुर्गियां कम होने से मैनेजर, श्री एस० के० श्रीवास्तव तथा निरीक्षक श्री परम हंस पाण्डेय का निलम्बन

**४--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती) तथा श्री रवीन्द्र सिंह--(जिला गोरखपुर)--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को चक गंजरिया फार्म के मौजूदा कुक्कुट निरीक्षक के विरुद्ध लगभग १ लाख रुपए के मुर्गियों की कमी पायी गयी और सभी सम्बन्धित कागजात सील कर दिए गए ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मुख्तार अनीस)--

जी हां । जांच अधिकारी ने सम्बन्धित कागजात फार्म से लेकर उप निदेशक (प्रक्षेत्र) को सौंप दिये हैं । प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रबन्धक, कुक्कुट प्रक्षेत्र तथा कुक्कुट निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है तथा विस्तृत जांच एक उच्चाधिकारियों की समिति द्वारा करायी जा रही है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यसुफ--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फार्म पर वेरीफिकेशन कब-कब हुआ है और किस अधिकारी ने किया है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, दिनांक ६-४-७८ को श्री विश्व देव प्रसाद का एक शिकायती तार माननीय मुख्य मंत्री को मिला था । उस तार के आधार पर जो निदेशक हैं, पशुपालन विभाग के उन्होंने जांच करवायी । जांच में बहुत सी बातें सही

पायीं गयीं जिसके आधार पर जो निदेशक हैं, पशुपालन विभाग के उन्होंने जांच करवायी । जांच में बहुत सी बातें सही पायी गयीं जिसके आधार पर फार्म के मैनेजर एस० के० श्रीवास्तव और कुक्कुट निरीक्षक परम हंस पान्डेय इन लोगों के खिलाफ आरोप पाया गया और निलम्बित कर दिया गया । २०-४-७८ को यह आदेश पारित किया गया और २१ तारीख को वह लोग निलम्बित कर दिये गये हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फार्म की जांच होनी चाहिए थी, हर दो-तीन महीने में उच्च अधिकारियों द्वारा । क्या इससे पहले उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच की है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जब यह सब देखा गया, तो उसके बाद शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है । इसके अन्दर तीन अधिकारी हैं, डिप्टी डेवलेप्मेन्ट आफिसर (फार्म), डी० डी० पोल्टरी और रीलिफ कन्ट्रोल आफिसर पोल्टरी । यह सारे फार्म के मामलात देखेंगे और जांच करेंगे और उसके बाद जब रिपोर्ट आ जायगी, तो उस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जायगी ।

आचार्यधर्म दत्त वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये एक लाख रुपयों की मुर्गियों को कितना समय लगा कम होने में, कुछ जांच से पता लगा है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह जो अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है । तो इन सारी चीजों की अभी सूचना इकट्ठा की जा रही है और जो हमारे पास सूचना आयी है, उस के आधार पर हमने कार्यवाही की है । अब जो कमेटी बनी है यह सारे मामलात की जांच करेगी । उस के बाद हम विस्तार से आप को सूचना दे पायेंगे ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

मुर्गियों की संख्या कितनी है ? एक लाख रुपये की मुर्गियों की संख्या कितनी है और कितने समय में ये मुर्गियां कम हुई हैं ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सात हजार सात सौ पच्चीस मुर्गियों की कमी पायी गयी ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस कुक्कट निरीक्षक के खिलाफ इम्बेजलमेन्ट का कोई मुकदमा कायम किया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ एक एफ० आई० आर० पुलिस स्टेशन, गुसाईगंज में २३-४-७८ को दर्ज की गयी ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रारम्भिक जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और इसके बाद कौन से तथ्य सत्य पाये गये ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो निदेशक पशुपालन ने जांच की थी, उसके आधार पर दो अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया था। शेष सारे मामले की जांच जो तीन आदमियों की कमेटी बनायी गयी है, वह करेगी। इसके अतिरिक्त एफ० आई० आर० भी दर्ज करा दी गयी। सारा मामला इसके अन्दर आ गया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सहकारी गन्ना विकास परिषद्, गोरखपुर के कतिपय ग्रामों के गन्ने की खरीद के सम्बन्ध में परताल

*१—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद्, गोरखपुर के ग्राम ठूठबारी, भरचहवा, सड़कहवा के गन्ना काश्तकारों का गन्ना क्रय करने तथा परताल करने की लिखित शिकायत जुलाई, १९७७, नवम्बर, १९७७, व दिसम्बर, १९७७ में प्रश्नकर्ता द्वारा शासन में की गयी ? यदि हां, तो शासन द्वारा उपरोक्त गांवों का गन्ना न क्रय करने का क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सहकारी गन्ना विकास परिषद्, सिसवा बाजार के क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ठूठबारी, भरचहवा तथा सड़कहवा नहीं आते हैं इसलिए इन ग्रामों की परताल नहीं की गई। अब शिकायती पत्र के आधार पर उपरोक्त ग्रामों की परताल कर ली गई है तथा इन ग्रामों के काश्तकारों का गन्ना नियमित रूप से क्रय किया गया।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि शिकायती पत्र के आधार पर पड़ताल की गयी जबकि चालीस वर्ष पूर्व भी उस एरिया में गन्ना पैदा होता आया है, मिल की वहां स्थापना की गयी है, समिति की गठन हुआ है। चालीस वर्ष पहले उसे समिति के अन्दर लिया गया। अब यह क्यों नियम के अन्दर नहीं आता है ? क्या इसके दरख्वास्त करेंगे या कैसे करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, इससे पहले नौबारी के क्रय केन्द्र से यहां गन्ना जाता था। इसके पहले किसानों की मांग भी नहीं थी और वहां इतना गन्ना भी नहीं था। इसकी परताल भी की गयी थी।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठूठबारी उस क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता। दूसरी बात यह कि गन्ना नहीं था, तो क्रय केन्द्र कैसे चला ? यह स्पष्ट करें कि जो तत्कालीन शासन की नीति थी, वह यह थी कि इसको हम कभी क्षेत्र में न

रखें । वहां का गन्ना हमेशा नेपाल जाता था । जून में यह सरकार बनी । बैंने सरकार को लिखा । नवम्बर में मिल चली तब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । जब जनवरी में लिखा तब कार्यवाही की गयी और वह भी अस्थायी रूप से ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दिया कि पहले इस क्षेत्र में नहीं था । आपका पत्र आने पर कार्यवाही की गयी । पड़ताल कराकर गन्ना खरीदने की व्यवस्था हो रही ह ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन गांवों में हमेशा से किसान गन्ना बोता रहा हैं और यहां समितियां बनी हुई हैं । इस वर्ष गन्ना इसलिए नहीं खरीदा गया कि नेपाल बार्डर के गांव हैं और वहां गन्ना भेजा जा सके, तो ऐसी कोई साठगांठ अधिकारियों की तो नहीं रही ?

श्रीमती चन्द्रावती--

किसानों की तरफ से मांग नहीं की गयी थी जैसा कि मैंने पहले उत्तर दिया ।

फैजाबाद जिले की मसौधा चीनी मिल द्वारा गन्ने की खरीद

*२--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में मसौधा मिल ने वर्ष १९७७-७८ में गन्ने का इण्डेन्ट आधे से भी कम कर दिया है ? अभी तक इस मिल ने गत वर्ष की तुलना में कितना गन्ना किसानों का लिया है ? क्या गन्ना आयुक्त के स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक हैदरगंज एवं शाहगंज में गन्ने का क्रय केन्द्र नहीं खोला गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी नहीं । मसौधा चीनी मिल ने विगत सीजन में ३१-३-७७ तक १६.३७ लाख कुंटल गन्ना खरीदा था तथा इस वर्ष उसी अवधि तक १५.६९ लाख कुंटल गन्ने की खरीद की है । मसौधा चीनी मिल ने हैदरगंज एवं शाहगंज क्रय केन्द्र को न चलाने हेतु उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेंच से रोधनादेश प्राप्त कर लिया ह ।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष १ लाख कुंटल कम गन्ना क्रय केन्द्र से लिया गया, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, इस वर्ष जो गन्ना क्रय किया गया है उसमें यह दिया है कि १५.६९ कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस साल पारसाल की बनिस्बत कम पेरायी क्यों हुयी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

क्रशिंग कम नहीं हुआ है। आफर्ड गन्ना जितना था उसी के अनुपात में यह है।

श्री श्रीराम द्विवेदी—

मैं आपके माध्यम से गन्ना विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद हैदरगंज में गन्ने का क्रय केन्द्र खोला गया और एक तिकोनिया लगा दिया गया। यह हाईकोर्ट का स्टे का आर्डर कब और किस तारीख को प्राप्त हुआ ?

श्रीमती चन्द्रावती—

२३-२-७८ को।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष ७७-७८ से मिल ने आधा इंडेन्ट किया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है। उसका जवाब नहीं में है। उसकी फीगर्स भी उन्होंने दे दी और यह भी बतलाया कि इस साल केवल ३१ मार्च तक ६८ लाख कुंटल गन्ना कम आया।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

प्रश्न में है कि ७७-७८ में आधा इंडेंट किया गया, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, उसमें कहा गया है।

इलाहाबाद, जिला सहायक निबन्धक, सहकारिता एवं सहकारी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

*३—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९७८ के अन्तिम सप्ताह में निबन्धक, सहकारिता से इलाहाबाद जिले के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक २३-२-७८ को निबन्धक, सहकारी समितियों से इलाहाबाद जनपद के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिला सहायक निबन्धक तथा एक सहकारी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं जिनकी जांच की जा रही है।

प्रतिनियुक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का कार्यकाल

*४—श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश की प्रतिनियुक्ति पर आए हुए ५ वर्ष से अधिक समय हो गया है ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या बी-१-२३६०/दस—२०३-६८, दिनांक १२ जनवरी, १९७५ के अनुसार यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ? यदि हां, तो इनको मूल विभाग में वापस न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां । यह शासनादेश इन पर नहीं लागू होता है ।

श्री सन्त बक्श रावत—

जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर में स्वीकार किया है ५ वर्ष से अधिक समय से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में लोग हैं, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और कितनी अवधि से हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल सीमित है, इसलिये यह पैदा नहीं होता ।

श्री सन्त बक्श रावत—

क्या कोई नोटर, ड्राफ्टर तीन वर्ष में वापस कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

यह भी इससे पैदा नहीं होता । केवल मुख्य अभियन्ता के सम्बन्ध में आपका प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जब उस अधिकारी ने ५ वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, तो उस पर इस शासनादेश के लागू न होने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

५ वर्ष में सामान्यतः ट्रान्सफर कर दिया जाता है लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है । शासन चाहे तो उनको रख सकता है । ऐसी कोई चीज उनके खिलाफ नहीं आई कि उनको न रखा जाय ।

[२४ अप्रैल, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आर० टी० ओ० एवं ए० आर० टी० ओ०, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आर० टी० ओ० एवं ए० आर० टी० ओ०, गोरखपुर के विरुद्ध अगस्त, १९७७ से अक्तूबर, १९७७ तक कितनी शिकायतें शासन को मिलीं और क्या प्रश्नकर्ता ने भी कुछ शिकायती-पत्र दिए थे ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

अगस्त, १९७७ से अक्तूबर, १९७७ तक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध कुल पांच शिकायतें प्राप्त हुईं । इन शिकायतों में प्रश्नकर्ता की एक शिकायत दिनांक १०-९-७७ भी शामिल है ।

उपरोक्त शिकायतों में श्री डी० पी० जोशी तत्कालीन संभागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर तथा श्री डी० डी० तिवारी, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात, रिश्वतखोरी तथा चरित्रहीनता आदि के आरोप लगाये गये हैं ।

इन शिकायतों पर विभागीय जांच चल रही है, जिसके दौरान श्री डी० पी० जोशी, आर० टी० ओ० को निलम्बित कर दिया गया है और श्री डी० डी० तिवारी, ए० आर० टी० ओ० को गोरखपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो विभागीय जांच चल रही है, तो उसमें शासन को कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके आधार पर आर० टी० ओ० को निलम्बित किया गया और ए० आर० टी० ओ० को स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री आबिद अली--

अभी वह रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अगर शासन के सामने अन्तरिम रिपोर्ट नहीं है, तो एक ही आरोप में एक अधिकारी को निलम्बित तथा दूसरे को स्थानान्तरित किया गया, ऐसा क्यों ?

श्री आबिद अली--

चार्जेज अलग-अलग हैं । ए० आर० टी० ओ० को ट्रान्सफर किया गया । लेकिन आर० टी० ओ० का जहां तक सम्बन्ध है उसने काफी पैसा टैक्स का माफ कर दिया था, जिसको करने का उसे अख्तियार नहीं था । यह फायनेन्शियल चीज थी, जिसके कारण उसे निलम्बित किया गया । जांच चल रही है । जांच के बाद जैसा नतीजा निकलेगा वैसा किया जायगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

ए० आर० टी० ओ० के खिलाफ क्या-क्या चार्जेज हैं ?

श्री आबिद अली--

मान्यवर, यह आरोप लगाये गये हैं कि श्री तिवारी रिश्वत लेकर बिना परमिट के अनधिकृत रूप से गाड़ियां चलवाते हैं और रिश्वत न देने वालों को गाड़ियों का चालान करके उन्हें बन्द करा देते हैं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस आर० टी० ओ० को निलम्बित किया गया, उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे क्या बिना जांच किये उनको निलम्बित किया गया या जांच की गई ?

श्री अध्यक्ष--

यही प्रश्न श्री सुखपाल पाण्डेय जी का था। उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है। उनके खिलाफ आरोप था कि बिना परमिट के गाड़ियां चलवाते थे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना टैक्स आर० टी० ओ० द्वारा छोड़ा गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आर० टी० ओ० निलम्बित हुए उनके विरुद्ध आरोप-पत्र क्या थे ? क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर उन्होंने दे दिया, आरोप उन्होंने बता दिये।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

वह ए० आर० टी० ओ० के बारे में बताया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आर० टी० ओ० के विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

श्री आबिद अली--

आर० टी० ओ० के विरुद्ध बहुत से चार्जेज हैं। उससे पहला आरोप यह है कि उन्होंने गलत तरीके से टैक्स माफ कर दिया। उसमें मोटर आपरेटर्स एसोसियेशन, गोरखपुर ने कहा है कि श्री जोशी ने कर का लाखों रुपया बिना चेक व चालन की जांच कराये माफ कर दिया। इसी प्रकार श्री रामकरन सिंह ने कहा कि सन् १९७४ से १९७७ तक श्री जोशी ने ८ लाख रुपया कर का माफ कर दिया। श्री सुखपाल जी ने कहा कि श्री जोशी ने १० लाख रुपये कर के माफ कर दिये। श्री ओझा जी ने कहा कि ८ लाख रुपये कर के माफ किया। उसके बाद दूसरा आरोप यह है कि ७ टैम्पोरेरी परमिट दे दिये एक रूट परतावल-महुवाडीह व परतावल-मेहदावल मार्ग पर, जिसम परमानेन्ट परमिट थे टेम्पोरेरी परमिट दे दिये। सभी मार्गों पर गाड़ियों की संख्या कम कर दी और जो शेष रह गये, उनमें मालिकों से एक हजार से चार हजार तक घूस लेकर गाड़ियां चलाई। हमारे सुखपाल पाण्डेय जी ने कहा है कि हाटा से देवरिया मार्ग पर अनधिकृत रूप से ५ गाड़ियां बराबर चलती हैं जिनमें से तीन वर्षों से तीन हजार प्रतिमाह लेकर चलाई जा रही हैं। श्री रामकरन सिंह का आरोप है कि हाटा-देवरिया राष्ट्रीयकृत मार्ग के बीच में रुपये पांच हजार माहवार लेकर तीन बसें चलाई जा रही हैं। ओझा जी ने भी हाटा देवरिया राष्ट्रीयकृत मार्ग पर तीन वर्षों से रुपये २९,००० प्रतिमाह लेकर प्राइवेट बसें चलाई जा रही हैं।

एक आरोप यह भी है कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए तीन सौ जीपें उपलब्ध कराई और एक लाख रुपया कमीशन का बनाया। श्री रामकरन सिंह का आरोप है कि दो सौ जीपें एक सौ रुपये प्रति दिन पर यू० पी० सी० सी० को दिया किन्तु जीप वालों को ९० रुपये के हिसाब से दिया। सुखपाल पाण्डेय जी का आरोप है कि २५० जीपें उपलब्ध कराकर कमीशन के रूप में ७५ हजार रुपया लिया।

श्री अध्यक्ष--

इसमें काफी लम्बे आरोप हैं क्या इसकी कोई जांच हुई कि नहीं हुई ?

श्री आबिद अली--

इस पर जांच हो रही है, उनको निलम्बित कर दिया गया है, जांच होने पर जैसा सही पाया जाएगा, किया जाएगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया किन-किन वर्षों में किस-किस को माफ किया गया था और उसके बाद वार्षिक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी ने उस पर अपनी कोई टिप्पणी दी या नहीं ? दूसरे मंत्री जी ने कहा कि मोटर आपरेटर्स यूनियन ने भी कहा, तो क्या उन्होंने भी अपना टैक्स माफ कराया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली--

अब पैसा तो माफ हुआ . . . ।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि चरित्र पंजिका में प्रविष्टि किसी सक्षम अधिकारी ने इस दौरान की या नहीं की ?

श्री आबिद अली--

इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया---(व्यवधान) यदि नहीं आता है, तो यह निलम्बन गलत है । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अत्यन्त खेद है कि आप प्रश्नों का समय शारदा प्रसाद जी, इस तरह से नष्ट करते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मंत्री जी ने कहा कि भिन्न-भिन्न प्रकार के आरोप आर० टी० ओ० के खिलाफ हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि किस आरोप के आधार पर और किसकी जांच के उपरान्त आपने उनको निलम्बित किया है ?

श्री आबिद अली--

जो टैक्स उन्होंने माफ किया, जो उनके अख्तियार में नहीं था, उसके आधार पर उनको निलम्बित किया गया है और जो अन्य चार्जेज हैं, सब चार्जेज पर जांच हो जाएगी ।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर० टी० ओ०, गोरखपुर जो एक पैरेलेल गवर्नमेंट चला रहा है, इसके खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कहा है कि अभी तो जांच चल रही है, इसलिए नहीं ।

आर० टी० ओ०, श्री डी० पी० जोशी, गोरखपुर के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप

*२--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके गोरखपुर आगमन पर प्रश्नकर्ता ने आर० टी० ओ०, गोरखपुर के विरुद्ध हाटा सिसवां, रोड के प्राइवेट बस मालिकों से १० हजार रुपया प्रतिमाह लेने का आरोप आर० टी० ओ०, (श्री जोशी) के सामने ही लगाया था, जिसका कोई प्रतिवाद आर० टी० ओ० ने नहीं किया ? यदि हां, तो मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किया ?

श्री आबिद अली--

गोरखपुर दौरे के समय माननीय सदस्य श्री ओझा ने शिकायत की थी कि हाटा-सिसवां रोड पर चलने वाली २० बसें हैं और सब की सब इतनी खराब दशा में हैं कि आये-दिन लोगों के कपड़े फटते रहते हैं तथा अशोभनीय घटनाएं घटती हैं परन्तु इन बसों को कोई निरीक्षण तथा चेक करने वाला नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि प्रति बस हजार रुपये प्रतिमास के हिसाब से बस मालिक आर० टी० ओ० कार्यालय को देते हैं जिसके फलस्वरूप यह ऐसी खराब दशा में चल रहीं हैं । इन शिकायतों की जांच परिवहन अयुक्त के माध्यम से कराई जा रही है । इस मार्ग में चलने वाले वाहनों का निरीक्षण २०-९-१९७७, २७-९-१९७७, ८-१०-१९७७, १३-१०-१९७७ तथा २६-१०-१९७७ को कराया गया जिसके फलस्वरूप ५ गाड़ियों के स्वस्थता प्रमाण-पत्र निलम्बित किये गये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

१०/९ को मैंने यह शिकायत किया था, उसके ५-७ दिन बाद जांच शुरू हुई, जिसमें गाड़ियां सस्पेन्ड हुई, तो क्या यह सही है कि वे बीसों गाड़ियां आउट माडेल्ड हैं, रिजेक्टेड हैं, जिनकी सूचना सरकार को नहीं है, उसका प्रमाण यह है कि दिसम्बर महीने में एक गाड़ी ध्वस्त हो जाने के कारण ५ आदमी मर जाते हैं और २३ घायल हो जाते हैं, तो क्या वह इसकी जांच कराकर उन गाड़ियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री आबिद अली--

इनकी जांच में तो केवल ५ ही गाड़ियां ऐसी खराब पाई गई और तो सही हालत में मिलीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सत्य है कि मैंने यह अनुरोध किया था कि जब गाड़ियों की जांच हो तो उसमें मुझे भी अवसर दिया जाय अपनी बात कहने के लिए १ और नम्बर २, जिन गाड़ियों का लाइसेंस निलम्बित हुआ है वह गाड़ियां अब भी चल रही हैं, क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी करवाएंगे ?

श्री आबिद अली--

अगर चल रही हैं, तो जांच करवा लेंगे ?

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है उसकी जांच के लिए परिवहन आयुक्त किस तारीख को गये थे और क्या शिकायत कर्ताओं से सम्पर्क किया था और जांच के समय कितनी गाड़ियों में कमी पायी गयी ?

श्री आबिद अली--

इसके लिए सूचना की जरूरत है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा आपने बताया उपरोक्त आर० टी० ओ० इस कारण से हटाया गया, उसको जिस टैक्स को माफ करने का अधिकार नहीं था उसको माफ किया । दूसरी बात यह है कि जो पांच गाड़ियों का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, माननीय सदस्य का कहना है कि १० हजार रुपया प्रति मास लेता था जिस व्यक्ति ने लाखों रुपया काला धन कमा लिया, उस काले धन को वसूल करने के लिए सरकार सिविल सूट दाखिल करने का विचार करती है या नहीं, केवल निलम्बन काफी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है । काला धन अगर है, तो उसकी कार्यवाही सिविल न्यायालय से नहीं हुआ करती है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ गाड़ियों के बारे में उन्होंने कैंसिल की है, वह किस अधिकारी ने पास किया था, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आबिद अली--

मैं इसको दिखलवा लूंगा ।

सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर के मुख्य अभियन्ता की सेवा समाप्ति

*३--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या गन्ना तथा चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर में जनवरी, १९७७ में वहां के भ्रष्ट मुख्य अभियन्ता को उसकी गम्भीर शिकायतों के कारण सेवा से मुक्त कर दिया गया था ? किन्तु कुछ ही दिनों बाद उसे पुनः सहकारी चीनी मिल, तिलहर में रख लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां ।

सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर के अभियन्ता के सम्बन्ध म मिल सोसायटी से उनके असंतोषजनक कार्य एवं व्यवहार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनकी सेवायें १४ जनवरी, १९७७ को समाप्त कर दी गई थीं । तत्पश्चात

मुख्य अभियन्ता, श्री एन० पी० श्रीवास्तव ने उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध २४ जनवरी १९७७ को प्रत्यावेदन दिया कि उनका कार्य असंतोषजनक अथवा शिथिल होने की कोई सूचना उन्हें कभी नहीं दी गई तथा सेवायें समाप्ति के आदेशों के पूर्व भी कोई मौका सफाई का नहीं दिया गया। जिलाधीश, पीलीभीत एवं अनेक स्थानीय व्यक्तियों से भी यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि श्री श्रीवास्तव को उनके विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में उत्तर देने का मौका दिया जाना चाहिए था। अतः श्री श्रीवास्तव को पुनः सहकारी चीनी मिल, तिलहर में चीफ इंजीनियर के पद पर १०-२-७७ को आदेश द्वारा नई नियुक्ति दे दी गई।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि मिल अभियन्ता महोदय के असंतोषजनक कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में क्या-क्या शिकायतें थीं, जिनको सेवा मुक्त किया गया था ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, उसमें जिलाधीश के द्वारा यह लिखा गया था कि इन का कार्य असंतोषजनक पाया गया है। इसी तरह से उनको कर दिया गया था।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जिला अधिकारी ने लिखा था कि उनका काम असंतोषजनक है। उत्तर में लिखा है--"जिलाधीश, पीलीभीत एवं अनेक स्थानीय व्यक्तियों से भी यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि श्री श्रीवास्तव को उनके विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में उत्तर देने का मौका दिया जाना चाहिए था। उसी जिला अधिकारी ने सेवा मुक्त कराया और उसी जिला अधिकारी ने सिफारिश कर दिया, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, जिलाधीश ने पहले ऐसा लिखा था। शासन को उसके बाद प्रत्यावेदन मिला, और यह बात सही पायी गयी कि यह चीज गलत है, उनके साथ अन्याय किया गया था इस लिए फ्रेश नियुक्ति करके किया गया।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

माननीय मन्त्री जी से यह मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच चल रही थी, उसको क्यों रद्द कर दिया गया, क्या उसको पुनः आरम्भ करायेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिलाधीश के अतिरिक्त और कौन-कौन अन्य व्यक्ति थे, उनके नाम बताने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

अन्य व्यक्ति वहां के लोकल आदमी थे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आपका सवाल स्पष्ट है कि जिलाधिकारी थे और अन्य व्यक्ति थे । आखिर कौन-कौन अन्य व्यक्ति थे । अगर हो, तो बतला दें ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसको आप मान्यवर, स्थगित कर दें । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसी से राज खुलने वाला है, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दिलवायें या इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

जब आपके दस्तखत से लिखा गया है कि अन्य व्यक्ति थे, तो यह स्वाभाविक है कि कौन-कौन से अन्य व्यक्ति थे । इसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है । आपकी पत्रावली में होगा, बतला दें कि कौन व्यक्ति थे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना की आवश्यकता है । अगर यह कहा जाये कि मशविरे की आवश्यकता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगी कि मुख्य अभियन्ता के खिलाफ क्या गम्भीर आरोप थे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, निश्चित रूप से गम्भीर आरोप नहीं थे । डी० एम० की ओर से लिखा गया था ।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप अपने प्रश्नों को दिया करें । हर प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न न पूछा करें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

एक प्रश्न की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

खादों के मूल्य में कमी करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार को लिखा गया कथित पत्र

*४--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक किस्म की खादों (फर्टीलाइजर) के दाम में कमी करने हेतु सरकार ने भारत सरकार को कोई पत्र लिखा है या परामर्श दिया गया है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

इस आशय का कोई पत्र भारत सरकार को नहीं लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पन्तनगर के आर० आर० २१ के बीज की कीमत

*५--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि पन्तनगर के आर० आर० २१ किस्म के बीज की कीमत पिछले वर्ष दो रुपया दस पैसा किलो थी और इस वर्ष दो रुपया पचहत्तर पैसा किलो में बेचा जा रहा है और इसी प्रकार दूसरे किस्मों के बीजों का भी भाव पिछले वर्ष के मुकाबले में २५ फीसदी से ३० फीसदी ज्यादे लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय पशुपालन तथा कृषि क्षेत्र, हस्तिनापुर, मेरठ के फार्म मैनेजर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*६--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशुपालन तथा कृषि क्षेत्र, हस्तिनापुर, मेरठ के फार्म मैनेजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच १९७४-७५ में सतर्कता आयोग द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें वह दोषी पाए गए और कौन-कौन से दोष सिद्ध हुए और उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

जी हां । फार्म मैनेजर के विरुद्ध निम्नलिखित दोष सिद्ध हुये :—

(१) वर्ष १९७३–७४ में ६ क्विन्टल, ९ किलोग्राम एवं ९०० ग्राम मटर तथा २१ क्विन्टल गेहूं का गबन किया ।

(२) अपनी निजी कोठी पर बढ़ई का काम फार्म लेबर से लिया और फार्म के दो शीशम के पेड़ कटवाकर उनकी लकड़ी अपने निजी निवास स्थान में प्रयोग में लाये ।

(३) बिना शासन की पूर्व अनुमति के अचल सम्पत्ति क्रय की ।

(४) अपने सगे चचेरे भाई की फार्म में कानिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति बिना ज्येष्ठ अधिकारी की सहमति प्राप्त किय कर दी ।

दो संख्या (१) एवं (२) में फार्म के स्टोर कीपर तथा कल्टीवेशन इंचार्ज भी दोषी पाये गये । इन सबके विरुद्ध दन्ड देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी यह बताने का कष्ट करगे कि विचाराधीन कार्यवाही कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

शीघ्र पूरी हो जावेगी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

इस सम्बन्ध में जो पत्रावली २ फरवरी, १९७८ को आपके पास आयी थी, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वही तो विचाराधीन है, यही मैंने उत्तर दिया है ।

जिला परिषद्, फैजाबाद की सड़कों को पक्का करने संबंधी पत्र

*७—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिला परिषद् की सड़कों को पक्की करवाने अथवा उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक १२ दिसम्बर, १९७७ का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां ।

जिला परिषद्, फैजाबाद से सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी विधान सभा का सत्र समाप्त होने के पूर्व ही सूचना एकत्र करके सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां ।

फैजाबाद, अकबरपुर सहकारी चीनी मिल को चालू किये जाने की मांग

*८—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर सहकारी चीनी मिल को शीघ्र चालू कराने और अकबरपुर तहसील के विभिन्न स्थानों पर मसोधा चीनी मिल और शाहगंज चीनी मिल से कांटे लगवाने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक १२ दिसम्बर, १९७७ का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां । पत्र दिनांक १२-१२-७७ प्राप्त हुआ है । इस पत्र में उठाये गये विविध मामलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि सूचना एकत्रित करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

एक हफ्ते का समय लग जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यह २० दिसम्बर, १९७७ का प्रश्न है और अब चीनी मिलें भी बन्द होने वाली हैं, तो अब ४ महीने में भी वांछित सूचना नहीं ली जा सकी, तो क्या स्थिति होगी ?

(मंत्री जी उत्तर के लिये खड़ी नहीं हुईं ।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, यह २० दिसम्बर, १९७७ का प्रश्न है लेकिन आपके आदेश हो जाने के बावजूद भी मंत्री लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते । आप कृपया इस पर कोई नियम बना पावेंगे या नहीं ? हम तो आपके आदेशों का आदर करते हैं लेकिन ये परवाह नहीं करते हैं । आपका इन पर अंकुश होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तक कोई नियम नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर का जो सहकारी चीनी मिल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे फैजाबाद जिले से हटाकर किसी और दूसरे जिले में लगाने का निश्चय किया है, यदि नहीं, तो क्या ये इस बात का आश्वासन देंगी कि इस चीनी मिल को शीघ्र ही चालू करा देंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसको चालू कराने के लिए तो आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इसमें अभी कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या आप इस फैक्टरी को अकबरपुर से तो नहीं हटा रही हैं ?

(मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि अकबरपुर से चीनी मिल को हटाने के लिए पिछले साल और इस साल भी अन्य जिलों के विधायकों ने दरख्वास्त दी है ? रत्ना शुगर फैक्टरी उनके पास मौजूद है और इसको हमारे जिले के निरोरी में लगाने की अपने परमीशन दी है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि क्या अकबरपुर से इस चीनी मिल को हटाया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

अभी इसमें विवादग्रस्त प्रश्न है। यह प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं है।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जब अकबरपुर सहकारी चीनी मिल की बात चल रही थी, तो सबसे पहले फैजाबाद जिले के जहांगीरागंज के ग्राम निरोरी की स्वीकृति दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं उत्पन्न होता है।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि खदरपुर में एक सहकारी चीनी मिल लगायी जा रही है ? यदि हां, तो वह कबतक लग जायेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मैंने कहा कि अभी इस पर विचार नहीं किया गया।

राज्य भंडारागार निगम के पीलीभीत केन्द्र में उर्वरक एवं गेहूं का गबन

*९--श्री पुरुषोत्तम कौसिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पीलीभीत स्थित उत्तर प्रदेश गोदाम निगम के गोदाम से छः हजार आठ सौ पच्चीस बोरा उर्वरक जिसका मूल्य, लगभग सात

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

लाख रुपए हैं तथा २५ हजार रुपये मूल्य का १७८ बोरा गेहूं गायब हो गया है जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी, पीलीभीत ने अपने प्रेस वक्तव्य में की है ? यदि हां, तो उक्त घोटाले की जांच वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारियों से कराई जायगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के अधिकारियों द्वारा पीलीभीत केन्द्र की जांच के समय ६८८५ बोरे उर्वरक (मूल्य लगभग ६,५३,६०१ रुपया) तथा १७८ बोरे गेहूं (मूल्य लगभग २३,७०० रुपया) की कमी स्टाक में पाई गई। उक्त दोनों मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ८ नवम्बर, १९७७ तथा दिनांक २० दिसम्बर, १९७७ को थाना कोतवाली पीलीभीत में दर्ज करा दी गई है।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच करने पर विचार किया जा रहा है।

गन्ना विकास परिषद् के कर्मचारियों की सेवा नियमावली एवं पेंशन तथा ग्रेच्युटी

*१०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गन्ना विकास मंत्री को यह भी जानकारी है कि गन्ना विकास परिषद् के वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति, राजकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम लागू किए जा रहे हैं किन्तु उन्हें राजकीय कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं से वंचित रखा गया है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

गन्ना विकास परिषदों के स्वायत्तशासी संस्थायें होने के कारण शासन की सामान्य नीति के अनुसार इन परिषद्-भोगी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति में राजकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवा नियम लागू हैं किन्तु परिषदों की अनिश्चित एवं सीमित आय के कारण सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी देना सम्भव नहीं है ? फिर भी इन परिषद्भोगी कर्मचारियों को ८ प्रतिशत कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फन्ड की सुविधा उपलब्ध है।

मूंगफली के उन्नतिशील बीज का वितरण

*११--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में मूंगफली की किस्म में निरन्तर हो रही गिरावट के कारण किसान की क्षति को बचाने के लिए वह खाद्यान्नों के बीजों की भांति मूंगफली का उन्नत बीज शासकीय एजेन्सियों के माध्यम से किसानों में वितरित कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

कृषि विभाग द्वारा कृषकों को मूंगफली का उन्नतिशील बीज वितरित किया जाता है तथा वर्ष १९७८-७९ में भी वितरित किया जायेगा।

लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा गोरखपुर में दिया गया ऋण एवं अनुदान

*१२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत किसानों को सीमान्त लघु कृषक परियोजना के माध्यम से प्राप्त ऋण व अनुदान के द्वारा चारा

श्री रवीन्द्र सिंह--

मशीन डनलप, थ्रेसर, पंपिंग सेट खरीदने के लिए किसी निश्चित कम्पनी, फर्म दुकान अथवा कम्पनियों फर्मों दूकानों का नाम निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि पिपरोली ब्लाक में परियोजना अधिकारी के आदेश से मुगले-आजम फर्म का चैफकटर खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्रश्नगत वस्तुओं की खरीददारी के लिए प्रदेश शासन द्वारा कोई निश्चित कम्पनी, फर्म या दूकान निर्धारित नहीं की गई है । सम्बन्धित लघु कृषक विकास अभिकरण भारत सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय परिस्थितियों के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृत फर्मों तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से खरीदे गये यंत्रों पर अनुदान दे सकते हैं ।

जी नहीं । पिपरोली ब्लाक, जिला गोरखपुर में किसी भी किसान को मुगले-आजम ब्राण्ड के चैप-कटर खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है ।

जिला परिषद्, खीरी का मण्डलायुक्त द्वारा जांच

*१३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मार्च, १९७५ में प्राप्त जिला परिषद् खीरी के भ्रष्टाचार विषयक शिकायत की जांच मण्डलायुक्त, लखनऊ को सुपुर्द की थी ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां । मण्डलायुक्त को दिनांक ७ अप्रैल, १९७५ को जांच हेतु लिखा गया था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मामले को जटिल बताते हुए गुप्तचर विभाग से जांच कराने की शिफारिश की जिसे शासन ने स्वीकार नहीं किया और मण्डलायुक्त को पुनः आदेश ११ अक्तूबर, १९७७ को दिये गए हैं कि वे अपने स्तर से विभागीय जांच करावें । उनकी जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

भूमि विकास बैंक में सहायक शाखा अंकित के पदों पर सीजनल नियुक्ति में लगे व्यक्ति

*१४--श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६, १९७६-७७ तक विभिन्न शाखाओं पर सहायक शाखा अंकित के पदों पर सीजनल नियुक्ति पर कितने लोग कार्यरत थे और उनके नाम तथा पूरा पता का एक सूची तैयार कराकर मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मुरादाबाद जिले मे डनलप बैलगाड़ियों के मूल्य में वृद्धि

*१५--श्री रमाशंकर कौशिक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि मुरादाबाद में यू० पी० स्टेट द्वारा निर्मित डनलप बैलगाड़ियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जब कि डनलप और अन्य डी० वी० टायर यू० पी० एग्रो तथा कम्पनियों द्वारा उक्त टायर कन्ट्रोल रेट पर दिए जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो हां, दामों में माह दिसम्बर, १९७७ से वृद्धि हुई है, इनके मुख्य कारण हैं, डनलप कम्पनी द्वारा ए० डी० वी० सेट के दामों में वृद्धि, मोदी कम्पनी द्वारा टायर के दामों में वृद्धि, बैलगाड़ियों में प्रयोग होने वाले सामान तथा नमूने में सुधार । टायर कम्पनियों से टायर कन्ट्रोल रेट पर एग्रो को मिलते हैं ।

*१६--श्री हरि केवल प्रसाद--

[१० अप्रैल, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत उत्तरित]

राज्य परिवहन संघ के श्री सुधीन्द्र शुक्ल का कथित राज्य सड़क परिवहन निगम के विरुद्ध आरोप

*१७--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या मुख्य मन्त्री को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संघ के पदाधिकारी श्री सुधीन्द्र शुक्ल का कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 50 करोड़ रुपए से भी अधिक के घोटाले के गम्भीर आरोप सप्रमाण लगाए गए हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री जी उन आरोपों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली--

जी नहीं । ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

जिला परिषद्, एवं स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाताओं की आयु

*१८--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह स्थानीय निकाय, जिला परिषद् व ग्राम सभा के चुनाव में मतदान की आयु घटाकर १८ वर्ष करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

लखीमपुर खीरी की सहकारी समिति, संपूर्णनगर व कबीरगंज द्वारा सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु काटी गयी धनराशि और संसद सदस्यों का पत्र

*१९—श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगी कि जनपद लखीमपुरखीरी के अन्तर्गत सम्पूर्णनगर म सहकारी समिति, पलिया, विकास खंड सम्पूर्णनगर जनता सहकारी समिति, कबीरगंज आदि समितियों से कटौती कर सन् १९७५ से लगभग अब तक ३५ लाख रुपये एकत्र कर लिया है और सहकारी गन्ना मिल खोलने की शासन से मांग कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि शासन ने वर्ष १९७६–७७, १९७७–७८ में केन्द्र सरकार से सहकारी मिल खोलने हेतु लाइसेन्स देने की सिफारिश की है किन्तु अब तक मिल न खुलने से लगभग २५ लाख कुन्तल गन्ने की फसल के लिए संकट पैदा हो गया है, जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है ? यदि हां, तो जनहित में उपरोक्त गन्ना कृषकों से अन्य मिलों में गन्ना खपाए जाने का तथा सहकारी चीनी मिल चालू करने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत संपूणनगर में सहकारी समिति संपूर्णनगर व सहकारी समिति कबीरगंज के माध्यम से गन्ना मूल्य आदि से कटौती करके सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु लगभग ३४ लाख रुपया जमा किए गए हैं । प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से संपूर्णनगर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेन्स देने की संस्तुति की गई है, जिसपर केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

संपूर्णनगर की प्रस्तावित मिल क्षेत्र का गन्ना इस समय गोला व पलिया चीनी मिलों को पूर्ति किया जा रहा है । ये दोनों चीनी मिलें अभी चल रही हैं । इस वर्ष गन्ने की बहुलयता है, तथापि शासन द्वारा उचित क्षेत्र के गन्ने की खपत की दिशा में भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

*२०—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त सम्पूर्ण नगर के कृषकों को राहत देने के लिए दिनांक २८ दिसम्बर, १९७७ को छः संसद सदस्यों ने कोई आवेदन-पत्र दिया है ? यदि, हां तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रदेश शासन को छः माननीय संसद सदस्यों का पत्र दिनांक २८–९–१९७७ (दिनांक २८–१२–१९७७ नहीं) प्राप्त हुआ है, जो कृषि मंत्री भारत सरकार को संबोधित है, जिसमें संपूर्णनगर में सहकारी मिल के लाइसेन्स देने की मांग की गई है जिस के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही भारत सरकार को संस्तुति भेंजी जा चुकी है ।

*२१—श्री राम आसरे वर्मा—

[१०–४–७८ को तारांकित प्रश्न संख्या १६ द्वारा उत्तरित]

*२२—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*२३—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*२४—श्री बनारसी दास चांदना—

[७वें सोमवार के लिए स्थगित]

*२५—श्री राम दत्त जोशी—

[१८-४-७८ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

बस्ती की तहसील खलीलाबाद में चारा काटने की मशीन का मूल्य

*२६—श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के खलीलाबाद तहसील में लघु सीमान्त कृषक परियोजना के अन्तर्गत उक्त संघ द्वारा चफ कटर (चारा काटने वाली मशीन) का मूल्य कृषकों से बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक लेकर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*२७—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[७वें सोमवार के लिए स्थगित]

पर्यटक अधिकारियों की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति और स्थानान्तरण भत्ते का भुगतान

*२८—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ सितम्बर, १९७७ से २८ फरवरी, १९७८ के मध्य प्रदेश के कितने पर्यटक अधिकारियों को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी ? उनके नाम क्या हैं और पदोन्नति का आधार क्या है ?

श्री आबिद अली—

१ सितम्बर, १९७७ से २८ फरवरी, १९७८ की अवधि में चार पर्यटक अधिकारियों को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति दी गयी । उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

(१) श्री राम कृपाल यादव

(२) श्री राजेन्द्र प्रसाद

(३) श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह

(४) श्री किशन वीर

पदोन्नति लोक सेवा आयोग से अनुमोदित उन पर्यटक अधिकारियों में से वरीयता के आधार पर की गयी जिन्होंने विभाग में ६ महीने की सेवा पूर्ण कर ली थी।

*२९—हरीराम वर्मा—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उक्त प्रश्न संख्या १ सन्दर्भ में पदोन्नत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों में से प्रत्येक वर्ग को पदोन्नति की तिथि तथा आज दिनांक २२ मार्च, १९७८ के मध्य कहां से कहां तथा किस आधार पर स्थानान्तरित किया गया ? क्या यह भी सही है कुछ ऐसे अधिकारियों को एक स्थान पर भेजने के बाद पुनः कुछ ही दिनों में पुराने स्थान पर वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्हें यात्रा भत्ता दिया गया या नहीं ? यदि दिया गया, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

प्रत्येक की पदोन्नति की तिथि इस प्रकार :

(१) श्री राम कृपाल यादव .. २१-११-१९७७ ।

(२) श्री राजेन्द्र प्रसाद २८-११-१९७७ ।

(३) श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह २४-११-१९७७ (अपराह्न)

(४) श्री किशन वीर १-१२-१९७७ ।

पदोन्नति की तिथि से श्री राम कृपाल यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्री किशन वीर को क्रमशः गोरखपुर, गाजियाबाद व पौड़ी में तैनात किया गया । केवल श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने पदोन्नति के उपरान्त झांसी में तैनात किया गया था, को प्रशासनिक आधार पर झांसी से इलाहाबाद तथा पुनः इलाहाबाद से झांसी स्थानान्तरित किया गया । उन्हें अभी तक एक तरफ का यात्रा भत्ता दिया जा चुका है ।

*३०—श्री दीना नाथ सेवक तथा श्री सन्त बख्श रावत—

[७वें सोमवार के लिए स्थगित]

*३१—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[७वें सोमवार के लिए स्थगित]

हरदोई के विकास क्षेत्र, भरावन के बी० डी० ओ० के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३२—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को दिनांक २८ दिसम्बर, १९७७ एवं १४ फरवरी, १९७८ को बी० डी० ओ०, विकास क्षेत्र भरावन, जनपद हरदोई के विरुद्ध उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के शिकायती-पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो क्या जांच करा कर उन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये खण्डसारी निरीक्षकों की नियुक्ति

*३३—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९७७ में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा खंडसारी निरीक्षकों की सूची प्रसारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां । लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट वर्ष में चुने गये खन्डसारी निरीक्षकों की नियुक्ति के आदेश आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् जारी कर दिये गये हैं ।

कोआपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब लि०, लखनऊ की अवक्रान्त प्रबन्ध कमेटी

*३४—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह (जिला आगरा) तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द कोआपरेटिव फ्लाइंग क्लब का बोर्ड आफ डायरेक्टर निलम्बित है ? यदि हां, तो कब से और किस नियम के अधीन वह निलम्बित हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कोआपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब लि०, लखनऊ का बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स अब निलम्बित नहीं है अवक्रान्त है । निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक ७—८—१९७६ द्वारा क्लब की प्रबन्ध कमेटी को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ३५ (१) के अन्तर्गत अवक्रान्त किया गया ।

*३५—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री दया राम भास्कर—

[७वें सोमवार के लिए स्थगित]

ग्राम शम्भूखेड़ा, जिला उन्नाव में सड़क निर्माण की मांग

*३६—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम शम्भूखेड़ा (जिसमें केवल हरिजन ही रहते हैं) पोस्ट मिरकिला, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में आवागमन का रास्ता अत्यन्त खराब हालत में है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इन हरिजनों को सवारी आदि लाने ले जाने के लिए सड़क बनवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद्, उन्नाव से सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा, बटेश्वर में पर्यटन स्थल बनाने की मांग

*३७—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह तथा श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद में प्राचीन मंदिरों एवं भारत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेले के लिए यमुना किनारे स्थल स्थित प्राकृतिक दृश्यों से पूर्ण रमणीक स्थान बटेश्वर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आबिद अली—

शासन द्वारा किसी स्थल विशेष को औपचारिक रूप से पर्यटन स्थल "घोषित" नहीं किया जाता है। समय-समय पर वित्तीय साधनों को देखते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग योजनायें बनाता है।

अतारांकित प्रश्न

सहकारी गन्ना विकास समितियां, फैजाबाद के डाइरेक्टरों का चुनाव तथा गन्नों की पर्चियों का वितरण

१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सहकारी गन्ना विकास समितियों के डाइरेक्टर का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, जिससे गन्ने की पर्चियों के वितरण में बड़ी धांधली हो रही है? क्या यह भी सही है कि छः ट्रक गन्ना दूसरे किसानों के नाम पर दूसरे जिले के आदमी ने बेच लिया है, जिसके कागजात ए० डी० एम०, सदर ने सील कर दिए हैं? यदि हां, तो इन समितियों के चुनाव कब तक करा दिए जायेंगे और उक्त सभी मामलों में दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रावती—

इस जनपद में स्थित दो सहकारी गन्ना विकास समितियों मसौधा तथा फैजाबाद के डाइरेक्टरों का चुनाव अभी तक डेलीगेटों के चुनावों में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण नहीं सम्पन्न हो सका है। यह विवाद अब समाप्त हो गया है तथा चुनाव निकट भविष्य में सम्पन्न कराने की व्यवस्था की जा रही है। इन चुनावों के न होने से गन्ने की पर्चियों के वितरण में कोई धांधली की सूचना नहीं है और कृषकों को नियमानुसार पर्चियां दी जा रही हैं।

कथित ६ ट्रकों की पर्चियां जिन कृषकों के नाम जारी की गयीं है, गन्ना उन्हीं के नाम से तौला गया है किन्तु कुछ कृषकों के शिकायत करने पर जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा जांच करने के लिए आदेश देने पर एस० डी० एम० फैजाबाद ने समस्त सम्बन्धित अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में लेकर सील कर लिया है तथा वे जांच कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक पर्ची लिपिक को अनियमितता करने की आशंका में निलम्बित कर दिया गया है। जांच पूरी हो जाने पर ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

२—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

किच्छा, चीनी मिल द्वारा मेसर्स अम्बे ट्रेडिंग कारपोरेशन, बरेली को बेची गयी बंगास

३—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अधीनस्थ बाजपुर शुगर मिल, किच्छा ने वर्ष 1973-74 में एक लाख क्विंटल बंगास (बोइया) मेसर्स अम्बे ट्रेडिंग कम्पनी, बरेली को रु० 2.25 पैसे प्रति क्विंटल की दर से बेची है, जो पुनः यू० पी० स्टेट कारपोरेशन, मुहीउद्दीनपुर एवं सकोती, टांडा ने रुपया 13.25 पैसे प्रति क्विंटल की दर से उसी वर्ष खरीदी है? यदि हां, तो दरों की भिन्नता का कारण क्या है?

श्रीमती चन्द्रावती--

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1973-74 में किच्छा चीनी मिल नें मेसर्स अम्बे ट्रेडिंग कारपोरेशन बरेली को कोई बैगास नहीं बेचा। बाजपुर सहकारी चीनी मिल ने उक्त फर्म को वर्ष 1973-74 में 5558.75 टन बैगास रु० 2.40 पैसे प्रति कुन्तल की दर से बेचा। यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन के मोहीउद्दीनपुर एवं सखौती टांडा यूनिटों ने 1973-74 में अम्बे ट्रेडिंग कारपोरेशन, बरेली से बैगास नहीं खरीदा।

4--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[10-4-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 20 द्वारा उत्तरित]

फर्रुखाबाद-कायमगंज मार्ग का राष्ट्रीयकरण

५--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद कायमगंज मार्ग सन् १९६२ में ६८-सी नियम के अन्तर्गत घोषित हुआ था? यदि हां, तो अभी तक १५ वर्ष बीतने पर भी ६८-डी में घोषित न होने के क्या कारण हैं?

श्री आबिद अली--

फर्रुखाबाद--कायमगंज मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना की अन्तिम विज्ञप्ति मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६८-डी (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ दिसम्बर, १९७७ को जारी की जा चुकी है।

अधीनस्थ गन्ना सेवक वर्ग एक के कर्मचारियों की राजपत्रित श्रेणी दो में पदोन्नति

६--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष १९७५ के सितम्बर, अक्तूबर में जब अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग एक से राजपत्रित श्रेणी दो के अधिकारियों के पद पर पदोन्नति की गयी थी तो इस पदोन्नति के क्या नियम बनाए गए थे?

श्रीमती चन्द्रावती--

वर्ष १९७५ के माह सितम्बर, अक्तूबर में अधीनस्थ गन्नासेवा वर्ग एक से राजपत्रित श्रेणी दो में पदोन्नतियां तदर्थ रूप से सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की गयीं थीं।

७--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष १९७७ के फरवरी में पुनः अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग एक से श्रेणी दो में ८-१० पदोन्नतियां की गयी थीं तो इस पदोन्नति का क्या आधार बनाया गया था?

श्रीमती चन्द्रावती--

वर्ष १९७७ के माह फरवरी में भी अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग एक से श्रेणी दो में पदोन्नतियां तदर्थ रूप से सामान्य नियमों के अन्तर्गत 'अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये ज्येष्ठता' के आधार पर की गयी थीं?

८--श्री मित्रसेन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जौनपुर के दुग्धशाला भवन के निर्माता श्री गुलाब सिंह ठेकेदार के बिल का भुगतान

९—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मन्त्री एवं पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्धशाला भवन जौनपुर का भवन गुलाब सिंह ठेकेदार ने २५ जून, १९७७ को ही बना दिया है और उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया ? क्या प्रश्नकर्ता ने उक्त ठेकेदार के प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ तारीख २६ अगस्त, १९७७ को माननीय मन्त्री जी को दिया था कि भुगतान कर दिया जाय ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न करने का कारण क्या है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

दुग्धशाला भवन का निर्माण कार्य श्री गुलाब सिंह द्वारा २५ जून, १९७७ को पूर्ण नहीं किया गया है । कुछ कार्य अभी होना शेष है तथा जो कार्य हुआ है वह असंतोषप्रद है । संदर्भित पत्र दुग्ध संघ जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया । श्री गुलाब सिंह ठेकेदार का अन्तिम बिल भुगतान हेतु संघ में २९-३-७८ को प्राप्त हुआ जो संघ के विचाराधीन है ।

१०—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला परिषद्, हमीरपुर के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

११—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि ११ अगस्त, १९७७ के पश्चात् जिला परिषद्, हमीरपुर के अन्तर्गत वर्षों से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कई कर्मचारियों को बिना कारण बर्खास्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की पूरी संख्या क्या है और उनकी सेवायें समाप्त करने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद्, हमीरपुर के दो तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जो दिनांक १-१०-७५ एवं १-७-७६ को अस्थाई रूप से करसमाहर्ता के पद पर नियुक्त किए गए थे, की सेवाएं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परिषद् की देयों की वसूली का कार्य सम्पादित न करने के कारण दिनांक ८-९-७७ को एक माह की नोटिस देकर समाप्त की गई ।

चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं ।

फैजाबाद जिले में गन्ना क्रय केन्द्रों के कांटों की जांच

१२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों पर लगाये गये कई कांटों की चेकिंग में भारी गड़बड़ी पाई गई है और उन पर गन्ने की वास्तविक तौल से काफी कम मात्रा दिखाई जाती है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जनपद फैजाबाद से मोतीनगर चीनी मिल, फैजाबाद तथा शाहगंज चीनी मिल, जौनपुर गन्ना क्रय करती हैं ।

फैजाबाद जनपद में शाहगंज चीनी मिल (जौनपुर) द्वारा संचालित क्रय केन्द्र जाफरगंज, कटेहरी, अकबरपुर, महरुवा तथा मोतीनगर चीनी मिल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र पैराताजपुर है । जिनकी जांच की गई । जांच में पाई गई त्रुटियां एवं कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न तालिका में दर्शाई गई हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०९ पर ।)

चमोली जिले के सहायक विकास अधिकारी, श्री केशवानन्द मिश्र की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

१३—श्री पूरन चन्द्र (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशवानन्द मिश्रा, सेवा मुक्त सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खंड मिलंगाना, हाल ग्राम काट-कल्याणी, पो० आ० देवाल, जिला चमोली को आपातकाल के दौरान २७ वर्ष की सरकारी सेवा और ५३ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्ति कर दिया गया, क्या यह भी सही है कि सेवा निवृत्ति २ वर्ष ४ माह बीत जाने के बाद भी उनको ग्रेच्युटी, पेन्शन आदि का भुगतान अब तक नहीं किया गया, यदि हां, तो क्यों ? सरकार आपातकाल के दौरान किए गए अन्याय को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पुनः सेवा में लिए जाने के आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री केशवानन्द मिश्रा, भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को २६-९-१९७५ को अनिवार्य सेवा निवृत किया गया था । उनको अनन्तिम पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है तथा अन्तिम (फाइनल) पेन्शन एवं अवशेष ग्रेच्युटी मुक्त करने हेतु पेन्शन प्रपत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजे जा चुके हैं । अन्य ऐसे मामलों के साथ श्री केशवानन्द मिश्रा का मामला भी समीक्षाधीन है ।

इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्टरी, मुरादाबाद की बैलेन्स-शीट तथा हानि

१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मन्त्री इफैन्ट मिल्क पाउडर फैक्टरी, दलपतपुर, जिला मुरादाबाद के आमदनी-खर्च की पिछले तीन वर्षों की बैलेन्स शीट प्रस्तुत करते हुए कृपया बतायेंगे कि इस फैक्टरी में होने वाले नुकसान के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इन्फन्ट मिल्क फूड फैक्टरी, दलपतपुर, मुरादाबाद की वर्ष १९७४-७५ एवं १९७५-७६ सम्बन्धी बैलेन्स शीट बहुत बड़ी होने के कारण सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है । सहकारी वर्ष १९७६-७७ की बैलेन्स शीट अभी अन्तिम नहीं हुई है ।

फैक्ट्री में होने वाले नुकशान के प्रावेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के अनुसार निम्न कारण हैं :—

१—उपलब्ध दूध की मात्रा में कमी ।

२—दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में गिरावट ।

३—दुग्ध पदार्थों के पैकिंग व्यय में वृद्धि ।

४—फरनेस आयल, बिजली महंगाई भत्ता आदि दरों में वृद्धि के कारण उत्पादन व्यय में बढ़ोत्तरी ।

५—दुग्ध पदार्थों के विक्रय दरों में गिरावट ।

गन्ना सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

१५—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में गन्ना समिति भोगी कर्मचारियों को दिनांक १८ अक्तूबर, सन् १९७५ ई० कोआपरेटिव केन सोसायटी रूल धारा ३४ के अन्तर्गत कर्मचारीगण को सात दिन का वेतन देकर निकाला गया है, उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उत्तर प्रदेश केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन्स १९७५ के नियम ३४ के प्राविधानों के अन्तर्गत संलग्न तालिका के अनुसार कुछ समितियों में सीजनल कर्मचारियों को ७ दिन का वेतन देकर निकाला गया है । नियमानुसार निकाले गये कर्मचारियों के बारे में शासन द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३११ पर ।)

गन्ना विभाग में सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों के प्राधिकरण का गठन

१६—श्री बांके लाल—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना समितियों में समिति भोगी नियोजित श्रमिक की सेवारत विभागीय अधिकारी द्वारा बना कर प्रशासन को सारा अधिकार दे दिया गया है ? वह क्यों और किस आधार पर ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उत्तर प्रदेश केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन्स, १९७५ में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ११३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को दिए गए अधिकारों के आधार पर इस अधिनियम की धारा १२२ के अन्तर्गत नियम ३५ व ३६ को तदनुसार संशोधित कर सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों का सेवा प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर गठित किया गया।

सहकारी चीनी मिलों के सहायक अभियन्ता सिविल का वेतनमान

१७—श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५ से सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत बी० ई० (सिविल) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण

कार्यरत सहायक अभियन्ताओं (सिविल) में से कुछ को ५१५ रु० बेसिक वेतन एवं किसी वरिष्ठ सहायक अभियन्ता (सिविल) को ३७५ रु० बेसिक वेतन दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चुने गए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण समस्त-अभ्यर्थियों को ५१५ रु० का प्रारम्भिक वेतन पूर्वकालिक तिथियों से दे दिया गया है ।

१८—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गाजीपुर जिले के ग्राम पचदेवरा में पशु चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी श्री राम सुन्दर शास्त्री का प्रार्थना-पत्र

१९—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या पशुपालन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री राम सुन्दर शास्त्री, ग्राम व पोस्ट नारी पचदेवरा, जिला गाजीपुर का एक प्रार्थना-पत्र ग्राम नारी पचदेवरा के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय खोले जाने के सिलसिले में जिसकी प्रतिलिपि माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी प्रेषित की गयी है प्राप्त १२ जनवरी, १९७८ को हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है । इस समय प्रदेश के केवल उन्हीं जिलों में नये पशु चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं जहां प्रति पशु चिकित्सालय की औसत पशु संख्या ४६ हजार से अधिक है । चूंकि गाजीपुर जिले में प्रति पशु चिकित्सालय की औसत पशु संख्या ३८१३५ है अतः अभी नया पशु चिकित्सालय खोलन का विचार नहीं है ।

फैजाबाद जिले के ग्राम प्रतापपुर चमुरखा का कटेहरी खांडसारी उद्योग एंव बकाया गन्ना मूल्य

२०—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की ..कबरपुर तहसील में कटेहरी बाजार के लगभग एक या डेढ़ मील पूरब फैजाबाद-आजमगढ़ राष्ट्रीय मार्ग के बिल्कुल किनारे पिछले दो-तीन वर्षों से गुड़ बनाने का एक कारखाना चलता था और उसका मालिक क्षेत्रीय किसानों के गन्ने का लाखों रुपया बकाया करके तथा कारखाना बन्द करके गायब हो गया है ? यदि हां, तो किसानों की बकाया रकम दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में कटेहरी बाजार से लगभग एक मील पूरब आजमगढ़-फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम प्रतापपुर चमुरखा, डा० कटेहरी में कटेहरी खांडसारी उद्योग के नाम से एक पावर क्रशर इकाई ने सत्र १९७३-७४ से सत्र १९७६-७७ तक कार्य करके खाण्डसारी तथा गुड़ का उत्पादन किया। सत्र १९७७-७८ में उक्त इकाई के लाइसेन्स नवीकरण हेतु अब तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के सम्बन्ध में चीनी विभाग की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

हमीरपुर जिला परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, श्री राम लखन सिंह के विरुद्ध शिकायत-पत्र

२१—श्री देव कुमार—

क्या सही है कि दिनांक १४ दिसम्बर, १९७७ को हमीरपुर, जिला परिषद् में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी (श्री राम लखन सिंह) के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ श्री श्याम बिहारी यादव, हमीरपुर ने कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सहित सरकार को भेजा है? यदि हां, तो आरोपों का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

संक्षेप में आरोप निम्न प्रकार से है :—

(१) निर्माण कार्य के ठेके में ५ प्रतिशत कमीशन लेना।

(२) चरखारी-पनवाड़ी मार्ग की पुलिया ध्वस्त होने से १६,००० रु० की हानि।

(३) अभियन्ता तथा ओवरसियर द्वारा बिना कार्य किए अन्तरिम भुगतान प्राप्त करना।

(४) फर्जी यात्रा-भत्ता।

इन आरोपों की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से कराई गई। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को निराधार पाया।

फैजाबाद जिले की गन्ना विकास विभाग की टेउआं जलालपुर-अमसिन सड़क को पक्का किए जाने की मांग

२२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद की टेउआं जलालपुर से दरवन, हाथपाकड़ होकर अमसिन को जाने वाली गन्ना विभाग की सड़क को पक्की कराने के बारे में प्रश्नकर्ता का गन्ना विकास आयुक्त को सम्बोधित पत्र जनवरी, १९७८ में मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां, प्रश्नगत सड़क को पक्का कराने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर जनपद फैजाबाद के अवर अभियन्ता को मौके पर जाकर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत सड़क को पक्का कराये जाने पर लगभग ६ लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रश्नगत सड़क अप्राविधिक गन्ना विकास कमेटी, अकबरपुर क्षेत्र में पड़ती है और जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो नियमानुसार अपना अंश वहन कर सके।

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर नैनीताल, द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं बिक्री-कर की वसूली

२३—श्री रामदत्त जोशी—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १० सितम्बर, १९७७ को पन्त विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल में जो खाद्य पदार्थों की नीलामी हुई थी वह खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में थे, किन-किन व्यापारियों ने कितने-कितने मात्रा में वह खरीदे और उनमें लाइसेन्सी एवं गैर लाइसेन्सी कितने व्यापारी थे और उस बिक्री पर विश्वविद्यालय द्वारा कितना बिक्री-कर वसूल किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

विश्वविद्यालय फर्म में दिनांक १० सितम्बर, १९७७ को बिक्री किये गये खाद्य पदार्थों का विवरण संलग्न है। इस नीलाम में १३ व्यापारी आये थे। मंडी समिति, रुद्रपुर का एक कर्मचारी भी मंडी शुल्क वसूल करने हेतु उपस्थित था। नीलाम में आये व्यापारी लाइसेंसी नहीं थे। विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशी कर इत्यादि के रूप में वसूल नहीं की जाती।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१२ पर)

राज्य कृषि विपणन अधिकारी, श्री राम चन्द्र सिंह की सेवा निवृत्ति

२४—डाक्टर जवाहर लाल—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि विपणन अधिकारी (श्री राम चन्द्र सिंह) श्रेणी प्रथम की सेवा निवृत्ति ३० जून, १९७७ को हो गई ? यदि हां, तो अब तक उक्त पद पर प्रथम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां।

राज्य कृषि विपणन अधिकारी के पद पर प्रथम श्रेणी के अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है।

कृषि विपणन विभाग में श्रेणी प्रथम व श्रेणी द्वितीय के अधिकारियों की सेवा अवधि एवं स्थानान्तरण

२५—डाक्टर जवाहर लाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विपणन विभाग में श्रेणी प्रथम व श्रेणी द्वितीय के अधिकारियों की सेवा अवधि एक जनपद में शासकीय नीति के अनुसार क्या है ? और ऐसे कितने अधिकारी हैं जो ३ वर्ष से अधिक एक जनपद में सेवारत हैं और उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वर्तमान शासकीय नीति के अनुसार प्रत्येक विभाग के श्रेणी प्रथम व द्वितीय के अधिकारियों की एक जनपद में सेवा अवधि कम से कम ३ वर्ष तथा विशेष परिस्थितियों में ५ वर्ष तक निर्धारित है। यही नीति कृषि विपणन विभाग के प्रश्नगत अधिकारियों के सम्बन्ध में भी लागू है।

वर्तमान समय में कृषि विपणन विभाग में श्रेणी २ के केवल तीन अधिकारी ही ऐसे हैं जिन्हें एक ही जनपद में तीन वर्ष पूरा हो चुका है।

इनमें से दो अधिकारी मुख्यालय पर कार्यरत हैं जिन्होंने इस अवधि में भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य किया है। एक अधिकारी कानपुर में कार्यरत हैं जिनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वहां से स्थानान्तरण नहीं किया गया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रश्नों के समय जिन प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री यह कहते हैं कि "इसमें सूचना की आवश्यकता है" तो उन प्रश्नों का उत्तर कितने समय के बाद सम्बन्धित सदस्य को या सदन को मिल जायगा ? क्योंकि मान्यवर, दो हफ्ते पहले मने गन्ना मिलों से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछा था उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि "सूचना की आवश्यकता है" और अब तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--

"सूचना" का मतलब होता है फिर से आप नोटिस दें। जब मंत्री यह कहते हैं कि "सूचना की आवश्यकता है" तो इसका मतलब है कि फिर से प्रश्न दें।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

२१ तारीख की रात में मिसवा के स्टेशन पर पुलिस की फायरिंग से ३३ आदमियों की मौत हो गई.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। (श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के खड़े हो कर कुछ कहने पर) शारदा प्रसाद जी, आप भी बैठ जाइये....मैं अनुमति नहीं दूंगा इस प्रकार से। जब मैंने शून्य प्रहर की सूचनाओं के लिए समय दे रखा है तो यदि इस प्रकार से आप रखेंगे तो मैं सब प्रश्नों को मंजूर करना बन्द कर दूंगा।

आगरा में अम्बेदकर दिवस पर निकाले गए जुलूस पर लाठी चार्ज एवं अश्रुगैस के प्रयोग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, १४ अप्रैल, १९७८ को बाबा साहब अम्बेदकर के जन्म दिवस पर निकाले जाने वाले जुलूस पर आगरा में मोहल्ला रावतपाड़ा में पथराव हुआ था। जिला एवं नगर प्रशासन पथराव करने वाले तत्वों को पकड़ने में असफल रहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१४ अप्रैल की घटना के विरुद्ध दिनांक २३ अप्रैल को ४ या ५ हजार लोगों का मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस उसी मार्ग से जाना चाहता था जिस पर १४ अप्रैल को पथराव हुआ था। पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए अश्रुगैस छोड़ी तथा लाठी चार्ज किया, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। घायलों में से ४ व्यक्ति जिला अस्पताल में भरती हैं। घायलों में जनता पार्टी के नेता सर्वश्री दया किशन जरारी, श्री राम भाई सोनकर, अशोक कोटिया तथा रामनारायन भी हैं।

मेरे पास सूचना है कि यदि यह जुलूस रावतपाड़ा में से निकलता तो जुलूस पर ईंट, पत्थर तथा बोतलें फेंकी जातीं और स्थिति अति गम्भीर हो जाती।

आगरा में कुछ समय पश्चात् परशुराम जयन्ती मनाने तथा जुलूस निकालने की योजना कुछ लोग बना रहे हैं। इस बात का बहुत ही डर है कि इस जुलूस में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि आगरा नगर की शांति व्यवस्था बिगड़ जाय। सरकार को चाहिये कि परशुराम जयन्ती जुलूस के समय ऐसा चौकस प्रबन्ध करें कि कोई अप्रिय घटना न हो सके तथा साथ ही सरकार को चाहिये कि वह १४ अप्रैल के पथराव के लिए दोषी व्यक्तियों का पता लगाये तथा उनको दंडित करे। ताकि जनता को सरकार की सक्षमता में विश्वास पैदा हो सके।

मुगलसराय से लखनऊ आने वाली पैसेन्जर गाड़ी के लूटे जाने और जी० आर० पी० के निष्क्रिय रहने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आप के माध्यम से लोक-महत्व की इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि २१ अप्रैल, १९७८ को प्रातः ४ बजे मुगलसराय से लखनऊ आने वाली यात्री गाड़ी लुटती रही और पड़ोस के तीसरे डिब्बे में जी० आर० पी० के एक दर्जन हथियार बन्द जवान चैन की नींद सोते रहे। मान्यवर, यह ट्रेन रूपामऊ स्टेशन से ज्यों ही आगे बढ़ी कि ४ सशस्त्र लुटेरों ने टुटियर के इस डिब्बे के यात्रियों को आतंकित करना प्रारम्भ कर दिया। और पिस्तौल की नोक पर सभी यात्रियों की नगदी तथा अन्य मूल्यवान सामान लूट कर रायबरेली स्टेशन के पूर्व जंजीर खींच कर उतर गये। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार शयनयान में कोई कन्डक्टर नहीं था।

सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि पड़ोस के डिब्बे में जी० आर० पी० के सशस्त्र जवान सोते रहे। लूटते हुये यात्रियों की चीखपुकार एवं असहाय महिलाओं का करुण क्रन्दन भी उन्हें जगाने में सहायक न हो सका। लूटेरे प्रतापगढ़ स्टेशन से सवार हुये थे।

मान्यवर, एक महिला ने सिसकियां भरते हुए बताया कि लुटेरों ने उसके सिर पर पिस्तौल की नाल रखदी तथा गले से जंजीर खींच ली। दृश्य देख कर उसकी गोद का शिशु चीख पड़ा। हृदयहीन डाकू ने शिशु के गाल पर बेरहमी से चांटे जड़ दिए। मान्यवर, ट्रेनों में सुरक्षा पुलिस की ड्यूटी क्या मात्र यात्रा के लिए लगती है? शयनयान से कन्डक्टर क्यों नहीं आये? सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि रेल यात्रियों में इससे बढ़ रही असुरक्षा, आतंक तथा भय की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को उचित निर्देश देने की कृपा कर जिससे सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके यात्रा निरापद बनायी जा सके ।

तहसील धौरहरा, जिला खीरी के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से फसल को क्षति तथा राहत दिए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--

जिला खीरी में भयंकर ओलाबारी से क्षति ।

दिनांक १८, १९ अप्रैल समय २.३० बजे रात्रि एवं १९ अप्रैल, प्रातः ६.३० बजे तहसील धौरहरा जिला खीरी में भयंकर ओलाबारी हुई । ओलों का वजन किसी-किसी स्थान पर आधा-आधा किलो तक था । कहीं-कहीं पर छः-छः घंटे तक ओले नहीं गले, इस ओलाबारी से तहसील धौरहरा के लगभग डेढ़ सौ गांव प्रभावित हुए । रबी की फसल में वह जायद की फसल में ६० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक की हानि हुई है । तेज तूफान और भारी ओलाबारी के कारण किसानों और गरीब आदमियों के छप्पर टूट गए, ईसा नगर में एक कहार की कमर पर छप्पर की बड़र गिरने पर उसकी मृत्यु हो गई । कई स्थानों पर मवेशियों के मरने की खबर भी मिली है । किसानों की फसल नष्ट हो जाने से उनमें बहुत बड़ा दुख व्याप्त हो गया है । चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है । नष्ट हुई फसल को काटने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं ।

सबसे अधिक प्रभावित गांव मूसेपुर, रायपुर, अदलीपुर, कलुवापुर, लोकाही, ईसानगढ़, बेतईतुवा, विरौंगपुर, चहलुवा, फकीरेपुरवा, बैलागढ़ी, कैरातीपुरावा, कबिरहा, रामलोक, सैंडैया, परसा, सिसैया, मिरजापुरवा, कुम्हेना, नयागांव, महराजनगर, बबुंरी, कीनिया, हरसिंगपुर, सुजईकुन्डा, देवीपुरवा, बटपुरवाकलां, रामनगर, लहबड़ी, धौरहरा, बसन्तीपुर, करेहां, बरबहिया, बाली, शाहपुर, डिहुवां, कला, धुरधुट्टा बुजुर्ग, कफारा, टेकीकुन्ड, अकठी, मटेरहा, पटौरी, गुलहरिया, रामनगरा, नैनापुर, रमियाबेहड़, अनेपुर, चन्दपुरा, मेमरी, संकल्य नगरदा बबात, जंगलवाली, चकनाथपुर, गंगोलिया, चुड़ा, मूडी जटपुरवा, मल्लबेहड़, लखाड़ी, जम्हौरा, नौवापुर, सुजानपुर, दुलही, सहरिया, सोहरिया, टहारा, रंजीतनगर, बिनोरा, लखनियापुर आदि ।

इस तराई में रबी की फसल की कटाई देर में होती है । इसलिए रबी की फसलें खेतों में लगी थीं । पिछली बार भी ओलाबारी से फसलों को काफी हानि पहुंच चुकी है । किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उनके लिए भरपेट भोजन मिलना असम्भव है । मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रभावित गांवों में तुरन्त मालगुजारी तथा पुराना विकास कर, सहकारिता विभाग की बकाया, कृषि भूमि विकास बैंक की बकाया एवं अन्य सभी प्रकार की बकाया धनराशि की वसूलयाबी तुरन्त रोक दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों व मजदूरों को जीविका देने के लिए निम्न मार्गों पर टेस्ट वर्क शुरू करा दिए जायें--

१--शारदानगर-धौरहरा मार्ग-१५ किलोमीटर ।

२--कफारा आकली हौकना मार्ग-१० किलोमीटर ।

३--रमिया-हौकना मार्ग-१० किलोमीटर ।

४--हौकना-सरसुनगर मार्ग-१० किलोमीटर ।

५--कलवापुर गुरवीनपुरवा मार्ग-६ किलोमीटर ।

६--गाइड बांध से बैनोरा-२ किलोमीटर ।

मान्यवर, इस पर तुरन्त विचार किया जाय । यह सूचना मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर दे रहा हूं । मैं दो दिन के दौरे पर गया था और मैंने स्वयं जाकर देखा है । सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे ।

फर्रुखाबाद जनपद में गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरीश चन्द तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष, खाद्य मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि प्रदेश में दो हजार १७ गेहूं खरीद केन्द्र खोले जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर नये क्रय केन्द्र खोल दिये जायेंगे । किसी भी कृषक को १० कि० मी० से अधिक दूरी पर गेहूं लेकर नहीं जाना होगा । फर्रुखाबाद जनपद में क्रय केन्द्र अभी तक चालू नहीं हो सके हैं और गेहूं की खरीद केवल गल्ला व्यापारी ही कर रहा है । गेहूं के अधिक आमद होने के कारण बाजारों में गेहूं का भाव घट कर ८५ और ९० रु० रह गया है और किसानों की खुली लूट हो रही है । यदि शीघ्र ही क्रय केन्द्र चालू न किये गए तो किसानों में व्यापक असंतोष फैल जायेगा ।

अस्तु माननीय खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि शीघ्र ही उक्त जनपद में गेहूं खरीद करने की व्यवस्था करने की कृपा करें और वस्तुस्थिति से सदन को भी अवगत करा दें ।

मुरादाबाद व उसके निकट के जिलों में गेहूं क्रय केन्द्र न खोलने से गेहूं के मूल्य में गिरावट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष, प्रदेश में गेहूं बाजार में आना आरम्भ हो गया है परन्तु सदन में माननीय खाद्य मंत्री द्वारा घोषणा किये जाने के बावजूद भी अभी तक गेहूं जिला मुरादाबाद तथा उसके आसपास के जिलों में इस समय तक १०० रुपये प्रति कुंटल के नीचे बिक रहा है । गन्ना की फसल में प्रदेश के समस्त किसानों को भारी क्षति पहुंच चुकी है और अब प्रदेश के किसान को आशा केवल गेहूं ही रह गया था, परन्तु इसमें भी सरकार का उचित प्रबन्ध न होने के कारण व्यापारी वर्ग किसानों को दोनों हाथों से लूट रहा है । मई-जून माह ग्रामीण क्षेत्रों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

में शादी-विवाह और अन्य कार्यों को करने को होते हैं जिसमें छोटे-बड़े हर किसान को रुपये की आवश्यकता रहती है परन्तु गन्ने की लुटाई और अब गेहूं की लुटाई के कारण प्रदेश के किसान की आर्थिक दशा बहुत खराब चल रही है। प्रदेश के खाद्य मंत्री न सदन में बराबर इस बात की घोषणा की है कि प्रदेश के किसान का गेहूं ११२·५० रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदने का उचित प्रबन्ध किया जाय गा। परन्तु खेद की बात है कि कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण इस समय गेहूं १०० रुपये प्रति कुंटल के नीचे बिक रहा है।

अतः मैं माननीय सदन के द्वारा माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

मोहल्ला नीलकण्ठ, वाराणसी में पुलिस कांस्टेबिल, श्री चन्द्रबली यादव को गोली मार कर हत्या तथा एक सब-इंस्पेक्टर व एक सिपाही को घायल किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, २१ अप्रैल, १९७८ की शाम को करीब ७ बजे जनपद वाराणसी के नगर के एक मोहल्ला नीलकण्ड में असामाजिक तत्वों द्वारा चौक थाने के हेड कांस्टेबिल श्री चन्द्रबली यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई। असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप एक सब-इन्सपेक्टर दल सिंगार पाण्डेय व एक सिपाही जवाहर गंभीर रूप से घायल हो गये हैं।

मोहल्ला नीलकण्ठ में एक दूकान में नाजायज कब्जे की शिकायत की जांच के सम्बन्ध में चौक थाने से उक्त सब-इन्सपेक्टर, हेड कांस्टेबिल व सिपाही मौके पर गए थे। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पुलिस के मौके पर पहुंचते ही असामाजिक तत्वों के गिरोह ने गाली देते हुए हाथा पाई शुरू कर दी। और उनमें से एक असामाजिक तत्व ने पिस्तौल से गोली चलाना शुरू कर दिया। जिसके परिणाम-स्वरूप हेड कानिस्टेबिल चन्द्रबली यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और सब-इंस्पेक्टर दल सिंगार पाण्डे व सिपाही जवाहर घटना स्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस घटना से समस्त नगर में आतंक और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया है। पुलिस द्वारा जन साधारण को सुरक्षा प्रदान की जाती है। किन्तु इस घटना से प्रत्येक व्यक्ति सिहर (घबड़ा) गया है। वाराणसी की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की इससे बड़ी जिन्दा मिसाल और क्या हो सकती है ?

अतः मान्यवर आप के माध्यम से इस महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना पर शासन से उचित कार्यवाही एवं वक्तव्य की अपेक्षा है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ मार्च, १९७८ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० मार्च, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ मार्च, १९७८ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० मार्च, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, १९७८

सचिव विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, १९७८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० मार्च, १९७८ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७८ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक १९-४-७८ को माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने पहली नवम्बर, १९७७ को वाराणसी के अक्तूबर के दंगों की न्यायिक जांच की घोषणा की थी। इस जांच की रिपोर्ट ६ महीने के भीतर प्रस्तुत करने के आदेश हुये थे। किन्तु ५ महीने से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी यह जांच अभी तक आरम्भ नहीं हुई है और जांच आयोग की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में सदन के बाहर घोषणा की गई। माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद अभी तक जांच आरम्भ न होने और जांच आयोग की पुनर्नियुक्ति की घोषणा सदन के बाहर करके माननीय मुख्य मंत्री ने सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन का अपमान किया है।

सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त घोषणायें सदन के भीतर या सदन के बाहर की गयीं। यदि सदन की बैठक होते समय सदन के बाहर की गयीं हो तब भी इसमें किसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, केवल शिष्टाचार का प्रश्न निहित होता है। ऐसी दशा में इस मामले में....।

श्री आरिफ मोहम्द खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, निर्णय के पहले मेरी एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां के खड़े होने पर)

आरिफ साहब मैंने इसको देखा। इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसकी ग्राह्यता के बारे में मेरा निश्चित मत है इसमें कोई आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्द खां--

मान्यवर, मुमकिन है कि तथ्यों के रखने से आपका मत बदले। इसलिये मैंने कहा कि व्यवस्था देने के पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसके विषय को देखा हैं। मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। इस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

अगर हम यहां सदन में अपनी बात को न उठा सकें और अपने पक्ष को न प्रस्तुत कर सकें तो इसके बाद तो कोई और फोरम हमारे लिये नहीं बचती है।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि इसका नियम है और नियम में है कि अध्यक्ष ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे और यदि कोई संदेह हो तो सम्बन्धित सदस्य से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग लेगें तो जब मैंने विचार करने के बाद निर्णय लिया, आपकी सूचना मुझे मिल गयी तो इस पर अब कोई विवाद नहीं किया जा सकता है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, आप यह बता दीजिये कि इसे किस नियम के अनुसार अब उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

नियम आप तलाश कीजिये। मैंने आपको बतलाया कि विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में जो नियम हैं उसके अनुसार मैंने यह निर्णय किया है।

श्री अरविंद कुमार शुक्ल, विधान भवन रक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री हुक्म सिंह परिहार, सदस्य विधान सभा ने श्री अरविंद कुमार शुक्ल, विधान भवन रक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी

है। माननीय सदस्य का कहना है कि १९ अप्रैल को शाम के ५ बजे जब वे रिक्शे पर सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहे थे तो उस समय उक्त पहरेदार ने उन्हें रोका और उत्पीड़ित किया।

मैंने इसको माननीय मुख्य मंत्री के पास वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिये भेजा है। उसके बाद ही मैं इस पर निर्णय दूं।

विविध विषय

(न्याय व कारागार मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक अनुरोध है। महत्वपूर्ण बात है। गोरखपुर जनपद के शिशवा क्षेत्र में..

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से कह रहा हूं जब यह प्रश्न आयेगा तब कहियेगा, शुरू में मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

शारदा प्रसाद जी कहीं पर कोई घटना हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि सदन में माननीय सदस्य जब चाहें उठ खड़े हों। कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, नियम ५१ के प्रस्ताव हैं। जब कार्य-स्थगन प्रस्ताव आयेगा। इस सम्बन्ध में लोगों ने दिये हैं अपने आप यह प्रश्न आयेगा। अब यह नहीं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

अधिकारीगण ने जो रेडियो द्वारा....

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं यह प्रश्न पहले ही मुझ को दिया जा चुका है। मेरे सामने है। थोड़ा आप धैर्य रखें।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

माननीय अध्यक्ष, मेरा यह कहना है कि २० तारीख का जोशी जी का तार आया था। उसमें चर्चा हुई है...

श्री अध्यक्ष—

जोशी जी खुद मौजूद हैं। मैंने चर्चा इस पर की। अब जोशी जी खुद आ गये हैं थोड़ा सा उस पर बता देंगे और जोशी जी जब बजट पर विवाद में भाग लेंगे अगर चाहें तो फिर बता देंगे।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

उनसे पूछ लिया जाय।

विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड के लिये दो विधान सभा सदस्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो विधान सभा सदस्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए चार विधान सभा सदस्य, कानपुर विश्व-विद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, काशी विद्यापीठ की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिए चार व्यक्तियों, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए चार विधान सभा सदस्य, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो विधान सभा सदस्य, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिए चार विधान सभा सदस्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए पांच विधान सभा सदस्य, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य, कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :

१—नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	सोमवार, दिनांक १ मई, १९७८ को ४ बजे अहराह्न तक ।
२—नाम निर्देशन-पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, दिनांक १ मई, १९७८ को ५ बजे अपरान्ह (सचिव, विधान सभा के कक्ष म) ।
३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	बृहस्पतिवार, दिनांक ११ मई, १९७८ को चार बजे अपराह्न तक ।
४—मतदान, यदि आवश्यक हुआ, तो	मंगलवार, दिनांक १६ मई, १९७८ को पूर्वाह्न १०-३० बजे से अपराह्न ५ जजे तक (कमरा नं० ४८ में) होगा ।

पूर्व गामी सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों से चलाये गये मुकदमों की संख्या और उनकी वापसी के सम्बन्ध में वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, विधान सभा के विगत सत्र में दिनांक २ सितम्बर, १९७७ को सर्वश्री राजेन्द्र कुमार तथा हरिकेवल प्रसाद द्वारा पूछे गये अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में आपातकालीन स्थिति के दौरान तथा उसके पूर्व लोक संघर्ष समिति, श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन आदि से सम्बन्धित राजनैतिक कारणों से राज-नतिक दलों के कार्य कर्त्ताओं, छात्रों, श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों के वापसी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी थी । इस प्रसंग में माननीय सदस्यों को मैंने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक ९ सितम्बर, १९७७ के द्वारा

राजनैतिक शांतिपूर्ण आन्दोलन, परिवार नियोजन योजना, १९७४–७५ में लेवी योजना के कार्यान्वियन आदि से सम्बन्धित अभियोजनों के वापस लिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों से भी अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आदेशानुसार विभिन्न जिलों से उपरोक्त अभियोजनों के बारे में स्थिति की जानकारी भी की गयी है जो संलग्न तालिका में दी है। इस जानकारी के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९७७ तक की जो सूचना उपलब्ध हुई है वह संक्षिप्त में निम्नलिखित है :

१—जिलों में चलाये गये मुकदमों की कुल संख्या ८१०८

२—वापस लिये गये मुकदमों की कुल संख्या ४७८०

(क) शासन के सामान्य आदेशों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिये गये मुकदमों की संख्या—३७५४।

(ख) शासन के विशेष आदेशों द्वारा वापस लिये गये मुकदमों की संख्या—१०२६।

३—न्यायालय द्वारा निर्णीत मुकदमों की संख्या २७३२।

(अ) मुकदमें जिसमें अभियुक्त दोष मुक्त हुए की संख्या—१११० (नैनीताल को छोड़कर)।

(ब) मुकदमें जिसमें अभियुक्त दंडित किये गये की संख्या—१५०४ (नैनीताल को छोड़कर)।

(टिप्पणी—नैनीताल जिले की दोषमुक्त/दंडित मुकदमों की संख्या अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।)

४—न्यायालय में चल रहे विवादास्पद मुकदमों की संख्या—५९६।

जिन जिलों में हिन्सा, तोड़ फोड़ व आर्थिक कारणों से विवादास्पद अभियोजन न्यायालय में विचाराधीन हैं उनका विवरण निम्नलिखित है :

जिला	संख्या
१	२
१—बुलन्दशाहर	८
२—अलीगढ़	४५
३—आगरा	१०४
४—बरेली	१
५—पीलीभीत	२०
६—फर्रुखाबाद	१९
७—इलाहबाद	१५
८—ललितपुर	१२
९—बनारस	१०४

[श्री ओम प्रकाश सिंह--]

१	२
१०--बलिया	१
११--गोरखपुर	९१
१२--बस्ती	२
१३--नैनीताल	८
१४--लखनऊ	५३
१५--उन्नाव	८
१६--सीतापुर	३५
१७--गोण्डा	६९
१८--बाराबंकी	१

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ३१४ पर) ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)

माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उनमें ३(ब) में यह जानकारी दी है कि १५०४ मुकदमें ऐसे हैं, जिनमें लोग दंडित हो गये । इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सेशन कोर्ट या जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में कर दी है और कुछ लोग जेलों में हैं उनको राहत मिल जाय इसके लिये क्या सरकार कुछ कर रही है ? अन्त में भाग ४ में ५९६ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं । ये राजनीतिक मामले हैं और हिंसा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है तो क्या सरकार उनको वापस लेने का विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

पहले प्रश्न में दो भाग हैं । एक तो जिनको सजा हुई और जो जेलों में थे । उनको तो पहले ही छोड़ दिये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं । दूसरे राजनीतिक मामलों में जो बन्दी थे वे जेल में नहीं हैं । जिन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है उस सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता को यह निर्देश दे दिया गया है कि जो भी राजनीतिक कारणों से दंड पाये हुये मुकदमें अपील के दौरान हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसमें शासन की ओर से पैरवी जोर दे कर न की जाय जिससे उनको लाभ पहुंच सके, क्यों कि हाई कोर्ट से अपील वापस नहीं की जा सकती । दूसरा प्रश्न ५९६ केसेज के बारे में पूछा गया । ये हिंसा, मुकदमे तोड़-फोड़ तथा आर्थिक कारणों से विवादास्पद हैं । उनमें से बहुत से केसेज में एप्लिकेशन दी गयी, उनके बारे में रिपोर्ट मंगाई गयी है और बहुतों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और उनके गुण दोष के आधार पर सरकार बहुतों को वापस लेने के आदेश देती जा रही है । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा जो भी ऐसे राजनीतिक मुकदमें हों और झूठे तथा गलत आरोप लगा कर मुकदमें कायम कर दिये गये हैं और भेजे गये आदेशों के अन्तर्गत नहीं आ सकते हैं तो शासन की नीति है कि शासन की जानकारी में उनको लाया जाय, उनके गुण व दोष के आधार पर सरकार उनको वापस ले लेती है । अनेक लोग शासन की नालेज में ऐसे केसेज लाये हैं, उनको वापस लिया जा रहा है । उन पर रिपोर्ट मंगाई जाती है । दोष व गुण के आधार पर उनको वापस ले लिया जाता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके सन्दर्भ म एक बात जानना चाहता हूं। राजनीतिक कारणों से जो मुकदमें चलाये गये और जितने भी मीसा में लोग गये थे उन सब पर तोड़ फोड़ का आरोप लगाया गया। भारतीय दंड संहिता में क्रिमिनल और पोलिटिकल के लिए अलग अलग सेक्शन नहीं है। उदाहरण के लिए फर्टीलाइजर कारपोरेशन, गोरखपुर है। मजदूरों न स्ट्राइक किया। विरोधी लोगों के खिलाफ तोड़ फोड़ के मुकदमें चल रहे ह। कागज में उनके खिलाफ तोड़-फोड़ और हिंसात्मक आरोप लगाए गय हैं लेकिन वास्तव में वह सब राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। तो क्या ऐसे मुकदमे जो राजनीति से प्रेरित होकर लोगों पर चलाए गए उन मुकदमों को भी वापस लेने का आश्वासन मंत्री जी दगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैंने स्पष्टीकरण देते समय ही कहा कि ५९६ है और इनके संदर्भ में मैंने कहा है कि अन्य भी एसे मुकदम जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं बहुत से फर्जी मुकदमें चलाये गये हैं, जिनम गलत तरीके से तोड़-फोड़ या और अपराधिक धाराएं लगा दी गयी थीं तो उन पर व्यक्तिगत केस में उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जायगा। वापस लेने के लिए जनरल आदेश तो नहीं दिय जा सकते है क्योंकि वही आरोप अपराधियों के ऊपर भी हैं और गलत तरीके से राजनीतिक लोगों के ऊपर भी लगाये गये हैं।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह जो तालिका मंत्री जी ने दी है इसमें आपात काल के दरमियान जो पुलिस परिषद् के पी०ए०सी० के सिपाही जिनके ऊपर मीसा लगा था और मीसा के बाद डी० आई० आर० लगा। आपात काल के अन्तर्गत डी० आई० आर० और मीसा के तहत पुलिस के कर्मचारी बन्द थे। तो जो भी उन पर डी० आई० आर० मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में चल रहें हैं उन्हें राजनीतिक मानकर वापस लेने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर स्पष्ट है कि इस तरह के आरोप बहुतों पर हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक केस की जांच करायेंगे और जांच से पाया कि आरोप दोषपूर्ण है तो उसको वापस लेंगे।

आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के सम्बन्ध म सदन द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में कृपया निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया जाय :—

मई, १९७८—

१०, बुधवार—परिवहन मंत्री से सम्बन्धित मांगों पर मतदान।

११, गुरुवार—कृषि मंत्री से सम्बन्धित मांगों पर मतदान।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

१३, शनिवार—सार्वजनिक निर्माण मंत्री से संबंधित मांगों पर मतदान ।

१५, सोमवार—(१) ग्राम्य विकास मंत्री से सम्बन्धित मांगों पर मतदान । (अपरान्ह ४ बजे तक)

(२) वित्त मंत्री से सम्बन्धित मांगों पर मतदान (विवाद नहीं होगा) ।

(४ बजे अपरान्ह) सदन की अनुज्ञा से विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अलावा यह प्रोग्राम है ।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने मतदानों का कार्यक्रम तय नहीं किया । उन्होंने केवल अनुदान की तारीखों में कुछ परिवर्तन किया है और आप लोगों से परामर्श कर लिया होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

हमें तो मालूम नहीं ।

श्री मधुकर दिघे—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन तय हो गया था कि डिटेल्स में न जायं और केवल तारीख तय कर दें । मुख्य रूप से जो डेट्स लगी हैं उनमें तब्दीली नहीं होगी यह उस दिन तय कर लिया था ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जहां तक मुझे याद है तारीख वगैरह तो सब तय हो गई थी । उस दिन अलबत्ता जो डील करते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कौन-कौन डेट पर कौन प्राट होगी इसकी सूचना दे देंगे । क्योंकि क्वेश्चन आवर का उसमें सवाल आता है । चूंकि शनिवार को क्वेश्चन आवर होता नहीं है इसलिए प्रश्न काल का सवाल नहीं आता है और उस आधार पर फाइनल हो गया था । उसमें यही उज्र था कि क्वेश्चन आवर देख कर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या कोई आपत्ति है ?

श्री रियासत हुसैन—

आपत्ति की बात नहीं है । परम्परा डालने की बात है । लेकिन जाबते के अनुसार होना चाहिये । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुला कर होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे--

क्वेश्चन आवर उस दिन नहीं है। २९ तारीख के लिये निर्णय हो गया था। लेकिन जब यह प्रश्न आया तो उसमें यह भी कहा गया कि मंत्रियों की सुविधा को ध्यान में रख कर एक दो दिन का अदल-बदल कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

रियासत साहब इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन--

यह सवाल उस दिन बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में आया था जो डील करते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कौन दिन कौन ग्रांट होगी यह मंत्रियों से पूंछ कर बता देंगे। लेकिन उस चीज को बाई पास करके चूंकि सटरडे को क्वेश्चन आवर नहीं होता है इसलिए उसका प्रश्न नहीं आता है और डेट निश्चित कर दी गई थी। अब उसमें दुबारा चेंज होता है। आप जैसा आदेश करेंगे लेकिन यह यह परम्परा कोई अच्छी नहीं है। मैं परम्परा का विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल किसी वक्त कार्यमंत्रणा-समिति की बैठक बुला कर पास कर लेंगे। आज इसलिए पेश न किया जाय, तो क्या है ?

श्री मधुकर दिघे--

इसमें कोई एतराज का प्रश्न नहीं है। माननीय रियासत साहब इस बात को भूल गये हैं। उन्होंने स्वयं कबूल किया था उठते वक्त कि मंत्रियों की सुविधा देख कर एक दो दिन का हेरफेर करना होगा, तो कर लेंगे लेकिन जो तारीख निश्चित हो गई हैं उनमें कोई तबदीली नहीं होगी। २९ तारीख का निर्णय हो गया। इसमें मान्यवर, ११ तारीख का कार्यक्रम १३ तारीख और १३ वाले का ११ तारीख को हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

वैसे इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

जो माननीय सदन में माननीय मन्त्री जी रखेंगे वह तो पास हो ही जायेगा। यह नई परम्परा है। इस वक्त यह साधारण सी बात मालूम हो रही है। लेकिन आगे के लिए एक कनवेंशन हो जायेगा कि सदन के अन्दर ऐसा होता चला आया है। अगर आप परम्परा डाल देंगे तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है थोड़ा सा औपचारिक मामला है। वैसे नियम २२ में परिवर्तन करने का अधिकार है। मैं कोई दृष्टान्त नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता

[श्री अध्यक्ष]

हूं कि यह थोड़ा सा परिवर्तन है इसे सदन को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कार्यक्रम में संशोधन प्रस्तुत किया है, सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७७ की वापसी का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रम मंत्री आईटम नम्बर ७ प्रस्तुत करेंगे ।

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७७ को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि....।

(श्री देव बहादुर सिंह) जिला नैनीताल—

अभी मुझे इस पर कुछ कहना है । विधान परिषद् से तो पारित हो गया, किन्तु अगर यह वापस लेने की बात थी, तो विधान परिषद् से मंत्री जी ने क्यों पास करा लिया ? यह वहां से पास होने के बाद यह उनकी समझ में आया ? इसलिए मंत्री जी पहले इस पर प्रकाश डालें, स्पष्ट कर दें कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई । उस समय मंत्री जी ने वापस क्यों नहीं लिया ? इस समय कौन सा इल्जाम हुआ कि वह इसे वापस क्यों ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

क्यों आप वापस लेना चाहते हैं, बता दें ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैं समझ गया था कि स्पष्टीकरण आप कुछ जानना चाहते हैं । श्रीमन्, लेबर हमारा कान्कर्रेंट सब्जेक्ट है । जरूर इसको विधान परिषद् से पास करा लिया था, लेकिन उसी वक्त केन्द्र में भी उनके विचारार्थ भेज दिया गया था । उन्होंने कहा कि सेन्ट्रल ऐक्ट से इसका थोड़ा गतिरोध होता है । इसलिए उनको हटाकर और दो-तीन और धाराएं ऐड करके यह आपके सामने अधिक बहुमूल्य विधेयक हम ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७७ को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज-कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री देव बहादुर सिंह और श्री श्याम नारायण तिवारी ने इस आशय के दिए हैं कि दिनांक २१ अप्रैल, १९७८ की रात को सिसवा रेलवे स्टेशन पर पी० ए० सी० के जवानों द्वारा गोलियां चलाये जाने के कारण ३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इसी विषय पर आज कार्य-स्थगन की नोटिस श्री श्याम नारायण तिवारी और श्री ऊदल ने भी दी है और आज नियम ५१ के अन्तर्गत भी कई सूचनाएं इसी प्रकार की मुझे प्राप्त हुई हैं । आज आप जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी अपना बजट भी पेश करने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि उस पर चर्चा के मध्य आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा अपनी सूचना से सम्बन्धित बातें कहने का ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह सही है कि मुख्य मंत्री जी प्रशासन और पुलिस पर अपनी बात कहेंगे और हम लोगों को भी अवसर होगा अपनी बात कहने का । लेकिन गोलियां चलने की घटना असाधारण घटना है । साधारण प्रशासन में जो कमियां और खामियां हैं, उनके सम्बन्ध में तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन गोलियां विशेष परिस्थितियों में चलती हैं, इसलिए उस पर तो अलग से बहस का अवसर मिलना चाहिए । गोलियां चलना साधारण घटना में यदि लिया जाएगा, तब तो हमें कुछ नहीं कहना है । लेकिन यदि यह असाधारण घटना है तो यह निश्चित है कि आप नियम ५१ में इस पर चर्चा मान लें । गोलियां चलने से उस क्षेत्र में बड़ा आतंक है ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, माननीय विधायक ने जो यह प्रश्न उठाया है और जिस तरह की सूचना दी है, उस सम्बन्ध में प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं की गई। मुकदमा अपराध का उन पी० ए० सी० जवानों के विरुद्ध कायम कर दिया गया है । प्रशासनिक अधिकारियों ने आगे जाकर उन दो अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है । मामले की जांच हो रही है । जो कार्यवाही होगी, आवश्यकता पड़ने पर सदन के अन्दर सूचित कर देंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

कौन सी धारा में मुकदमा दायर किया है ?

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, यह हमारी कांस्टीटुएंसी के बगल का मामला है। एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उसमें लोग जा रहे थे। ट्रेन भरी हुई थी। केवल एक डिब्बे में बैठ कर पी० ए० सी० के सिपाही दो तीन नौजवान औरतों को लेकर बन्द किये हुए थे। लोगों ने इस डिब्बे को खोल कर घुसने की कोशिश की। और जो चोटें लगी हैं पीछे लगी हैं। यहां तक कि एक बारह साल का लड़का मूंगफली बेच रहा था उसको और दूसरे लोगों को गोलियों से सुला दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर और पुलिस के लोगों ने जो विभिन्न प्रकार से बयान दिये हैं, पुलिस का यह कहना है कि भीड़ आवेश में थी, उत्तेजित थी, हमला करना चाहती थी। यह सत्यता से परे है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

जब आपने नोटिस दिया है, आप तथ्यों पर आ रहे हैं। आपने अपने आप कार्य स्थगित कर दिया। कार्य स्थगित होता तो जब सदन का कार्य समाप्त हो जाता है तब लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी जानकारी दे दी है। आप लोगों ने बड़ी तादाद में इस प्रश्न को नियम ५१ के अन्दर दे दिया है। नियम ५१ में स्वीकार करते वक्त..

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा मतलब यह था कि अभी रेडियो पर जो सूचना सुनी है, रेडियो पर बिल्कुल दूसरी तरह की सूचना दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यही मैं आपसे कह रहा हूं जब वक्तव्य आयेगा तब बतलाइयेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। अभी तो इसका अवसर नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक सूचना माननीय मुख्य मंत्री....

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना का अवसर नहीं है। मैं नियम ५१ में स्वीकार कर रहा हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री उस पर वक्तव्य देंगे तो उस पर प्रश्न किये जा सकेंगे। इस पर अब बहस नहीं होगी। आज भी जो बजट पर भाषण होंगे मैं गोरखपुर के सदस्यों को अवसर दूंगा वह उसमें अपनी बात कह सकेंगे। (श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के खड़े होने पर) शारदा प्रसाद जी, आप बैठिए। मैं अब माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला रहा हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

५१ में कब वक्तव्य देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब वक्त आयेगा तब पूछेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह सब एक साथ में ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

(१) से (८) तक पेश कर दीजिये ।

श्री डाक्टर कृष्णावीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मैंने नियम ५६ में एक नोटिस दिया था, आगरा के अन्दर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है ।

श्री अध्यक्ष—

३०१ में हो चुका है ।

डाक्टर कृष्णावीर सिंह कौशल—

उसमें पूरी सूचना नहीं दिया है । आगरा में इतना तनाव है, जाति संघर्ष छिड़ जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

कौशल जी, बैठिए ।

डाक्टर कृष्णावीर सिंह कौशल—

मैं आपको दिखाना चाहता हू, यह कपड़े हैं (कपड़े उठा कर दिखाये) ढाई सौ बच्चे और आदमियों....

श्री अध्यक्ष—

३०१ में अनुमति दे दिया है । आप बैठ जाइये ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए । मैंने अनुमति नहीं दी है । यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । बिना अनुमति के बोल रहे हैं । आप बैठ जाइये कृपया ।

माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत कर दें । श्री गुलाब सेहरा इस पर कटौती का प्रस्ताव रखेंगे । कटौती के प्रस्ताव में उनको पर्याप्त अवसर मिलेगा । इस घटना को हाई लाइट करने का, जो बात आप कहना चाहते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

आप २ मिनट सुन लें ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अनुमति नहीं दी है। कटौती का प्रस्ताव चाहे आप पेश कीजिए या श्री सेहरा। आप तय कर लीजिए। उसमें आप इस घटना को भी कह सकते हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई सदन छोड़ता है तो अनावश्यक उत्तेजित न कीजिए। इससे लाभ नहीं।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—मंत्रि-परिषद्, अनुदान संख्या ५—निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१—पुलिस, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३—मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४८,९६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५—निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६३,४५,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,३६,५२,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,२१,२८,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

संख्या ३-मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६२,४७,६५,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,०७,६३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,१६,०३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५९,०४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, अभी तक जो योजनायें चलती रही हैं और केन्द्र से जो सहायता मांगी जाती रही है उसके पीछे प्रदेश का पिछड़ापन भी दिखाया जाता रहा है लेकिन इस बात का प्रयास नहीं किया गया कि हमारा जो पूंजी विनियोग है वह प्रदेश की गरीबी और बेकारी को हल करने से किस तरह प्रभावी हो सकेगी । इस सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक आधार है उसकी दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । यह पहली बार है जब कि प्रदेश की गरीबी और बेकारी को प्रदेश की सरकार ने दृष्टिगत किए जाने के बाद सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश की जनता जो ६७ प्रतिशत देहातों में और ६६ प्रतिशत शहरों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है कैसे उनके जीवन स्तर को उठाया जाय । इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि वर्ष १९८२-८३ के अन्त तक हमारा उपभोग स्तर कम से कम प्रति व्यक्ति ४० रुपये होना चाहिये । उसके साथ-साथ वर्ष १९८७-८८ में यह उपभोग स्तर प्रति व्यक्ति ६० रुपये से कम नहीं होना चाहिए । लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी जो पूंजी विनियोजन की व्यवस्था है उसकी ओर भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि बेकारी की समस्या को हल करने का प्रश्न आता है ।

[श्री राम नरेश यादव]

जहां पर हमारा प्रयास है कि १९८२-८३ में उपभोग स्तर ४० रुपये प्रति व्यक्ति हो व ८७-८८ तक ४० रुपये से ६० रुपये उपभोग स्तर को बढ़ाया जाय, वहीं पर यह भी प्रश्न है कि बेकारी की समस्या का कैसे हल हो ? वर्ष १९८२-८३ तक ३६.२८ लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार व १९८३-८४ तक ४६.९७ लाख रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु ११,७६७ करोड़ का पूंजी विनियोग की आवश्यकता है अगले पांच वर्ष में व २२,८३३ करोड़ का पूंजी विनियोग उसके आगे ५ वर्ष में है। इसके लिए अगली पंचवर्षीय योजना का आकार ६,१०० करोड़ का होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर वर्ष १९७८-७९ की जो वार्षिक योजना का प्रारूप है तैयार किया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है कि किस प्रकार स्थानीय नियोजन के आधार पर जो हमारे प्रदेश का फैला हुआ क्षेत्र है उसका असन्तुलन दूर किया जाय। इस सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार रणनीति बनाकर जिला स्तर पर योजना चलायी जाय और किस प्रकार से हम गांवों को विकास की दिशा में ले जायं, इधर भी सरकार का ध्यान है। इसके अतिरिक्त ऐसे कुछ विशेष कार्य हैं जिनकी ओर इस बजट में काफी ध्यान दिया गया है।

पहले हमारे प्रदेश में कोई डेटा बैंक नहीं था, विकास की प्रगति जानने के लिए हमने डेटा बैंक की स्थापना की है जो सांख्यकीय आंकड़े इकट्ठे करता है। अब यह सब सूचना राज्य के नियोजन विभाग में उपलब्ध हो सकेगी। हमने प्रशिक्षार्थियों के लिए एक होस्टल के निर्माण की भी योजना बनाई है ताकि वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जा सके और इस बात का प्रबन्ध किया है कि जिलों में नियोजन से सम्बन्धित जो विभाग में काम करने वाले हैं, वहां पर ट्रेनिंग पाकर अच्छा काम कर सकें। इसलिए नियोजन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाने संभव थे, उनको किया गया है। इस सब कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया गया है।

इसके साथ-साथ प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। इस प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति १४ सितम्बर, १९७७ को कर दी गयी है और लोक आयुक्त को परिधि में विशेष रूप से मन्त्री, सचिव, विधान मंडल के सदस्य तथा स्थानीय निकायों के प्रमुखों के विरुद्ध जांच करने का अधिकार रखा गया है। इस सम्बन्ध में भी इस बजट में प्राविधान रखा गया है। यह एक नया काम हुआ है। नये वर्ष में नया प्राविधान किया गया है कि लोक आयुक्त इतना सक्षम हो सके कि ठीक से कार्य चल सके। इसके साथ-साथ सतर्कता अधिष्ठान को प्रभावशाली करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। यह पहली सरकार है जिसने इसके संवर्ग को अलग करने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में अलग से धनराशि की व्यवस्था की है। किस प्रकार यह होगा उसके सम्बन्ध में अगली कार्यवाही की जा रही है और थोड़े दिनों के अन्दर उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो जायगी। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हमने इस साल के अन्दर शासन की तरफ से सतर्कता विभाग को इतना सजग किया है, इतने ट्रेप डाले गये जो पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक था और स्पष्ट है कि स्वस्थ प्रशासन की दिशा में सरकार का ध्यान कितना अधिक रहा है। १९७७-७८ में २३ जून, १९७७ के बाद जबसे जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके कार्यकाल में ही २८५ ट्रेप डाले गये थे जबकि उससे पिछले वर्ष साल भर में २२४ ट्रेप डाले गये थे और सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें बहुत से राजपत्रित अधिकारी हैं और अराजपत्रित अधिकारी गिरफ्त

में आये थे। ६४१ मामले जांच के लिए सुपुर्द किये गये थे उसके पश्चात् और इनके सम्बन्ध में ४९९ मामलों की रिपोर्ट आयी और तमाम मुकदमें अदालतों में विचाराधीन हैं, इस समय चल रहे हैं।

बिजली विभाग में भी एक अलग से कोष्ठ खोला गया था। इस सिलसिले में इस बात की शिकायत थी कि कुल ४·१८ करोड़ रुपये का गलत तरीके से सामान खरीदा गया था, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। जांच से ३० में से इक्कीस मामलों की जांच समाप्त हो गयी है। २ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और २१ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर दोषी पाये गये, उनपर अदालत में मुकदमें चलाने की संस्तुति की गयी। इस प्रकार से सतर्कता आयोग को सक्षम बनाने का प्राविधान रखा गया है।

होमगार्ड्स को हमने इस समय अधिक बलशाली और सक्षम बनाया है। इस सम्बन्ध में होमगार्ड्स के लिए अभी तक कोई कल्याण कोष की स्थापना नहीं हुई थी। जब कभी संकट का समय आता है, अधिक पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे समय में उनसे सहायता ली जाती है, लेकिन ३० साल में उनके लिए कभी कल्याण कोष की व्यवस्था नहीं की गयी। अबकी बार हमने, जनता पार्टी की सरकार ने ५० हजार की व्यवस्था की है जो कि संकट के समय ये मारे जाते हैं, इनपर विपत्ति आती है, इनके परिवार पर विपत्ति आती है तो उसके लिए यह व्यवस्था की गयी। ७,००० रुपया वार्षिक प्राविधान इनाम के लिए पूरे होमगार्ड्स के कोष में रखा गया था, यह पहली सरकार है कि उसने उसको बढ़ा कर इसको ५०,००० रुपया रक्खा है। पहले ५ रुपया भत्ता के रूप में दिया जाता था, उसको बढ़ा करके इस बजट में ६ रुपया कर दिया गया है। इस तरह से इस बात पर ध्यान रखा गया है कि होमगार्ड्स सक्षम बनें।

जहां तक कि पुलिस का सवाल है उस सम्बन्ध में इस पर ६,७४,९०,७०० रुपये की धनराशि रखी गयी है इस बात को देखते हुए कि पुलिस स्वावलम्बी हो। किस तरह से पुलिस को काम करना पड़ता है। अगर पूरे प्रदेश को देखें तो जो पैसा पुलिस पर खर्च होता है उससे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो हमने बजट में प्राविधान किया है वह पुलिस को सक्षम बनाने के लिए काफी होगा। गुजरात में १० हजार की जन संख्या पर पुलिस जनों का औसत १६·१२ है, प्रति पुलिस जन पर प्रतिवर्ष व्यय ६,१९८·६७ है। पंजाब में २०·२७ है तथा प्रतिवर्ष पुलिस पर व्यय प्रति पुलिस जन पर ५,८१५·७५ रु० है। महाराष्ट्र में १६·३२ है, और प्रति व्यक्ति वर्ष भर में व्यय ५,९७७·०० रुपये है। उत्तर प्रदेश का जब कि १२·२ है और वार्षिक प्रति पुलिस जन पर ५,२९३·४६ रुपये है।

प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को देखते हुये, इसके लिये जितने पुलिस जनों की आवश्यकता है वह हम पूरी नहीं कर सकते। फिर भी इस दिशा में जो कुछ सम्भव था वह हमने करने का प्रयास किया है ताकि जनता को अधिक अधिक राहत पहुंचायी जा सके। इसके लिये इस वर्ष इस मद में हमने पहले से धनराशि अधिक बढ़ायी है।

[श्री राम नरेश यादव]

इस बात का भी ध्यान रखा गया है और ऐसी व्यवस्था की गयी है कि पुलिस जनों को अपनी मोटर गाड़ियों से, जिनमें आवश्यक यन्त्र आदि लगे रहते है, गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में आसानी हो। कुछ जगह हमने और कन्ट्रोल रूम बनाने की भी व्यवस्था की है। रेडियो सेट्स तथा टेलीफोन आदि की भी कई जगह व्यवस्था की है।

इधर रेलवे ट्रेनों में भी हमको काफी मात्रा में पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी है। हमारे प्रदेश में ही लगभग ८,७५५ किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइनें ह। इस पर भी होने वाले व्यय को हमें वहन करना पड़ता है। छात्र और श्रमिक असंतोष के कारण भी काफी पुलिस की आवश्यकता पड़ी है। इसके लिय भी काफी परिवर्तन करनें पड़े हैं।

प्रशासनिक स्तर पर भी काफी सुधार किये हैं। अब तक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें केवल इलाहाबाद में ही हुआ करती थीं अब वे लखनऊ में भी हुआ करेंगी और अब की बार हुई भी हैं। इस जनता सरकार की ही यह उपलब्धि है। राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षायें लखनऊ में भी हुआ करेंगी इनके लिये भवन बनाने का काम भी शुरू किया गया है। इनको सक्षम बनाने के लिये और भी उचित एवं आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इन अनुदानों को, जो मैंनें सदन में प्रस्तुत किये हैं, पास करने की कृपा करें। जो भी उनके सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जायेगा, उनका स्वागत किया जायेगा और उन पर विचार करने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की सामलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ५--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या १८--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या १९--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या २१--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या २५--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ४०--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, अभी मैंने मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना और जैसा मुख्य मन्त्री जी हमेशा, क्योंकि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त रहा कि पिछले वर्ष भी मैंने सुना था और उसमें भी कई घोषणायें की थीं, लेकिन उन घोषणाओं के फलस्वरूप क्या हुआ, इस प्रदेश में, वह मैं समझता हूं कि किसी से छिपा नहीं है। श्रीमन् यह जो मुख्य मंत्री जी का बजट है, इसमें कई विभाग आते हैं। इसमें सबसे पहले मंत्रि मंडल आता है। तो क्रम से एक-एक विभाग की बात मैं करता चलूंगा। श्रीमन् सबसे पहले मैं मंत्रि परिषद् की बात करता हूं। आपको मालूम है विशेष रूप से कि यह मंत्रि परिषद् जो है वह मैं समझता हूं, मुझे तो दया आती है मुख्य मंत्री जी पर, मंत्रि परिषद् के जो सदस्य हैं, वे किस प्रकार से चल रहे हैं और यह तो आप पूरी शंकर की बारात लेकर चल रहे हैं। मंत्रि परिषद् के बारे में अभी आपकी पार्टी की, जनता पार्टी के उन मेम्बरान ने जनता पार्टी के अध्यक्ष को और प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई को लिखा है, तो मंत्रि मंडल के बारे में क्या कहा, देखें आप की उसमें उन्होंने सीधा-सादा आरोप लगाया कि यह मंत्रि मंडल ऐश्वर्य और बिलास की क्रांति ला रहा है और यह मंत्रि मंडल पूरी तरह से पुरानी नीति पर चल रहा है, ठीक बात कहा, क्योंकि लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रान्ति की बात कहते थे, मैं समझता हूं अधिष्ठाता जी, तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसमें ऐश्वर्य की जिन्दगी जी रहे हैं, साज-सज्जा, मोटर सबका जिक्र उन जनता पार्टी के विधायकों ने किया है और उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो यह आरोप लगाया है, खाश ठोस आधार पर लगाया है और मैं भी जानता हूं कि इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। इस वक्त सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर, जातिवाद और भाई भतीजावाद मंत्रि परिषद् में जो हो रहा है, उसका मैं जिक्र क्रम से करूंगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अब मंत्रियों के तालमेल देखें, समग्र क्रांति पर बड़ा जोर था, बड़ा हल्ला था, मैं भी समझता था कि शायद

[श्री गुलाब सेहरा]

कुछ नई बात आयेगी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं समझता था कि इनके मंत्रिगण जो हैं पैदल चलेंगे, जनता के पास जायंगे, जनता को पास आने देंगे, लेकिन श्रीमन् ये मंत्रिगण आज उन्हीं कोठियों में रह रहे हैं, लाल टोपी वाले सिपाही कोठियों के सामने आज भी रह रहे हैं। श्रीमन्, टाइम्स आफ इंडिया में एक कारटून निकला था। लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी समग्र क्रांति का बोर्ड लेकर चल रहे हैं, १०-२०-५० उनके पीछे हैं। दूसरी चीज उसमें यह दिखाई गयी है कि काफी आदमी इकट्ठा हो गये हैं। तीसरी चीज यह दिखाई गयी है कि चुनाव के द्वारा सत्ता को हथिया कर समग्र क्रांति लाई जाय। तो कारटून में जो था कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वे कुर्सी लेकर भाग रहे थे। लास्ट में जो कोना बनाया गया था, चौथा हिस्सा जो था, उनमें कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था और लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता--

क्या इसमें आपकी भर्ती भी अगल-बगल थी या नहीं ?

(हंसी)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं आपकी समग्र क्रांति की बात कह रहा हूं। मैं समझता था कि समाजवादी लोग हैं, मुख्य मंत्री जी लोहिया जी के समर्थक रहे हैं। लेकिन मंत्रि परिषद् की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में मैं ब्योरेवार बताऊंगा। मैं यह मसूस करता था कि शायद कोई नयी बात लेकर आयेंगे। मुझे याद आ गया।

रंगे महफिल देखने को होश में आया था मैं,

होश फिर उड़ने लगे हैं रंगे महफिल देखकर।

मान्यवर, मैं आठ दस महीने से स्थिति को देख रहा हूं। स्थिति क्या दिखाई पड़ती है कि मंत्री लोग डाइरेक्ट एप्वाइंटमेन्ट कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ मंत्रियों ने डाइरेक्ट एप्वाइंटमेन्ट किया है न सेक्रेटरी से पूछा, न डिप्टी सेक्रेटरी से और न डाइरेक्टर से पूछा है। इस तरह से डाइरेक्ट एप्वाइंटमेन्ट नगर पालिकाओं के सुपरेन्टेंडेंट के पदों पर हो रहे हैं। एक बात मैं पी० आर० ओ० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक मंत्री ने पी० आर० ओ० की जगह पर अपने दामाद को रख लिया। मैं क्या नाम बताऊं ?

एक सदस्य--

नाम बतायें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्री शारदा भक्त सिंह। उन्होंने अपने दामाद को पी० आर० ओ० रख लिया।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य आक्षेप लगा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं, कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ४२ मंत्री हैं। मैंने तो कहा था, मुख्य मंत्री जी शंकर जी की बारात लेकर चल रहे हैं । श्रीमन्, यह लोग क्या-क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ३० वर्षों की यह परम्परा रही है कि जो कारपोरेशन्स हैं, जो गवर्नमेन्ट की अन्डरटेकिंग्स हैं उसमें जानकार लोगों को रखा जायगा । हम तो विधायकों को रखते थे। लेकिन हमने पिछले साल समग्र क्रांति के अन्तर्गत राज्यपाल जी का अभिभाषण सुना । उसमें था कि कारपोरेशन्स और अन्डरटेकिंग उपहार की योजनाएं नही बनायीं जायेंगी। हमको प्रसन्नता हुई कि राज्यपाल जी ने नीति बता दी । लेकिन ताज्जुब तो यह है कि इन ३० वर्षों में कभी कोई मंत्री ही इन कारपोरेशन का चेयरमैन नहीं हुआ लेकिन श्री राजेन्द्र सिंह जो एग्रो के चेयरमैन हो गए। मुख्य मंत्री जी परेशान हैं, वह नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन धमकी आयी ऊपर से राजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राम प्रकाश जी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हूंगा । मुख्य मंत्री जी असमंजस में हैं । वह एग्रो के चेयरमैन हो गए। कभी परम्परा नहीं रही कि कारपोरेशन्स के चेयरमैन मंत्री होंगे ।

श्रीमन्, देखें एक मंत्री के बारे में बहुत साफ बात कह रहा हूं । हिन्दुस्तान के, भारत के प्राचीन इतिहास की एक पुस्तक है, 'पंचतंत्र' । लेखक हैं विष्णुशर्मा । कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक ग्रंथ हैं । उसकी एक घटना को हमारे एक मंत्री ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है । श्रीमन्, घटना बड़े संक्षेप में इस प्रकार है । कोई बहुत बड़े महात्मा नदी को पार करने के लिए किनारे पर पहुंचे । तो वहां जो केवट था जो नाव चलाता था तो उसने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या दुख है तुमको। तो केवट ने कहा कि महात्मा जी मैं ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक लोगों को ढोता हूं, इस पार से उस पार । लेकिन फिर भी दरिद्र हूं, भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है । तो महात्मा जी ने पूछा किराया कहां लेते हो । किराया इस पार लेते हो या पल्ली पार लेते हो । तो उसने कहा पल्ली पार लेता हूं । किराया दे जाते हैं । तो उसने कहा आधे लोग कूद कर भाग जाते हैं और आधे से किराया मिलता है । उसने कहा तुम्हारी गरीबी का दरिद्रता का यही कारण है । लेना है तो इसी पार लो, बीच में लो । तो मंत्री जी पहले ले लेते हैं, बीच में ले लेते हैं, पीछे का जिक्र नहीं होता है । तो श्रीमन्, मंत्रि परिषद् ने उस कथा को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है ।

श्रीमन्, जनता पार्टी के मैनिफैस्टों में केनेलाइजेशन की बात, कुछ उद्योगों के पूंजीपतियों के द्वारा गवर्नमेन्ट को परचेजिंग करने का कोई जिक्र नहीं है । लेकिन यहां इस मंत्रि परिषद् के सदस्य हमारे विद्युत् मंत्री ने कैनेलाइजेशन कर दिया

[श्री गुलाब सेहरा--]

मीटर खरीदने और रेगुलेटर खरीदने के ऊपर। श्रीमन्, देखें आप। ये चार कम्पनियां हैं। श्रीमन्, मीटर बनाने वाली कम्पनियों का तांता लगा रहता है प्रदेश में और देश में। मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता। ये चार कम्पनियां हैं--मीटर इन्स्ट्रुमेन्ट कम्पनी, चन्डीगढ़, जी० ई० सी० कलकत्ता, डेस हिटाची कम्पनी, कलकत्ता, रिमियों कम्पनी, कलकत्ता यूनिवर्सल कम्पनी, कलकत्ता। इनमें से एक कम्पनी ब्लैक लिस्टेड हो गयी है। लेकिन विद्युत् मंत्री जी मीटर और रेगुलेटर को खरीद रहे हैं।

एक सदस्य--

कहीं मारुति कम्पनी तो नहीं है..

श्री गुलाब सेहरा--

उसकी वजह से तो हम इधर आ गए। आपके दोष बता रहा हूं। एक बात मैं नहीं कहना चाहता हूं कि लेकिन कह ही देता हूं। लेने की जब प्रवृत्ति चलती है तब बिना कहे नहीं चूकता। विद्युत् मंत्री जी के बारे में जो बात मैं बताने जा रहा हूं श्रीमन्, उसका स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री जी देंगे मुझे, इसकी आशा है। विद्युत् मंत्री जी की प्रवृत्ति लेने की बनी, श्रीमन्, स्पष्ट आरोप लगाता हूं, उन्होंने अपने लड़के की सगाई में बिजली के कन्ट्रैक्टर से जो बम्बई में है एक लाख रुपए का दहेज लिया। विचार करें।

एक बात और स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जनता पार्टी का एक घटक है, घटक का नाम नहीं लेता, लेकिन इस विधान सभा के सामने एक मकान है, एक महिला का, नैयर का उनके यहां पार्टी के नाम पर, प्रत्येक ट्रान्सफर में, सरकार के काम में, पार्टी के नाम पर चन्दा लिया जाता है। मुख्य मंत्री जी..

एक सदस्य--

सफेद झूठ है..

श्री गुलाब सेहरा--

बात यह है सत्य कड़ुवा होता है आसानी से स्वीकार नहीं होता है। तो श्रीमन्, वैसे अभी काफी मंत्री हैं लेकिन एक मंत्री हैं सत्यदेव त्रिपाठी, मेरे साथी हैं, उनका जिक्र पहले करूं। श्रीमन्, जब वह कभी भाषण हिन्दी में देंगे तो अंग्रेजी में लगेगा और अंग्रेजी में देंगे तो हिन्दी में लगेगा। श्रीमन्, उनके क्षेत्र का यह अखबार है। इस अखबार में लिखा है "लोहिया के आदर्श पर सत्यदेव त्रिपाठी एक काला दाग है" आगे कुछ नहीं कहता हूं। श्रीमन् क्योंकि मेरे शहर आगरे से केवल ७२ किलोमीटर दूर है..(व्यवधान) श्रीमन्, दूसरी बात कहता हूं जिसको आप देखें। आपको याद होगा--आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। यहां पर विरोधी पक्ष के नेता के रूप में चौधरी साहब थे आज कल भारत के गृह मंत्री हैं। मैंने उनको यहां दो-दो घंटे व्यक्तिगत आरोप पर बोलते देखा। जब यहां १९७४-७५ में थे तो दो घंटे संजय गांधी पर बोल गए, एक घंटा इन्दिरा गांधी पर बोल गए, एक घंटा कमलापति त्रिपाठी के परिवार पर बोल गए। हम भी सोचते हैं. (व्यवधान) ...

श्रीमन्, मैं परिवार की परम्परा पर बोल रहा था। चौधरी साहब परिवार की परम्परा पर बोलते थे। हम भी महसूस करते थे कि परिवार की परम्परा चल रही है इस प्रदेश में। श्रीमन्, परिवार नियोजन से हमको तो कष्ट हुआ ही, इनको भी भय लगा। इन्होंने उसका नाम बदल दिया। कांग्रेस पार्टी उस नाम से चली गयी तो इन्होंने उसका नाम बदल दिया और नाम रखा परिवार कल्याण। जब इन्होंने नाम बदला तो हमारी समझ में नहीं आया लेकिन अब समझ में आ गया। परिवार कल्याण कैसे। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष का परिवार कल्याण इस प्रदेश में कैसे हो रहा है। कांग्रेस की परम्पराओं का डटकर विरोध करने वाले विरोधी नेता की हैसियत से चौधरी साहब यहां तीन-तीन घंटे बोलते थे। मैं उनका परिवार कल्याण बतलाना चाहता हूं। उनकी एक लड़की [×××] वाइस प्रेसीडेन्ट है सोशल वेलफेयर बोर्ड की।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता--

सेहराजी, आपने चौधरी साहब का नाम लिया, वह हाउस में नहीं हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

उनके परिवार के बारे में कह रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

उनके दामाद...

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

यह व्यक्तिगत बात कर रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मेरी आपसे व्यवस्था है कि इसको कार्यवाही का भाग न बनावें। आपने मना किया कि चौधरी साहब हाउस में नहीं हैं और यह फिर भी कहते जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसको बाद में देख लिया जायगा।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरी सिंह--

यह व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है । मेरे पिता जी चौधरी साहब के अभिन्न मित्र रहे हैं ।

श्री हरी सिंह--

हम यह चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं बतला रहा था कि भारत सरकार के गृह मंत्री के दामाद बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन हैं ।

श्री हरी सिंह--

सेहरा जी, आप भाषण करिए, यह नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

हरी सिंह जी, आप बैठे ।

श्री हरी सिंह--

इन्होंने कमाल कर दिया ।

श्री गुलाब सेहरा--

भारत सरकार के गृह मंत्री के भांजे डिप्टी चेयरमैन ।

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

हम तो अंग्रेजी बोलते हैं आप हिन्दी बोल ।

श्री गुलाब सेहरा--

वह डिप्टी चेयरमैन हैं हिल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के । उनके एक बड़े दामाद श्री सिंह जो डाक्टर हैं और जिनके द्वारा आपरेशन के बाद एक मरीज के पेट से टांके लगने के बाद कैंची निकली और उसमें एक नर्स फंस गयी और उनको प्रोमोट कर दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

यह बात बहुत बार उठ चुकी है । इसकी पुनरावृत्ति से क्या लाभ होगा । स्टैंडर्ड की बात करें ।

श्री गुलाब सेहरा--

ठीक है, अब दूसरी बात कहता हूं । साढ़ू साहब एम० पी० हो गए । मैं नाम नहीं लूंगा, कई नजदीकी रिश्तेदार मंत्री हो गए, पूरी लिस्ट है । मंत्रिमंडल

का जो उत्तरदायित्व है वह सामूहिक होता है। अब आप देखें कि मंत्रिपरिषद् के लोग कैसा बयान देते हैं। ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी शायद कुछ मंत्रि परिषद् के सदस्यगण से बात ही नहीं करते। आप देखें एक एक के बयानों को। मंगलवार १ तारीख को विद्युत् मंत्री जी ने बयान दिया हिंडालको का राष्ट्रीकरण राष्ट्रीय हित में। उसमें लिखा है कि मैं हिंडालको का राष्ट्रीकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिख रहा हूं। दूसरा बयान देखें। यह भी मंगलवार एक तारीख को इसी सदन में दिया गया। इसको मंत्रि परिषद् के सदस्य श्री रेवतीरमण सिंह ने दिया। उन्होंने कहा हिंडालको का राष्ट्रीकरण विचाराधीन नहीं। प्रदेश का यह मत राज्य सरकार ने केन्द्र को अवगत करा दिया है। पहला बयान शाही जी ने औपचारिकता से हट कर सदन के बाहर किया था। मंत्री की कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती, जो भी राय होती है वही सरकारी होती है। इस प्रकार शाही जी ने कुछ कहा और रेवतीरमण जी ने कुछ कहा।

दूसरा बयान मेरे दोस्त सत्य देव त्रिपाठी ने इस विधानसभा में आरक्षण की नीति को घोषित करते हुए दिया। एक प्रश्न था जिसके उत्तर में त्रिपाठी जी ने कहा था जो आरक्षण जनसंख्या और जातीयता के आधार पर किया गया है उसमें आर्थिक मुद्दे को भी शामिल करने की कोशिश करेगी। आपका जवाब है आरक्षण की नीति पर सरकार अडिग है। लेकिन उन्हीं त्रिपाठी जी ने औरैया में क्या कहा "आरक्षण की दोहरी नीति पर बल"। उस सभा में क्षेत्रीय विधायक भारत सिंह चौहान तथा संसद सदस्य, श्री ब्रज भूषण तिवारी भी थे। उसमें त्रिपाठी जी ने कहा सरकारी सेवाओं में आरक्षण जातीयता तथा आर्थिक पहलू के आधार पर ही होना चाहिए। दो रूप आपको देखाई देंगे। क्या शेख चिल्ली वाली बात है? वहां आर्थिक पहलू भी जोड़ लिया। मुख्य मंत्री ने यह जवाब दिया काका कालेलकर की रिपोर्ट आ जाएगी तो आक्षरण की नीति तय होगी। इस तरह तीन व्यक्ति अलग-अलग बातें कह रहे हैं सत्यदेव त्रिपाठी जी वाक पटुता में सानी नहीं रखते। विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा लाठी चार्ज नहीं, ४२ घायल हो गए परस्पर विरोधी है। यह उत्तर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में दिया था लाठी चार्ज कोई नहीं हुआ लेकिन ४२ घायल हो गए। मेरे मित्र की बात छोड़ दीजिए मान्यवर, जब गोष्ठी होती है तो वह कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं मुख्य मंत्री जी बड़े व्यस्त हैं मुझे २८ विभाग देखने पड़ते हैं। मैंने शुरू में कहा कि वह अंग्रेजी को हिन्दी स्टाइल में बोलते हैं और हिन्दी को अंग्रेजी स्टाइल में बोलते हैं।

श्रीमन्, अब जरा दूसरे मंत्री जी की सुनें। हमारे खाद्य मंत्री श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हैं। कमाल है। इस सदन में उन्होंने एक क्वैश्चन के जवाब में कहा कि गेहूं के नियंत्रित मूल्य बढ़ाये जाने की संभावना। लेकिन इसी में उन्होंन कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं का मूल्य १२५ रु० करने की मांग केन्द्र सरकार से की है। और कहते हैं कि ११५ से १२० रु० निश्चित करने की सम्भावना है। श्रीमन्, बड़े तेज चलने वाले लोग हैं, बड़ा भविष्य उनको दिखाई दे रहा है। मेरे आगरे का एक किस्सा है। इसी में दूसरा बयान उनका सुन लीजिए, कहते हैं कि गेहूं का अधिक मूल्य देने में सरकार असमर्थ है।

श्री अधिष्ठाता—

यह बयान कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह अखबारों का कटिंग है आप कहें तो मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। यह अखबार हैं जो जनता पार्टी की तारीफ करते हैं। दूसरा उनका यह निकलता है अधिष्ठाता महोदय कि गेहूं का अधिक मूल्य देने में सरकार असमर्थ है यह १९ तारीख "दैनिक जागरण" है। (व्यवधान) नवजीवन जानबूझ कर मैंने ही लिया मंत्रिपरिषद् की यह हालत है मुझे तो मुख्य मंत्री जी पर दया आती है। मुझे इनफारमेशन आफिसर ने बताया कि जिलों में इतने मंत्री पहुंचते हैं कि महीने में चार बजे बाद रोज प्रेस कनफ्रेंस होती है ३० नहीं तो २८ तो होती ही होगी। नीति के सम्बन्ध में मैं बतला रहा था कि परस्पर विरोधी बातें आती हैं। चूंकि ऐसी हवा चली जिनको कुछ पता नहीं था वह भी चुन कर आ गए और मंत्री भी हो गए। श्रीमन्, उन्हें नहीं मालूम कि क्या वक्तव्य होता है। श्री हरीसिंह जी बड़े गर्म होते हैं। इन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है। लेकिन इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी के सहयोगी उसे आउट करते हैं। यह १८ अप्रैल का 'नवजीवन' है (व्यवधान) इसमें विधान सभा की कार्यवाही आई है अगर गलत छपा जाता है तो उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठ जाता है।

मान्यवर, इसी सदन में प्रश्न काल में श्रीमती चन्द्रावती ने कहा कि भटनी क्षेत्र का गन्ना देवरिया को ले जाने के वह खिलाफ थी, लेकिन मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप के कारण अपनी इच्छा के विपरीत फैसला बदलना पड़ा। तो यह गोपनीयता भंग की। उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने कहा इसमें छपा है श्री बनारसी दास ने कहा यह औचित्य का प्रश्न नहीं है लेकिन इस प्रकार का विरोधी भाषण सदन में आना गलत है। उन्होंने कहा संसदीय प्रणाली के अनुसार श्रीमती चन्द्रावती को मुख्य मंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी फैसले में मंत्रि परिषद् का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। उन्होंने कहा है कि यह मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता का प्रश्न है। श्रीमन्, इस पर अध्यक्ष भी अपनी रूलिंग दे रहे हैं। आप कहते भी होंगे तो यह मानते नहीं होंगे, क्योंकि इन सब की डोर ऊपर से है। ऊपर से सेलेक्ट करके भेज दिये गये हैं। जो दोष हम पर आता था, उससे यह भी मुक्त नहीं है। रेपसीड के बारे में यहां बड़ा हल्ला मचा। हमारे यहां आगरा में व्यापारियों ने रेपसीड में बड़ा गड़बड़ घोटाला किया। उन्होंने रेपसीड को मस्टर्डआयल में और पाम आयल को वेजीटेबुल आयल में मिलाकर और उसे जमाकर बेच दिया और इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया। जब वह पकड़े गये, तो खाद्य मन्त्री जी अपना प्रोग्राम बीच में रद्द करके आगरा पहुंचे और यह इंस्ट्रक्शन दिया कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय। यह बात सदन में आई थी और यह मालूम हुआ कि एक महीने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ एफ० आई० आर० लिखाई गई।

जिलों में जो खाद्य कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें सब के सब व्यापारी भर दिए गये हैं। क्या विडम्बना है कि जो गल्ले का व्यापारी है वह गल्ला कमेटी में है और जो तेल का व्यापारी है वह तेल से सम्बन्धित कमेटी में है। तो इनके परस्पर विरोधी वक्तव्य रोज निकलते हैं। यह सरकार को साथ ही चेतावनी भी देते हैं। एक विवाद वाला स्टेटमेन्ट है श्री रामप्रकाश जी का ११ अप्रैल वाले दैनिक जागरण में। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि— सरकार बड़े उद्योगों की उपेक्षा नहीं करेगी। किन्तु नीचे लिखा है—बड़े उद्योगों के कारण छोटे उद्योग नहीं

पनप पा रहे हैं। क्या कन्ट्राडेक्टरी बयान है एक तरफ यह है कि बड़े उद्योगों की उपेक्षा भी नहीं की जायेगी और आरोप यह भी है बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को पनपने नहीं दे रहे हैं। अब मेरे पास यह १७ अप्रैल के स्वतन्त्र भारत की एक कटिंग है, उसमें लिखा है-स्वदेशी मिल के अधिग्रहण में मंत्रिमंडल में मतभेद। यह श्रम मंत्री का बयान है-कि मांगें मनवाने के लिए सशक्त भूमिका जरूरी है। यानी इस सरकार के लिए सशक्त भूमिका जरूरी है, क्योंकि यह सरकार ढुलमुल है, कमजोर है।

अब मेरे पास संसदीय कार्य मंत्री श्री मधुकर दिघे का बयान है कानून और व्यवस्था की बात के बारे में। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम सजग हैं, लेकिन वह सचेत हैं, सजग हैं गोलियां चलने में और हरिजनों का उत्पीड़न करने में, शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में तो कहीं सजग हैं नहीं,—"कानून व्यवस्था पर अपेक्षित नियन्त्रण नहीं।" अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परस्पर विरोधी बयान देकर यह क्या कर रहे हैं। लोग मुख्य मंत्री जी से चाहते हैं कि वह अच्छे कार्य करें और इसलिए जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता ने मुख्य मंत्री जी के पक्ष में कहा कि मुख्य मंत्री जी अपने सहयोगियों पर कड़ी नजर रखें। यह ११ अप्रैल को जनता पार्टी के खजांची श्री चन्द्रभानु गुप्त ने अपने बयान में कहा है।

एक दूसरी मजे की बात यह है कि इनके कुछ घटक के नेता लोग महा-मंत्री आदि प्रशासन में विभागाध्यक्षों, सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे हैं। पिछले दिन पत्रों में एक फोटो निकला कि जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्री नाना जी देशमुख खाद्य विभाग के विभागाध्यक्षों और सचिवों को सम्बोधित कर रहे हैं। जिस मंत्री को जैसा मन में आता है, वैसा बयान दे देता है, चाहे वह उसके विभाग का हो या नहीं। "स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा शिक्षा नीति में परिवर्तन की मांग।" मैंने शुरू में कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से आशा करते थे कि ८-१० महीने में कुछ व्यवस्था बनी होगी। लेकिन कुछ नहीं बनी। यह जनता पार्टी के अध्यक्ष, अब्बास अली कहते हैं, सरकार कोई क्रान्तिकारी काम नहीं कर पायी, गोरखपुर में यह बयान दिया। संगठन का भी बहुत झगड़ा है। अखबार उनसे रंगे आते हैं। रामधन जी का भी बयान है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतना हाचपाच काम है अब हम सचिवालय को लेते हैं।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

यह बजट पर बोल रहे हैं? या किस पर बोल रहे हैं?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने मंत्रि-परिषद् शीर्षक लेकर बोला है। अब मैं सचिवालय पर बोल रहा हूं। चन्द्रशेखर जी को लिखा है, जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, प्रदेश का प्रशासन मंत्रि-परिषद् पर हावी है।

एक सदस्य—

इनको कितना समय मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए । बीच में टोकाटाकी नहीं ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी डाक्टर लोहिया के शिष्यों में रहे हैं, लेकिन जो हाचपाच लोहिया जी ने कहा था, दिशाहीन मुल्क की राजनीति जब सचिवों के हाथ में दी जाती है, वही चरितार्थ हो रहा है । कौन है ? यह जनता पार्टी के विधायक ने लिखा है उसमें से कोट कर रहा हूं । डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने यह लिखा है ।

श्री रामनरेश यादव--

जिस पत्र को आपने कोट किया है, उसकी प्रेस लाइन बता दीजिए ।

श्री गुलाब सेहरा--

नाम छपा है ।

श्री रामनरेश यादव--

अगर प्रेस लाइन है तो बता दें । अगर नहीं है तो कह दें, नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें प्रेस लाइन है या नहीं ? सेहरा जी बैठिए । इसमें साधारण सी बात है । जो आपका सोर्स है प्राप्त करने का, उसका आधार क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए ।

श्री गुलाब सेहरा--

प्रेस का नाम नहीं लिखा है । लेकिन दारुलशफा का पता लिखा है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह आपकी मनगढ़न्त कहानी भी हो सकती है ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं जो कहना चाहता था वह यह कि कितना हाचपाच है । मैं सचिवालय की एक एक घटना को लेता हूं । पिछले चीफ सेक्रेटरी ने जब दिल्ली का कार्यक्रम बनाया रात्रि को, उस रात्रि को जब माननीय मुख्य मंत्री के स्टाफ को और चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ को दिल्ली को रात में ९ बज कर ४० मिनट पर मेल से जाना था । रात्रि को साढ़े आठ बजे दिल्ली जाने से पहले चीफ सेक्रेटरी को आर्डर दे दिया गया कि चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया जाता है । सबेरे से शाम तक उसको नहीं पता था । एक मिनट में मामला हुआ । हाचपांच ।

श्री रामनरेश यादव--

इसमें क्या गलती हो गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, तीन महीने पहले इस सचिवालय में खूब ट्रान्सफर हुए । अब मैं ३ ट्रान्सफर को कोट करता हूं । डाइरेक्टर लोकल बाडीज को सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन

पर नियुक्त किया गया और एक हफ्ते वह उस पद पर रहे और फिर उनको हटा दिया गया। यानी निर्णय लेने की क्षमता और अगर निर्णय ले लिया है तो उस पर स्थिर रहने की क्षमता इनमें नहीं है। दूसरा देखिए कि श्री जी० सी० चतुर्वेदी जो आयुक्त एवं सचिव खाद्य विभाग के थे उनको वित्त सचिव बनाया गया और ५ वें दिन कहा गया कि आप वहीं पर फिर बैठ जाइए। तीसरा सुनें। कृषि उत्पादन आयुक्त को नियुक्त किया गया और फिर हटाया गया। हमारे मुख्य मंत्री जो पिछले साल कह चुके हैं कि हम किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। मैं उदाहरण दूंगा। श्री जी० पी० पान्डे, आई० ए० एस०, चेयरमैन, लेबर ट्रिब्युनल बना दिए गए, उनको एक्सटेन्शन दिया गया। सोनवीर सिंह, ज्वाइन्ट डायरेक्टर थे, एक विभाग में रिटायर हो गये, ४-६ महीने हो भी गये, उनको कृषि विभाग की ओर से सीड कारपोरेशन का चेयरमैन बनाने की संस्तुति केन्द्रीय कृषि विभाग को की गयी है। कहते हैं एक्टेन्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं। यह निर्णय की क्षमता नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मैंने यहां के अफसरों की बात कही, पी० सी० एस० अफसरों को जिस तरह से ट्रान्सफर किया गया है उसका कोई नमूना नहीं है। सबसे पहले मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी निश्चित जुलाई की उस तारीख के बाद किसी विभाग में कोई स्थानान्तरण नहीं होगा। मैं उन विभागों के नाम बता रहा हूं जहां पर आज भी ट्रान्सफर जारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में मास ट्रान्सफर किए गए और इतने ट्रान्सफर हुए और श्रीमन्, हमेशा यह परम्परा रही है कि सर्विस में पति पत्नी हों तो कोशिश यह की जाती है कि वे दोनों एक ही जगह पर रहें, लेकिन इस शासन ने उनको चकई और चकवा बना दिया है। पति एक जगह और पत्नी दूसरी जगह। विद्युत् विभाग में हाइडिल में लाइन मैन से जोनल चीफ इन्जीनियर तक के ट्रान्सफर किए गए। इनमें विद्युत् मंत्री जी का निदेश था। इस शासन में निर्णय लेने की क्षमता है ही नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। मेडिकल फिटनेस के लिए पहले २ अफसर रहते थे। पहले तय हुआ कि सी० एम० ओ० मेडिकल फिटनेस देंगे। यह तीन महीने चला, फिर लिखा गया कि नहीं यह डिप्टी सी० एम० ओ० देंगे। वह भी तीन महीने चला और अब यह आदेश दिए गए कि दोनों फिटनेस सर्टीफिकेट नहीं देंगे। इसे हास्पिटल का सुपरिन्टेन्डेन्ट देगा। मैं कहूंगा कि इतनी अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता नामक बीज किसी भी शासन में दिखाई नहीं दी है। हाइडिल में इन्जीनियरों के ट्रान्सफर किए गए। वह बेचारा ज्वाइन करने गया तो वहां पर दूसरा व्यक्ति मिला। पता लगा कि उनका स्टे हो गया। बहुत से लोग ३-३ और ४-४ महीने इसी चक्कर में पड़े रहे।

पुलिस विभाग में एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो सी० आई० डी० और विजीलेन्स विभाग में थे उनको निकाल कर सिविल पुलिस में रखा गया। अब मैं आपका ध्यान इसी हफ्ते की ब्लिट्ज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पेज ११ पर जो दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ का है लिखा हुआ है "पुलिस विभाग में जाट गर्दी"। यह इस पत्र में शीर्षक है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में इस बात का क्यों षड्यंत्र किया गया है कि जो लोग किसी विशेष जाति के

[श्री गुलाब सेहरा--]

सी० आई० डी० और विजीलेन्स में और अन्य विभागों की विजीलेन्स सेल्स में थे उनको क्यों वहां से सिविल पुलिस में थाने-थाने पर पहुंचा दिया गया । मान्यवर, आप देखें कि कितना हास्य-पास्य काम है । लखनऊ में ही इस शहर के पास, प्रशासन की नाक के नीचे, उन्नाव के एस० पी० का स्थानान्तरण कर दिया गया है । अखबार में निकला कि स्थानान्तरण से जनता में तसल्ली है । फेयरवेल हो गया है, बिस्तरा बंध गया लेकिन दौड़ भाग करके श्री ए० एन० सिंह, एस० पी० फिर वहीं पर रह गये । मेरा कहना तो यह है कि या तो ट्रान्सफर न हो जब तक आवश्यक न हो और जब कर दिया जाय तो फिर उसे किसी भी दशा में रोका न जाय ।

जहां तक आरक्षण की बात है माननीय मुख्य मंत्री ने बड़े जोर से २१ अप्रैल को परिषद् में बयान दिया कि इस सचिवालय में प्रवर वर्ग के ११२४ और अवर वर्ग के ७०३ लिपिकों में से अनुसूचित जाति के ६३ और ६८ हैं । शैड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों की जहां तक स्थिति का सम्बन्ध है शासन में वह सबसे खराब है । लोगों को निलम्बित कर दिया गया है । छोटे-छोटे केसेज में उनको फंसा दिया गया है । पिछले प्रशासन में शेड्यूल्ड कास्ट के १५ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, १२ एस० पी० और ४ ए० डी० एम० थे जो अब ६, ७ और एक की सूची है । मान्यवर, यही नहीं हमारे सचिवालय में जहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, मंत्रि परिषद् है, वहां पर यह हालत है । मुझे तो यह भी मालूम पड़ा कि विधान सभा के सत्र के बाद यहां पर कोई मंत्री मिलता ही नहीं । वे दौरे करते हैं । इनकी मदों को देखिए जो आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र के पृष्ठ ८० पर छपा है अनुदान संख्या ३ के नीचे । इसमें दिया हुआ है कि "सम्मान सत्कार तथा अन्य भत्ते (प्लस-२७) वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अनुमन्य होने के कारण इस मद के अन्तर्गत २७ की वृद्धि हुयी है ।

"दौरा व्यय (प्लस १००) वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर तथा जनहित में अधिक दौरे करने के कारण इस मद में १०० की वृद्धि प्रदर्शित है । अन्य व्यय--(प्लस ५, ४५)--इस मद में मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए बजट वर्ष में गाड़ियों के लिए व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप "गाड़ियों के क्रय" की मद म २,९० की वृद्धि हुयी है । वास्तविक आवश्यकता तथा व्यय की वास्तविक प्रगति के आधार पर "अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद" की मद में २५ की वृद्धि प्रत्याशित है । इसी तरह मंत्रिमंडल के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन की व्यवस्था के निमित्त नयी मदों के माध्यम से १ लाख ३० हजार रुपये का प्राविधान किए जानें के फलस्वरूप प्रदर्शित किया गया है । ये टेलीफोन दिल्ली, पटना और चंडीगढ़ आदि स्थानों पर सम्पर्क करने वाले नहीं हैं बल्कि उन स्थानों के टेलीफोन हैं जहां के वे रहने वाले हैं । वहां पर भी इन्हें टेलीफोन दिए जायेंगे, नयी लाइनें लगायी जायंगी, आखिर मंत्री हैं, उनको यह सुविधा तो मिलनी ही चाहिए । और मितव्ययिता की बात मुख्य मंत्री जी रोज करते हैं । कोई किसी को मानता ही नहीं, जो चाहते हैं जिसको ट्रान्सफर कर देते हैं । ऐसी धांधले-बाजी चल रही है, मुझे कुछ अफसरों का मालूम है कि ८-८, ९-९ महीने हो गये आई० ए० एस० अफसर, सीनियर को फ्लैट नहीं मिल पाया । जिसको मंत्री ने रिकमेंड किया उसको मिल गया अगर व्यक्तिगत रूप से रुचि ले ली । इसके अलावा आउटडोर पेशेंट्स की जो हालत अस्पतालों म होती है उसमें जब से स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की है तो दिन निर्धारित कर दिए हैं कि इस टाइम से इस

टाइम तक डाक्टर बैठेंगे । अधिकांश डाक्टरों का कहना है कि ९ बजे से डेढ़ बजे तक बैठने का प्राविधान है, अस्पताल में ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त होने जा रहा है ।

श्री गुलाब सेहरा--

समय तो आपका समाप्त होने जा रहा है, मेरा कैसे ?

श्री अधिष्ठाता--

ज्यादा से ज्यादा २ मिनट ।

श्री गुलाब सेहरा--

यह तो बहुत कम है ।

श्री अधिष्ठाता--

३ मिनट ।

श्री गुलाब सेहरा--

३ मिनट तो अपशगुन होता है । तो मैं कह रहा था कि ९ बजे से डेढ़ बजे तक मंत्री जी जिन डाक्टरों को बुलवाते हैं यहां के जो विशेषज्ञ हैं उनको साढ़े १० बजे, ११ बजे बुलवाते हैं और जिस गरीब के नाम पर, जिसके हिमायती बनकर इस शासन में आते हैं वह इधर-उधर घूमता फिरता है ।

अब मैं पुलिस प्रशासन की बात करता हूं । लास्ट प्वाइन्ट है । इसी में पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आ जायगा । इस प्रदेश में अब तक ३६ गोली कांड हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मजदूरों ने रोटी मांगी--जिस मजदूर ने भूख से बिलबिलाकर अपनी मांगों को मांगा तो मांग देने के बजाय आपका शासन उसे गोली देता है और जितने मजदूर कानपुर, गाजियाबाद, पन्तनगर में मरे हैं वह मैं आपसे कहता हूं, मुख्य मंत्री जी विशेष रूप से कि--

यों तो मौत बसा करती है श्मशानों में
घोर सन्नाटा लिये दूर बियाबानों में ।
मगर भूख जब खाती है जवां जिस्मों को
तो मौत ठहर जाती है बस्तियों और मकानों में ।।

यह मौत बस्तियों और मकानों में आज ठहर गयी है जिसको श्मशान में रहना चाहिए था । आज मजदूरों के औद्योगिक क्षेत्रों में गोलियां चलाई जा रही हैं और फिर आंकड़े गलत दिये जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त कीजिये ।

विधान सभा

श्री गुलाब सेहरा—

आज सुबह मैंने रेडियो खोला । तीन घटनाएं एक साथ सुनने को मिलीं । देहरादून में लाठी चार्ज, हापुड़ में लाठी चार्ज और आगरा, जहां से मैं आता हूं वहां तो कल इतना जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ कि ढाई सौ औरतें, बच्चे और आदमी जो विशेष रूप से हरिजन थे अनुसूचित जाति के थे उनको बर्बरता से पीटा गया और कोई सुनवाई नहीं । अस्पताल में देखने गया तो सैकड़ों आदमियों के फ्रैक्चर हो रहे थे और पूछा गया तो पता लगा कि बिना किसी बात के शांतिमय प्रदर्शनकारियों पर इस तरह से बर्बर लाठी चार्ज हो सकता है प्रदेश के प्रशासन द्वारा ।

दूसरी बात हत्याएं डकैतियां और चोरियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने खुब बताया । १९७७ के ८ महीने में हत्याएं ३, १७८ । डकैती के मामले ३१७, राहजनी के मामले ५, ९०३, चोरियां ५७,९४५ और अन्य अपराध १,५९९ । और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ६९२ बलात्कार हुए । और हरिजन उत्पीड़न जो सबसे अधिक हुआ वह उत्तर प्रदेश में हुआ । यह स्वयं सेंटर के होम मिनिस्टर श्री मंडल ने माना है जैसा कि उनका बयान है लोक सभा में ।

गुजरात में १५७, राजस्थान में ८७ और श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में १,३८२ हरिजन उत्पीड़न की घटनायें हुई हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

ला एन्ड आर्डर की हालत प्रदेश में इतनी खराब हो गयी है कि इतनी कभी देखने में नहीं आयी । मान्यवर, प्रशासन का आधारभूत उसूल यह होता है कि वहां ला एन्ड आर्डर की स्थिति अच्छी हो । जब तक यह नहीं होगी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती । माननीय मुख्य मंत्री ने विनियोजन की बात कही है अगर उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने की घोषणा की होती तो मैं समझता कि उनके दिल में बेरोजगारों के प्रति दर्द है । इस प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन भी ३० प्रतिशत पहले से गिरा है । ५ करोड़ रुपये प्रतिमाह का इस प्रदेश को लास हो रहा है । विद्युत् उत्पादन भी १५ प्रतिशत घटा है । प्रति व्यक्ति आय भी पहले से गिरी है । इसलिए मैं चाहूंगा माननीय सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें । आपके मंत्रि परिषद् की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । गांव में एक कहावत है । एक ने कहा कि आपका लड़का बहुत समझदार है । उसने कहा हां, वह बहुत समझदार है । पूछा क्यों ? उसने कहा कि वह किसी की नहीं मानता। वह अपने बाप की भी नहीं मानता । तो यही हालत है आपके मंत्रि परिषद् की । कोई एक दूसरे की नहीं मानता । आपकी भी कोई नहीं मानता, मुख्य मंत्री जी । लोकनायक जय प्रकाश जी की भी बात नहीं मानते । मंत्रिपरिषद् में ऐसा ढोलपोल हो रहा है कि लोग दोनों हाथों घसीटने में लगे हुये हैं । और प्रदेश की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सेहरा जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से और गम्भीरता के साथ सुना है । अभी जिन अखबारों को

वे यहां पर पढ़ रहे थे उसके लिये आपको इस जनता पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहिये था, कि आज उनको वे यहां पढ़ सके। (व्यवधान) वर्तमान केन्द्रीय गृह मंत्री पहले माननीय तिवारी जी के काल में यहां पर साढ़े ४ घंटे बोले थे और दूसरे दिन अखबार में केवल इतना ही छपा था कि चरण सिंह भी बोले। साढ़े ४ घंटे की बहस करने के बाद केवल इतना ही छपा था कि "चरण सिंह जी ने भी बहस में हिस्सा लिया"। यह थी आपके जमाने में आजादी। आज आपको भाषण की स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। आप यहां पर चाहे जितनी भी अनर्गल से अनर्गल बात करें, दूसरे दिन अखबारों में अतिरंजित ढंग से छप जाती है। इसके लिये तो कम से कम आपको इस सरकार को बधाई देनी चाहिये थी। आपने मंत्रि परिषद् के लोगों पर सामूहिक हमला किया।

अलग-अलग बताइये, मैं नहीं कह सकता हूं कि इसमें आपकी बात सब गलत होंगी, अगर इसमें सच्चाई होंगी, तो मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और मैं जोरदार रूप से कहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन के लिए जांच कराना चाहिए। आपने बहुत से मंत्रि परिषद् के लोगों को कहा कि यह खराबी है। मैं साढ़े दस करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर एक आदमी में हिम्मत हो कि एक वर्ष के शासन में माननीय राम नरेश, नेता सदन, जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने एक नया पैसा कहीं किसी से खाया हो, हिम्मत हो तो यह भी बता दीजिए, कम से कम जिन मंत्रियों के बारे में आपने शिकायत की, तो एक बार नेता सदन के बारे में भी बता दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं सेहरा साहब, जो मंत्रियों की सही रिपोर्ट होती हैं वह उनके शैडों से मिलती हैं।

मैं एक दिन मुख्य मंत्री से मिलने के लिए गया था, मैं बहुत कम मिलने जाता हूं, तो मैंने एक शैडों से पूछा, मैंने कहा क्या हाल है भाई, तो वह शैडों मिठाई बांट रहा था, मैंने मजाक में कहा, मुख्य मंत्री के यहां तो मिठाई आती ही होगी, उसने कहा कि मैंने अपने पैसे से मिठाई मंगाई है, किसी की हिम्मत नहीं है जो एक किलो मिठाई भी मुख्य मंत्री के यहां ले जाय। इतने ईमानदार आदमी को आपने एक बार भी बधाई नहीं दिया। जिस सरकार ने जनतंत्र की आजादी दी, नागरिक की आजादी दी, भाषण की आजादी दी, अखबार की आजादी दी, उस सरकार को आपने एक बार भी बधाई नहीं दिया। अगर पुरानी सरकार फिर बन गयी होती, तो क्या हालत अब तक देश की कर दिये होते। मैं बीमार पड़ा था, १८-१८ साल के लड़कों को ले जाकर नसबंदी में कटवा दिया गया, हजारों लोगों को आपने कटवा दिया। आप क्या बोलेंगे? जनता पार्टी की सरकार खराब काम करेगी, तो राधे श्याम शर्मा बोलेंगे। आप लोग क्या बोलेंगे? आपने जो काम किया, जो कुकर्म किया, उसको कौन नहीं जानता, आप क्या बोलेंगे। आप लोगों के अन्दर कोई शर्म नहीं है। शतरुद्ध प्रकाश, रवीन्द्र सिंह जैसे जनता पार्टी के लोग ही सरकार के खिलाफ अगर गलत काम करेगी तो बोलेंगे और बोल रहे हैं।

हमारे यहां से आगरा मथुरा में कोई दूरी नहीं है, वर्मा जी जानते हैं, कोई लड़का अपनी ससुराल जाने में भी आजाद नहीं था। लड़के अपनी ससुराल जाना भी बंद कर दिये थे, वे कहते थे कि अगर गये तो पुलिस पकड़ ले जायगी

[श्री राधे श्याम शर्मा]

और जबरदस्ती कटवा देगी । हजारों लड़कों को कटवा दिया गया था । अगर पुरानी सरकार बन गयी होती, तो जबरदस्ती लड़कों को ले जाते और कटवा देते । तो इन सब बातों को क्यों नहीं बोलते ?

छिद्रान्वेषण की बात क्यों कहते हैं ? इस बात को खूब समझता हूं । इस सरकार के लिए जहां तक आप कहते हैं कि जनता का विश्वास नहीं है, तो आपके कहने से मैं कैसे मान लूं, जनता का पैमाना न आपके पास है और न मेरे पास है । जनता का विश्वास इधर के लोगों पर था, तो इतने लोग आ गये । अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जनता का जो ब्यूरोमीटर होता है, वही चुनाव होता है । चुनाव में आजमगढ़ जीत लें, गोरों जीत लें, गोंडा जीत लें ? तो मैं जान लूंगा विश्वास नहीं रहा है जनता का । हर चुनाव में पिछड़ते चले जा रहे हैं । १५-२० दिन बाद फिर देख लेना, सारे के सारे जनता पार्टी के लोग जीत जायेंगे । अगर मान लें कि जनता सरकार में यह बात हुई तो सारी जगहों में जनता सरकार ही नहीं है । काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है ।

आपने महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं की, आंध्र की बात क्यों नहीं की ? वहां पर इंदिरा गांधी की पार्टी की सरकार है । वहां गुंडा गर्दी, चोरबाजारी, तिकड़मबाजी, मंत्रियों की आपाधापी बड़े स्तर पर हो रही है और अखबार रंग रहे हैं तो उनको आप क्यों नहीं कहते हैं । यह सारी मान्यतायें जो खराब हो रही हैं उनको ठीक करने के लिये हमको और आपको दोनों को, कोशिश करनी चाहिये । आपने कोई भी सुझाव नहीं दिया है । खाली अखबार में छप जाने के लिये छिद्रान्वेषण किया है । आपने जो बातें कहीं हैं अगर मैं उनका जवाब न देता तो मैं अपने कर्तव्य का पालन न करता । इसलिये मैंने अपनी बातों को मजबूती के साथ कहा । मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से काम ठीक से हो रहे हैं । ४३ फीसदी गांवों के लिये खर्च हो रहा है, सड़कें बन रहीं हैं । पुल बन रहे हैं । नहरों के किनारे की पटरियां पक्की हो रही हैं । लेकिन ला-एन्ड-आर्डर के मामले को मैं खूब समझ रहा हूं कि इसमें सुधार करना चाहिये । इसलिये मैं ३-४ सुझावों को देना चाहता हूं । एक तो यह है कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, पुराने कानून बने हुये हैं । ३० साल के कांग्रेसी शासन ने उसमें सुधार नहीं किया है । सी० आर० पी० सी० में । अगर कोई आदमी पीट दिया जाय या किसी को चोट लग जाय, तो उसपर कोई मुकदमा पुलिस नहीं चलाती क्योंकि कानून तो ऐसा बना हुआ है । पुराने कानून में है कि जब तक हड्डी टूट न जाय, हाथ दो हिस्सों में न हो जाय तब तक ३२५ का केस नहीं होता है और मुकदमा नहीं चलता है । इसलिये मैं कहता हूं कि पुराने कानून में संशोधन करना चाहिये । चाहे हमें पुलिस को बढ़ाना पड़े, साधारण मार-पीट हो, खून निकले तो मुकदमें की तफ्तीस उसी प्रकार होनी चाहिये जिस तरह से बड़े केस की होती है । इससे काम तो बढ़ेगा लेकिन अपराध प्रवृत्ति कम होगी ।

मैं एक दूसरा सुझाव दे रहा हूं । ३० साल के, जो सत्ता के भूखे लोग हैं वह सोच रहे हैं कि कौन सा षडयंत्र चलायें कि सत्ता में आ जावें, चाहे विधान सभा में बोलकर, चाहे हुल्लड़ करके, चाहे झगड़ा करके । तो जितने भी उत्पात हो रहे हैं, अगर उनकी जड़ में मैं जाऊं तो कहीं न कहीं इन लोगों का हाथ होगा, चाहे सम्भल की बात हो या और कहीं की । मैं अखबारों में पढ़ता हूं । तो सत्ता के भूखे लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा षडयंत्र कर रहे हैं कि जनता यह कहने लगे कि यह इमरजेंसी से खराब सरकार है । तो मेरा निश्चित

संख्या ३-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

सुझाव है कि अगर अपराधों को कम करना चाहते हैं तो आप मान लीजिये कि कोई दंगा होगा, प्राइमाफेसी केस में कोई आदमी पकड़ा गया, सही पकड़ा गया और उसके बाद फिर वह मुकदमा नहीं चलता ।

(बिजली चली जाने पर) ।

एक सदस्य--

बिजली चली गयी है ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

बिजली चली जाने दो, मैं तो नहीं चला गया हूं । मेरी बात आप सुनें । तो अधिष्ठाता महोदय, अगर प्राइमाफेसी केस बन गया तो उन अपराधियों को कम से कम जब तक जेल में रहना चाहिये जब तक कि मुकदमा न्यायालय से तय न हो जाय । होता यह है कि १५ दिन बाद ही जेल से छूट कर आ जाते हैं और गवाहों को प्रभावित करते हैं । इन सुझाओं को मानेंगे तो सरकार ठीक से चलेगी ।

एक सदस्य--

कार्यवाही स्थगित कर दीजिये ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर सरकार ध्यान दे और इन पर कार्यवाही करे । मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

बिजली न होने से रिपोर्टिंग में दिक्कत हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

बिजली आ रही है ।

जब तक बिजली न आये तब तक कार्यवाही बंद रहेगी ।

(उसी क्षण बिजली आ गयी)

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सेहरा जी ने अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये अनेक ऐसी बातों को कहा है जिनपर मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कि उनकी सारी बातें रचनात्मक पहलू की तरफ नहीं है, प्रशासन को जनतंत्रीय बनाने के लिए, इस माननीय सदन में उनके द्वारा जो सुझाव दिये जाने चाहिए वह न देकर केवल यहां तक सीमित रहा कि मंत्रि परिषद् में आपसी विरोधाभास है और अखबारों में कुछ सदन में कुछ । इसके अतिरिक्त इस प्रशासन को चलाने के लिए विधान सभा के सदस्य के नाते और विरोधी पक्ष में बैठने के नाते उनका भी एक महत्तोदायित्व है कि ऐसे सुझाव दें जिससे प्रशासन जनप्रिय बन सके

[श्री रघुबर दयाल वर्मा—]

ऐसा कोई भी सुझाव उनकी तरफ से नहीं आया जिससे उनके कटौती के प्रस्ताव पर, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे कटौती प्रस्ताव पर माननीय सदन गौर करे, गौर किया जा सकता था ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को कुशल प्रशासन के रूप में चलाने के लिए मुख्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, आज प्रदेश में जो हालत है उस हालत को सुधारने के लिए रोजाना चर्चा अखबारों में चल रही है । इन सब पर गंभीर चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे सुझाव देना चाहता हूं जिससे पुलिस के मुहकमे में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाय ताकि पुलिस का मनोबल इस गति से बढ़े कि वह कार्य करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और यह समझे कि हमें जनता की सेवा करनी है, जन सेवक बनना है । उसको वह भार स्वरूप न समझे । इस मनोवृत्ति को बदलना होगा और इसके लिए उनके अंदर और उस विभाग के अंदर जो कमी है उसे दूर करना होगा । एक उदाहरण से शुरू करता हूं । कोई घटना घटी और घटना के बाद ग्रामीण या शहर के नागरिक तुरन्त घटनास्थल से थाने पर पहुंचते हैं और थाने में रिपोर्ट लिखायेंगे । रिपोर्ट लिखाने के लिए जो वहां पर हेड मोहर्रिर है वह बेचारा कितने देर से कितने घण्टों से वहां पर बैठा होगा, रिपोर्ट लिखाने की कार्यवाही म व्यस्त होगा । सरकार जो उसको पैसा देती है, कागज का स्याही, कलम, पेन्सिल का और जो छपे हुये रजिस्टर हैं उनके अतिरिक्त अनेक जो रजिस्टर हैं थाने में जिन पर लेखा जोखा बनता है यदि उस खर्च का प्रतिदिन के हिसाब से अनुमान लगाया जाय तो इन चीजों पर उनका उतना पैसा निकल जाता है जितना कि प्रतिदिन खजाने से खर्च के लिए मिलता नहीं है । तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि यह जो दोषपूर्ण व्यवस्था है वह हेड मोहर्रिर को, थानाध्यक्ष को भ्रष्टाचार के लिए लालायित करती है । इसलिए जो पुरानी परम्परा है उसको बदल कर थाने की आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग से पैसा दिया जाना चाहिए ।

फिर दूसरी बात कहना चाहता हूं कि छोटे सिपाही की गलती होने पर उस पर सभी हमला करते हैं, लेकिन आप उनको सुविधा क्या देते हैं ? एक साल में तीन कमीज, दो पैंट और एक जर्सी तीन साल में तथा पांच साल में एक ओवर कोट देते हैं । आप चाहते हैं कि जब आई० जी०, गृह मंत्री या मुख्य मंत्री दौरे पर जायं तो वह अच्छी पोशाक में उनको सैलूट करे तो यह कैसे सम्भव है ? कपड़े के मामले में भी एस० एस० पी० के यहां भ्रष्टाचार होता है । बिना नाप के कपड़े सिले हुए उनको दिये जाते हैं । मेरा सुझाव है कि उसको बजाय सिले हुए कपड़ों के खाली कपड़ा दिया जाय और वह अपना कपड़ा अपने नाप का स्वयं सिलवा ले । साथ ही उसको कम से कम ६ कमीज एक साल में दी जायं, एक जर्सी दी जाय और ३ साल में एक ओवरकोट दिया जाय । इसके अलावा उनके रहने के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था नहीं है । उसको साइकिल एलाउन्स नहीं दिया जाता । मेरा निवेदन है कि उसको साइकिल एलाउन्स दिया जाना चाहिए जिससे कि वह साइकिल द्वारा दूरस्थ स्थानों पर जा सकें । अगर आप पुलिस मुहकमे को जनप्रिय बनाना चाहते हैं तो आपको बड़-बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे । जितने एस० ओज० हैं वह एस० पी० के हाथ में रहते हैं । वहां पर इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की जाय । जब इंस्पेक्टर होगा तो उसके अन्तर्गत अगर कानून और व्यवस्था में खराबी होगी तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा ।

एस० ओ० की सिनियारिटी के हिसाब से और उनकी चरित्र पंजिका को देखकर उनकी नियुक्ति की जाय और यदि फिर अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाय और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

आज हम देखते हैं कि रोजाना घटनाएं होती हैं । प्रदर्शन, सत्याग्रह होते हैं । प्रदर्शन सत्याग्रह और घिराव जनतंत्रीय प्रणाली में आवश्यक हैं क्योंकि अगर एक अंकुश के रूप में यह चीजें न रहेंगी तो सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों का दिमाग खराब हो सकता है और जनतंत्र के लिए खतरा हो सकता है जैसा कि विगत १९ महीनों में हम देख चुके हैं । इस तरह के प्रदर्शनों या सत्याग्रहों की रोकथाम के लिए आज की स्थिति में एक सिपाही जाता है जिसके पास एक बंदूक होती है । एक घटना में आपको बतलाना चाहता हूं । मेरे गांव में एक सिपाही जा रहा था । पता चला कि वहां बदमाश हैं । गलती से वह पेशाब करने बैठ गया और उसकी बंदूक चल गयी । सी० ओ०, एस० एस० पी० मुआयना करने गये । मैंने बतलाया कि सिपाही की इसमें गलती नहीं । लेकिन फिर भी उसको कारतूस खरीद कर लाकर देना पड़ा । उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । सी० ओ० छः कारतूस चला दे तो कोई पूछने वाला नहीं । आई० जी० २० कारतूस चला दें तो कोई जिम्मेदारी नहीं । लेकिन एक सिपाही जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है वह कारतूस लाकर रखेगा वरना बर्खास्त कर दिया जायगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की अकस्मात घटना हो जाती है तो बहुत ही सोच विचार कर उसमें कार्यवाही करें ।

इसके बाद मेरा निवेदन यह है कि किसी प्रदर्शन अथवा सत्याग्रह के स्थान पर कोई मैजिस्ट्रेट न हो और उसकी अनुपस्थिति में गोली चले तो सारी परिस्थिति पर विचार करना होगा । सत्याग्रह करने वालों को अपने आप में अनुशासित रहना होगा । माननीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि हम मानेंगे नहीं लेकिन मारेंगे भी नहीं लेकिन ऐसा होता नहीं है । हो यह रहा है जब कोई प्रदर्शनकारी सारी मर्यादाओं को छोड़कर थानेदार की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारता है तो उस वक्त क्या होगा ? इस देश में सिपाही पढ़ा लिखा नहीं है । जततंत्र की परम्परा में जनता दीक्षित नहीं है । हमारे जैसे विशाल देश में ऐसी घटनाओं का होना अवश्यमभावी है । इस स्थिति पर इस विधान सभा में बैठकर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा ।

पंतनगर में जो घटना घटी मैं मानता हूं कि वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में १९ जनवरी को घटना घटी । फीस के मामले को लेकर लड़कों द्वारा प्रदर्शन हुए । गोली चलने से २० लड़के घायल हुए और एक की मौत हुई । सारे अफसरों की राय थी कि कर्फ्यू लगा दिया जाय लेकिन मैंने कहा कर्फ्यू मत लगाइये । कोई घटना नहीं घटेगी, सारी जिम्मेदारी मेरी है । ३० हजार लड़कों का जलूस मौन जलूस में बदल गया और फिरोजाबाद में वह जलूस तीन मील का था और शान्ति के साथ मैंने उसे डिसपर्स कर दिया और वहां किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी । किसी सड़क पर न पुलिस थी, न थाने पर लोग गये । हमको अपने क्षेत्रों में अपने कर्तव्य को निभाना होगा और जनतंत्र की परम्पराओं को कायम रखने के लिये हमको अपने आपको नियंत्रित रखना होगा और इस मुल्क में जनतंत्र के टूटे पहियों को चलाने के लिये कुरबानी देनी

[श्री रघुबर दयाल वर्मा—]

होगी । इन्दिरा गांधी के १९ महीने के शासन काल में जो जनतंत्र का पहिया तोड़कर रख दिया गया उसे चलाने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है । इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि रबड़ की गोलियों का प्रयोग उसी समय होना चाहिये जब स्थिति भयानक हो अन्यथा नहीं । माननीय मुख्य मंत्री को निर्देश देना चाहिये अगर इस तरह की घटना हो तो अश्रु गैस का होना बहुत जरूरी है । जब तक अश्रु गैस का पहले प्रयोग न हो जाय और जब तक पहले चेतावनी न दे दी जाय तब तक गोली किसी भी दशा में न चलाई जाय । लाउड स्पीकर का प्रबन्ध होना आवश्यक है ।

आगरा की घटना का जिक्र सेहरा साहब कर रहे थे । पुलिस के पास लाउड स्पीकर का होना आवश्यक था और निश्चित रूप से पब्लिक में लाउड स्पीकर से एलान कर देना चाहिये । लेकिन इन बातों की कमी रहती है । दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर होती है और जुलूस को पुलिस घेर लेती है तो जो लोग जुलूस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वह खुले आम घूमा करते हैं । पुलिस वालों का ध्यान उनकी तरफ जाना चाहिये, जो जुलूस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं । अगर उनकी तरफ पुलिस का ध्यान जायगा तो प्रदेश में अप्रिय घटनाओं में कुछ कमी आयेगी । इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और सेहरा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं और सेहरा साहब मैं नहीं समझ सका किस मुंह से अनुदानों की आलोचना कर रहे थे, जिन्होंने देश को लगातार २० महीने तक कैदखाना बना दिया था, जिन्होंने वाणी पर ताला लगा दिया था और उसे आप बीती कहने का मौका नहीं दिया । वही आज जनतन्त्र की दुहाई दे कर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । वह समाज को बताना चाहते हैं कि उस वक्त शासन को आपातकाल की आवश्यकता क्यों पड़ी । यह जगह-जगह जाकर उपद्रव करवाने और जनता में असंतोष बढ़ाने और हिंसात्मक कार्यवाहियां करने में जुटे हुए हैं । इस समय हमें बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है । यह चारों तरफ उपद्रव करवाकर समाज को दिखाना चाहते हैं कि जो आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया था वह उचित था । मैं निवेदन करूंगा विरोध पक्ष से भी कि यह देश हमारा है इसलिये अपनी परम्पराओं का निर्वाह करें । विरोध पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को वह उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभायें ।

श्रीमन्, मैं विशेषरूप से आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आरक्षण के सम्बन्ध में तरह-तरह के भाषण सुने । हमने यह भी सुना कि आरक्षण किया गया तो खून की नदियां बह जायेंगी और दूसरी तरफ यह भी सुना कि यदि आरक्षण न किया गया तो खून के समुद्र भर जायेंगे । इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें इस सदन में सदस्यों से सुनी । हमने गांधी जी के आदर्शों पर चलने की शपथ खाई है उनका मार्गदर्शन हमने लिया है । आज ३० साल बाद इस प्रकार के प्रश्न उठाना बड़ा असंगत प्रतीत होता है । गांधी जी ने एक दिशा दी है । गांधी जी की समाधि पर बैठकर हमने शपथ ली है कि उनके आदर्शों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या ३-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पालन करेंगे। रिजरवेशन होना चाहिये लेकिन उसकी कुछ मान्यतायें होनी चाहिये। हमारे कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं, हमारे कुछ वर्ग पिछड़े हैं। लेकिन बिरादरी के नाम पर आरक्षण करना, किसी भी दशा में उचित नहीं है। किसी भी वर्ग का आदमी हो उसका विकास होना चाहिये। यदि उनके पास साधन नहीं है तो उनके लिए आरक्षण आवश्यक है। लेकिन उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर नौजवानों में गर्मी पैदा करना, उनमें अराजकता पैदा करने का वातावरण तैयार करना उचित नहीं है। इस प्रकार के भाषण विधान सभा में जहां कि सारे प्रदेश की आवाज उठती है, अनुचित है आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन बिरादरी के नाम पर रखा जाय यह उचित नहीं है। चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो लेकिन साधन न मिलने के कारण वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उसे सुविधा मिलनी चाहिये।

श्रीमन्, आज पुलिस के बजट पर यहां बहस हो रही है। हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में सुरक्षा का वातावरण हो। इंसान के लिए शांति से रहने की व्यवस्था हम दे सकें। यह आवश्यक है। गांधी जी से एक बार कुछ लोगों ने पूछा कि आपके रामराज्य की कल्पना क्या है। गांधी जी ने कहा राम राज्य के माने हैं जब एक युवती आभूषणों से लदी अमावस्या की रात में घर से बाहर निकल सके और वह अपने को सुरक्षित महसूस करे। यह रामराज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी जिसके आदर्शों पर चलने का हमने संकल्प लिया है और उसे निर्वाह करने का उत्तरदायित्व लिया है।

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेषरूप से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी जनता यही प्रश्न करती है कि हमारे क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है। रात में निकलना सुरक्षित नहीं है। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की आज आवश्यकता है। इसको पैदा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पुलिस पर है। पुलिस विभाग की जहां हम आलोचना करते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए हमें कुछ साधन देने पड़ेंगे। थाने जगह-जगह खोलने पड़ेंगे, पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। गांव-गांव तक जाने के लिए सड़कें बनानी पड़ेंगी। यह बहुत आवश्यक है इस ओर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें पुलिस के अन्दर पवित्रता लानी पड़ेगी, ईमानदारी से कर्तव्य निर्वाह करने की भावना पैदा करनी पड़ेगी पुलिस का एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है, उसका पवित्र और ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। एक हमने संकल्प किया है कि हम इस प्रदेश में मद्य निषेध को सफल बनाएंगे, और देखते हैं कि पुलिस पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आनेवाली है। आज मद्य-निषेध हुआ है और जगह-जगह बैरियर्स लगाए गये हैं, लोगों और वाहनों को चेक करने के लिए, वहां पुलिस के लोग खड़े किए गये हैं। लेकिन बड़े अफशोस की बात है कि जहां पर इसको रोकने हेतु बैरियर्स लगे हुए हैं लोग खुले आम वहां से होकर शराब ले जाते हैं और वे बैरियर्स पर रिश्वत पुलिस वालों को दे देते हैं। जनता पार्टी के बनने पर इस प्रदेश में मद्य निषेध के स्वप्न को यदि हम पूरा करना चाहते हैं, तो जब तक पूरी सतर्कता से हम इसमें नहीं लगेंगे, पूरी सच्चाई से इसे नहीं निभायेंगे, तो हमारे मुंह पर कालिख लग जाएगी। मेरा सुझाव है कि जिस निषिद्ध क्षेत्र में शराब या शराब की भट्ठी पकड़ी जाती है, उसके लिए उस क्षेत्र के थानेदार को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। यदि उस क्षेत्र की पुलिस की जानकारी में भट्ठी चल रही है तो उस क्षेत्र के समस्त पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए और ऐसा करना परम आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर व्यय करने के लिए करोड़ों रुपयें की मांगें सामने रखीं और गुलाब सेहरा जी ने उस पर कटौती का प्रस्ताव रख दिया कि, वह एक रुपया कर दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक रुपया भी बहुत है। इसलिए कि मैं यह मानकर चलता हूं कि जो सरकार के सम्बन्धित आदमी हैं, जो केटेगरी होती है--ए, बी, सी, डी, ई, उसमें वह ई कैटेगरी में पहुंच गये हैं, जिसमें अलाभप्रद मरम्मत है। तो जो आपका प्रशासन है वह कैटेगरी-ई में पहुंच गया, इसलिए उस पर कोई पैसा खर्च करना या इस सदन में मांगना आपका मारेल नहीं रहा। प्रशासन में तीन अंग हैं--एक हुकुम देने वाला, दूसरा हुकुम पूरा करने वाला और तीसरा हुकुम मानने वाला यानी जनता है। इसमें अब हालत यह है कि हुकुम मानने वाली जनता उसे मानने को तैयार नहीं है और जिसे आप हुकुम देते हैं--जो अधिकारी और ब्योरोक्रेशी है, वह भी आपका आदेश मानने को तैयार नहीं है। यदि मानती होती तो गोरखपुर के एस० ए० पी० और सिपाही के ट्रांसफर में ६-६ दिन न लगते। और हुकुम देने वालों की हालत यह है कि कैबिनेट की ज्वायन्ट जिम्मेदारी होते हुए भी एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है और मुख्य मंत्री कुछ कहते हैं। तो समाज के ये तीनों हिस्से डिग्रेडेड होकर उस जगह पहुंच गये हैं कि वह कैटेगरी ई में पहुंच गये हैं। जो घटनाएं पुलिस और प्रशासन से सम्बन्धित हैं, उनको मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सदन में बार-बार आ चुकी हैं, लेकिन मैं केवल दो-एक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कानपुर के छावनी थाने के मालखाने से दो लाख की चोरी हो गई और वहां पर जितने मुकदमों से सम्बन्धित कागजात थे, वे सब चोरी हो गये। सब अखबारों में और ब्लिट्ज आदि में छपा है.... (व्यवधान)। एक दिन माधव जी का प्रश्न था, वह हमसे कहने लगे कि हमारे यहां बुलन्दशहर में बड़ी गम्भीर वारदात हो गई--वहां एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार की घटना की रिपोर्ट हुई, उसमें सब-पुलिस इंस्पेक्टर बजाए इसके की इंक्वायरी करते वह खुद बलात्कार के उसी के साथ शिकार हो गये। मैंने कहा दे दो नियम ३०१ आदि में सूचना कुछ चर्चा हो जाए। श्रीमन्, आप देखिए। एक दिल्ली के मिस्टर एस० आर० चौहान आये थे, तो रोडवेज के ऊपर दिनदहाड़े उनकी बीबी की सोने की जंजीर खींच ली गयी गले में से। इसके अलावा हापुड़ में हो गया यह भी खबर अखबार में आ रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा मालूम हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई सरकार नाम की चीज नहीं रही।

अब एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं--माइनारिटीज, अक्लियतें। आज देश और आपके प्रदेश दोनों के अन्दर अकलियतों को क्लास २ सिटिजनशिप मिल रही है। इसलिए कहता हूं श्रीमन्, कि यह संविधान है। इस संविधान के आर्टिकिल १४ और १५ को पढ़ कर देखिए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि कहीं भी किसी मजहब या धर्म की बिना पर किसी को आने-जाने की रुकावट नहीं होगी। यह संविधान अंग्रेजों के जाने के बाद बना है। इस संविधान की कसम हमने और आपने भी खायी है। जो ग्राम सभा का प्रधान चुना जाता है वह भी इसकी कसम खाता है और जो जिला परिषद् का मेम्बर चुना जाता है वह भी यही कसम खाता है, म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया का मेम्बर भी यही शपथ उठाता है। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या ३-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस संविधान की कसम खाने के बाद, स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि हरि की पेड़ी पर मुसलमानों का दाखिला नहीं हो सकता इसलिए की हरिद्वार की म्युनिसिपल बोर्ड का रेजोल्युशन है, ४० साल से लगा हुआ है। अंग्रेज चला गया। उसके बाद कांस्टीट्यूशन बना जिसके अन्दर सब को बराबरी का हक दिया गया। आर्टिकिल १४ और १५ में यह बात लिखी है कि इस देश का नागरिक चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या ईसाई, सबके हक बराबर है, मजहबी तौर पर इसमें रोक-टोक नहीं होगी। जगन्नाथ पुरी हम गये। तो वहां के मन्दिर के अन्दर हमको दाखिला इसलिए नहीं मिला कि हम मुसलमान हैं। हमने यह चिट्ठी लिखी देश के बड़े-बड़े आदमियों को, मय प्रधान मंत्री के, दस, बारह आदमियों को जगन्नाथ पुरी के मन्दिर के अन्दर इसलिए नहीं जाने दिया गया कि हम मुसलमान हैं। इस संविधान और जमहूरियत को सामने रखते हुए हमारी समझ में नहीं आता कैसे ऐसा होता है। जवाब है प्रधान मंत्री का, जो मेरे पास में आया, उनका दस्तखती है। उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाये देता हूं। (व्यवधान) आपके मोरार जी देसाई का खत मेरे हाथ में है। वह कहते हैं, हिन्दू धर्म का यह नियम है जो उस धर्म में आस्था नहीं रखते हैं उनको मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाय। यह उनके लेटर में लिखा है और आपके सिकन्दर बख्त साहब का भी खत है। उन्होंने लिखा है कि आपको इस बात से तकलीफ हुई। हम और आप सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं। लेकिन इस किस्म के धक्के हमको और आपको बरदाश्त करने ही पड़ेंगे। और यह गृह मंत्री साहब का है। उन्होंने भी यही लिखा है कि अपने जगन्नाथपुरी के मन्दिर के दाखिले के बारे जो लिखा है, उसको हमने उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। मालूम नहीं कहां भेजा है।

और यह पत्र (दिखाते हुए) अटल बिहारी बाजपेयी के यहां से आया है, उन्होंने लिखा है कि हमने गृह मंत्रालय में भेज दिया है। और गृह मंत्रालय का पता नहीं कि उन्होंने कहां भेजा है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई पार्लियामेंटरी कमेटी बनी है, राम धन जी ने कहा कि हरिजनों पर और मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अपने-अपने धर्म को चलाने की पूरी-पूरी छूट है, तो इस तरह की बात यह क्यों कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कौन सी व्यवस्था है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो पत्र माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के सामान्य प्रशासन से किसी तरह सम्बन्ध रखता नहीं है। पुरी के मन्दिर का मामला है। यह बात कैसे प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित है यही व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

इसीलिए हमने हर की पौड़ी का उदाहरण दिया। आपका प्रशासन मजबूत हो, इसके बारे मे मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आपके प्रशासन की कमजोरी यह है कि जिलाधिकारी जो है, चाहे उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहिए या जिला मजिस्ट्रेट, उस पर इतना भारी काम लाद दिया गया है कि चाहे कोआपरेटिव का मामला हो या किसी अन्य विभाग का मामला हो, सभी को जिलाधिकारी देखेगा । तो वह कोई मशीन तो है नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि उससे हर प्रकार का काम न लिया जाये जिससे वह ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने में अधिक से अधिक समय दे सके ।

अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं वह है इवीडेन्स ऐक्ट के बारे में । इसको अंग्रेजों ने बनाया था । गवाह है, वह बिलकुल इम्पारशियल हो । वकील कहता है कि प्रधान का इलेक्शन हुआ था, उसमें आपने भी वोट किया था और कहां पर वोट किया था । मैं चाहता हूं कि इवीडेन्स ऐक्ट में चेन्ज किया जाये । हर काम का थानेदार यह समझता है कि बहुत लम्बा रास्ता है । कहीं न कहीं तो पानी निकालना ही है । इसीलिए आप इवीडेन्स ऐक्ट की ओर ध्यान दीजिए ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे प्रशासन में सबसे ताकतवर कौन कौन है, बाबू है बाबू । हर दफ्तर में बाबू है । यह सबसे ताकतवर है । अगर वह चाहे तो आपके भी आदेश को ६ महीने घुमा दे । अगर वह बाबू चाहे तो ६ महीने तक कागज इसी सेक्रेटेरियट से न निकले । मैं कहता हूं कि उस बाबू की ताकत पर कंट्रोल कीजिए और इस बात पर आप विचार कीजिए, ताकि आपका प्रशासन ठीक हो । आज करप्शन बढ़ रहा है इस पर आपको सोचना पड़ेगा । जय प्रकाश जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त करो । क्यों है करप्शन ? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि हर महकमें में अधिकारी से लेकर नीचे के कर्मचारी तक के बारे में क्या आपने कभी सोचा कि उनकी मिनिमम नीड्स क्या हैं ? क्या आपने उनको सामने रखकर उनकी तन्ख्वाहों को मुकर्रर किया, नहीं किया ? आप एक सिपाही को २०० या २५० रुपया देकर यह सोचें कि वह रिश्वत नहीं लेगा, असंभव बात है । जब तक आप यह नहीं सोचेंगे कि उसकी मिनिमम आवश्यकतायें क्या हैं और कितने रुपये में वह अपनी गुजर-बसर कर सकता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है । अगर आप उसको उसकी मिनिमम नीड्स के मुताबिक रुपया नहीं देंगे तो वह चारों ओर से इकट्ठा करेगा और तब वह अपने परिवार के लोगों का जीवन चलाने के लिए अपनी नियत खराब करेगा तब आप यह भी प्रतिबन्ध नहीं कर सकते कि वह १०० रुपये तक ही रिश्वत लेगा, १ हजार रुपये की नहीं लेगा । जहां तक उसका हाथ पहुंचेगा, वहां तक वह पहुंचायेगा । तो आपके जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी मिनिमम नीड्स क्या हैं, उनको देखिए ताकि रिश्वतखोरी में कमी आये ?

अब ट्रान्सफर्स की बात मैं कहना चाहता हूं जो एसेम्बली के बाद हमारे सामने आती है और आपके सामने भी आती है । इसके बारे में जो मेरा सुझाव था उसके बारे में मैंने सरकार को उस समय लिखा था, जबकि यहां के मुख्य मंत्री चौधरी साहब थे । वह किसी फाइल में आपको मिला होगा । उसमें मैंने लिखा था कि ट्रान्सफर्स के सिलसिले में कोई पक्की नीति बनाइये और वह यह है कि

आप पूरे प्रदेश को ५ जोन्स में बांटिए और अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ३० वर्ष तक सेवा करनी है तो उस अवधि को ५ जोन्स में अर्थात् ६ वर्ष उसको हर जोन में रहना होगा और सबसे पहले उस जोन में रहेगा जो उसके घर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। और आखिरी समय में, ६ वर्षों में वह अपने घर वाले जोन में रहेगा और उसमें से भी अंतिम २ वर्षों म वह अपने जिले में रहेगा ताकि रिटायर होने के पहले वह अपनी आइन्दा की प्लान बना सके। ट्रान्सफर्स के बारे में आपको एक निश्चित नीति बनानी पड़ेगी।

जहां तक ला एंड आर्डर की बात है इसमें दोनों का सम्बन्ध होता है इसलिए इन दोनों में कोओपेरेशन हो। वह आज नहीं है। देखने में यहां तक आया है कि अगर कोई एस० डी० एम० थानेदार को हुक्म देता है तो वह जब तक उसे सी० ओ० या एस० पी० का आर्डर नहीं होगा वह उनको नहीं मानेगा। इसमें जब दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ला एंड आर्डर को मेनटेन करने की, तो देखना होगा कि इन दोनों में कितना कोआपरेशन है। जब इन दोनों की जिम्मेदारी है तो आप दोनों को जिम्मेवार ठहराइये। उसके बाद बताइये कि आपको कितने रुपये की आवश्यकता है, न कभी इस सदन ने इन्कार किया है और न करेगा लेकिन अगर आप इसी तरह करते रहें, रुपया लेते रहे तो हालत और भी बिगड़ जायगी, डिग्रेड होती जायगी और अच्छी नहीं होगी।

*श्री श्याम देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किए हैं और माननीय गुलाब सेहरा ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार के ऊपर ला एंड आर्डर को बिगाड़ने का आरोप लगाया जाता है यदि उधर के लोग अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें तो उन्हें मालूम होगा कि १९ महीनों के बाद जो हमें विरासत में उन्होंने दिया उनको सुधार के लिए कुछ समय तो अवश्य ही लगेगा। ९ महीने की अवधि में मंत्रिपरिषद् ने जो करके दिखाया है वह इस बजट के खत्म होते-होते आप देखेंगे कि कितना सुधार लेंगे। कटौती के प्रस्ताव को देखने से प्रतीत होता है कि आप हमारी नीतियों की आलोचना करना चाहते हैं। अखबार जो आपके हैं उनमें जो यहां के समाचारों को रतिरंजित करके छपवाया गया है उससे देश और प्रदेश में अराजकता फैलाने की चेष्टा करते हैं, उनका वर्णन करते हैं।

यदि इन अनुदानों को ठीक तरह से देखा होता तो 30 वर्षों में जो आपने नहीं किया वह पुलिस प्रशासन में हमने किया है। क्या यह आवश्यक नहीं है, कि उनके बालबच्चे भी होते हैं, उनके लिए कुछ किया जाय ? उनका भी मनुष्य का जीवन होता है, उनकी क्षमता और उनके परिवार के लिए कुछ सोचा जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम देव—]

१६ महीने के अन्दर इन से आपने क्या करवाया ? शरीफ लोगों को, नेताओं को पकड़ने के लिए इनको इस्तेमाल किया और मीसा में लोगों को पकड़ कर बन्द करने और पैसा लेकर छोड़ने में इनका प्रयोग किया और इस प्रकार से जिस तरह से पुलिस को भ्रष्ट किया है, यदि अपने सीने पर हाथ रखकर सोचते तो कभी कटौती का प्रस्ताव न दिये होते । यदि कुछ ढंग के सुझाव दिये होते तो वह ग्राह्य होता, परन्तु जिस प्रकार से प्रदेश में अशांति फैलाना ही आपका काम रह गया है, उसी तरह से अशांति की बात करके यह मखौल उड़ाने के लिए कटौती का प्रस्ताव लाया गया है ।

मैं हरिजन समस्या की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिनका नाम लेकर, जिसकी पतवार को लेकर कांग्रेस के लोग अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहते हैं । जहां देखो, हरिजन टार्चर की बात कही जाती है । हम लोग भी उसी वर्ग से संबध रखते हैं, हम भी उनमें आते हैं । ३–४ को बनारस के बटवापुर में, कहा गया कि हरिजनों को गोली से मारा गया और २८ हरिजन मारे गये और कितना प्रचार किया गया । मुख्य मंत्री जी को मैंने स्थ से अवगत कराया कि वास्तव में मारने वाले कौन थे ? वे इंदिरा कांग्रेस के जिला स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता धर्मात्मा और परमात्मा पान्डेय थे । आप सी० आई० डी० की जांच करा लें और पता भी लगा लें । वास्तव में जो हरिजनों के बड़े भक्त बनते हैं वे हरिजनों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं । ज्ञानपुर में, रमईपुर में जो मजदूर रोटी मांग रहे थे कि हमारी मजदूरी २ सेर कर दो तब उन पर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं, इंदिरा कांग्रेस के ब्लाक स्तर के नेता हैं । अब कैसे हरिजनों पर घड़ियाली आंसू बहाते हो ? जरा अपने कलेजे और सीने पर हाथ रख कर देखो, इस तरह से अब हरिजनों को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । खुद सारा माहौल खड़ा करके ला एंड आर्डर की बात करते हैं । हमने उधर १५–२६ वर्ष तक रहकर तपस्या की है और लोकतांत्रिक तरीके से, भारत के संविधान के आधार पर अब इधर आये हैं । ऐसा नहीं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जैसा आजकल रोल निभा रहे हैं इस प्रदेश में और देश में, इस सदन में, उसके बाद भी ऐसी बातें जब सदन में कही जाती हैं तो सुनकर आश्चर्य होता है और लोकतन्त्र की दुहाई दी जाती है । इसलिए मैं कहूंगा जरा इन बातों को कहने से हिचकिचाना चाहिए । इस प्रदेश की जनता को भावात्मक बात कहकर ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट में समाप्त करूंगा ।

मैं सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को विशेषकर कि हरिजन के टार्चर की बात आती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि बहुगुणा जी के जमाने में पुलिस प्रशासन में जो हरिजन अधिकारी, कर्मचारी थे उनके लिए कुछ सुझाव आये थे । मैंने उनको पढ़ा है । आपको भी पता होगा । बहुत से सी० आई० डी० में, दूसरी जगहों में हरिजन सब–इंसपेक्टर, इंसपेक्टर और अन्य अधिकारियों को भेजा जा चुका है । मैं उनकी वकालत नहीं करता इसलिए कि उन क्षेत्रों के परिवारों से आये हैं, उनको सहायता मिलेगी । मैं चाहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को सिविल पुलिस में भेज दिया जाय । जो सचिवालय में भी रखे गये हैं उनको एस० एस० पी०, एस० पी०, सी० ओ० बनाया जाय । जो इंसपेक्टर कर्मठ हैं उनको चाहें सी० आई० डी० में हों या कहीं उनको कनफर्म करके थाने में भेजा जाय ताकि उनका मुंह बन्द हो सके जो हरिजनों के बड़े सहायक बनते हैं ।

संख्या ३-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१-पुलिस अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०-अन्य सामाजिक एवं सुरक्षा कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इन्होंने पुलिस को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि उसके मुंह में खून लग हुआ है। उसको सुधारने का प्रयास आप करें क्योंकि पुलिस को आज हम स्वच्छ नहीं कह सकते। वह इन्हीं के कारण गलत रास्ते पर है। पुलिस पैसा लेती है, डकैतों से भी कभी डकैती डलवाती है, शरीफ लोग सताये जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ क्या बर्ताव करती है यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मुख्य मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करते हुए और उस पर कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

* श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन करने पर सोचेगी क्योंकि जो प्रशासनिक ढांचा आज का है वह न तो इस जनता सरकार की देन है न पिछली कांग्रेस सरकार की देन है बल्कि वह लार्डमैकाले की देन है अंग्रेजी शासन की देन है। जो ढांचा अंग्रेजों ने हमें दिया वही आज तक चला आ रहा है। अगर इस ढांचे को पूरे तरह से हमारी सरकार ने नहीं बदला केवल पेबन्द ही लगाने का कार्य किया गया तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कहीं कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों को बढ़ा देने से या कहीं पर कम कर देने से ही काम चलने वाला नहीं है आज पूरा प्रशासनिक ढांचा केन्द्रित हो गया है सूबे की राजधानी में, केन्द्र की राजधानी में और अगर इस सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया तो निश्चय ही एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश का बटवारा कर देना चाहिये उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है जिस दिन उत्तर प्रदेश का बटवारा हो जायेगा उस दिन पूरा देश बट जायेगा। इसलिए इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को इस प्रदेश से प्यार है वे कभी इस प्रदेश का बटवारा नहीं चाहेंगे। आवश्यकता है आज केवल प्रशासनिक ढांचे को बदलने की। इसको विकेन्द्रीयकृत किया जाये गांव के स्तर पर और सूबे के स्तर पर। डाक्टर लोहिया ने चौखम्भा राज्य की जो कल्पना की थी आज उसे साकार करने की जरूरत है।

आज हर काम के करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर है। उसको जो काम करना होता है उसके लिये आदेश वह गृह सचिव से लेता है गृह सचिव मुख्य मंत्री से लेते हैं। चाहें गोली चलानी हो चाहें अन्य कोई कार्य हो यही तरीका है काम करने का। सारा प्रशासन कुछ लोगों के हाथ में रहता है लोकतंत्र की जो मान्यता है कि हर साधारण आदमी को भी शासन में हिस्सा लेने का अधिकार हो वह मान्यता सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिये आज गांव को अधिकार होने चाहिये जिलों को अधिकार होने चाहिये। आज गांव का सारा पैसा बटोर कर लखनऊ चला आता है जहां से उसका बटवारा होता है। गांव की आवश्यकता के अनुरुप उनको पैसा मिल ही नहीं पाता। आज अगर गांव में कोई बात हो जाती है तो एस० एस० पी० लखनऊ का मुंह देखता है। चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे खेती का मामला हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शत्रुद्र प्रकाश—]

हर मामले में गांव और जिले को स्वावलम्बी बनाना होगा तभी हमारे प्रदेश का विकास होगा। मेरा निवेदन है कि यह सरकार वही गलतियां न करे जो पहली सरकार करती आयी है हमारी सरकार ने सबसे बड़ी एक गलती यह की कि कृष्ण नारायण साहब को काफी समय तक मुख्य सचिव बनाये रखा। मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि आपातकालीन स्थिति के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादतियों की हैं अपने ७ महीने के समय में उन्होंने तमाम फाइलों को परिवर्तन करवाया उनको ठीक कराया। संजय गांधी इस सूबे का हवाई जहाज लेकर उड़े थे उनके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेन्स आदि नहीं था एक गैर सरकारी आदमी होने के नाते उन्हें उसका अधिकार नहीं था न उनके लिये कोई आदेश थे मगर श्रीवास्तव साहब ने पिछली तारीख में फाइल पर आदेश करवा कर उसको ठीक करवाया। तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो अफसरों ने आपत्तिकाल में अनाधिकार रूप से अपने पद का दुरुपयोग किया है, उस अधिकारी को जनता पार्टी की सरकार में स्थान नहीं मिलना चाहिए।

अब मैं पुलिस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जहां तक पुलिस का सवाल है, मेरी पार्टी की सरकार है, मैं कटु आलोचना तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी पुलिस के प्रति एक नया दृश्य दिखाइए, आज जिस तरह से चरित्र पुलिस के अन्दर पनप रहे हैं, वह घबड़ाने वाली बात है। आज जो पुलिस में सिपाही से लेकर आई० जी० तक ढांचा बना हुआ है, अगर आपने उस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया, तो उसका नतीजा हम लोगों को बहुत खराब देखना पड़ेगा। एक पुस्तक पुलिस के कार्य-कलापों तथा उपलब्धियों का विवरण हम लोगों को मिली हुई है। इसमें बताया गया है कि ७५ से ७७ तक अपराधों में वृद्धि हुई है। डकैती में वृद्धि हुई है, राहजनी में वृद्धि हुई है, हत्या में वृद्धि हुई है, दंगे में वृद्धि हुई है नकबजनी में वृद्धि हुई है, तो मैं समझता हूं कि कानून, व्यवस्था पुलिस के जिम्मे न सौंपिये। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं केवल पुलिस के जिम्मे इस काम को सौंपने के कारण ही बढ़ रहे हैं। ये अपराध राजनैतिक और सामाजिक कारणों से भी बढ़ रहे हैं। १३२५ मुठभेड़ हुई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है। अभी बनारस में मुठभेड़ें हुई हैं। १३२५ मुठभेड़ें हुई हैं। २१ अप्रैल को बनारस में नीलकण्ठ महोदय ने एक हेड कांस्टेबल को गोली मार कर हत्या कर दी, उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी चोटें आईं। उसके बाद पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसमें बड़े-बड़े अपराधी पकड़े जायं। जो पुलिस पर गोली चलाई गयी, उसका जवाब पुलिस गोली से दे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। नारायण दत्त तिवारी जी ने जो काउन्टर यह तरीका का अपनाया था कि अगर कोई बिजली के खम्भे पर चढ़ जाय, तो उसे गोली मार दो, क्योंकि उसने ट्रान्सफारमर चुराया है, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो किसी भी आदमी का काउन्टर किया जा सकता है।

(इस समय ३ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

एक अग्नि शमन विभाग है। वहां पर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी का पद रिक्त है। उस जगह को भरने के लिए आदेश भी जारी हो गये, लेकिन मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की जगह नहीं भरी गई। कानपुर में और अन्य कई जगहों पर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की जगह खाली पड़ी है, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं हैं, वह जगह भरी नहीं गई। जो मुख्य अग्नि

शमन अधिकारी के सिपाही हैं उनको भर्ती करने का हक एस० पी० को है। लेकिन इस बार क्या हुआ ? आई० जी० साहब वह अग्नि शमन को देखते हैं, उन्होंने पिछली फरवरी में और दो-तीन महीने के अन्दर पूरे सूबे का दौरा किया, अकेले नहीं किया, दल बल के साथ किया, जगह-जगह जा-जा कर सिपाहियों का चयन करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं टीम लेकर आ रहा हूं, एस० पी० साहब ने इस पर आपत्ति नहीं की, लेकिन बड़े अफसर हैं कौन उनका मुकाबला करेगा, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह टीम झांसी भी गई थी, अफसोस की बात है कि झांसी म एक भी जवान नहीं मिला, जो फायर बिग्रेड में सिपाही के लायक हों। तो ८-१० लोग गए होंगे। प्रथम श्रेणी में गए होंगे भत्ता उनको मिला होगा, तमाम पैसा खर्च हुआ होगा लेकिन पूरी झांसी में एक आदमी उनको नहीं मिला, एक सिपाही नहीं मिला। तो मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समय जो विषम परिस्थिति है उसको सभालने का काम करें और इस समय ज्यादा मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि आपने लालबत्ती जला दी है। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रशासन का बुनियादी रूप से बिकेन्द्रीकरण करें। लार्ड मैकाले और पिछले कांग्रेसी शासन की पुनरावृत्ति न करें बल्कि नई दिशा और नई मान्यताओं के अनुसार जनता पार्टी की सरकार को आगे बढ़ायें यही मेरी आपसे कामना है।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो कुछ सिद्धान्तों के आधार पर बनी थी। चुनाव में जनता से वायदा किया है कि हम दृढ़ प्रशासन देंगे। हमने यह भी वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार को मूल रूप से खत्म करके दम लेंगे। मैं और बातों का उल्लेख नहीं करता क्योंकि यह आज प्रशासन का प्रश्न है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं यह मानता हूं कि कानून और व्यवस्था में पहले की अपेक्षा गिरावट आई है और इस सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि प्रदेश भर में हत्या, चोरी, कत्ल, डकैती का तांडव नृत्य हो रहा है। यह मालूम होता है कि कहीं प्रशासन नाम की चीज नहीं है। इस स्थिति को सुधारना होगा अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो जितनी हमारी उपलब्धियां हैं वह सब नेस्तोनाबूद हो जायंगी। जहां तक दूसरी बातों का सवाल है अभी हमारे दोस्तों ने जिक्र किया है कि जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सेहरा जी ने कहा और मेरे दोस्त रियासत हुसैन साहब ने कहा। तो उनको अगर जनता पार्टी ने प्रवेश दे दिया होता तो वह जनता पार्टी के पक्ष में बैठकर वकालत करते। लेकिन जनता पार्टी ने उनको प्रवेश नहीं दिया तो उनका पूरा क्रोध जनता पार्टी के ऊपर उतर रहा है। लेकिन सेहरा जी ने जो बातें कहीं हैं तो उनका आक्रोश जहां तक भ्रष्टाचार के बारे में था तो मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी से हजारों गुना भ्रष्टाचार के मामले में आगे थी। जो उस समय के मुख्य मंत्री थे उनके ऊपर भी तमाम चार्जेज थे। लेकिन मौजूदा मुख्य मंत्री के ऊपर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह परिहार—]

इस हाउस के अंदर उनके चरित्र के सम्बन्ध में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यह एक सचाई है जिसको मानना पड़ेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि अकेले वह साधू न रहें। इससे काम नहीं चलने वाला है। इस प्रदेश में बड़े-बड़े मुख्य मंत्री रहे हैं लेकिन एक मुख्य मंत्री की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आज देश के गृह मंत्री हैं। संविद सरकार के समय में मैं भी मौजूद था। जिस समय उन्होंने शासन संभाला उस समय प्रशासन के सम्बन्ध में अखबारों में आता था। भ्रष्टाचार के मामले में, कोई भी आदमी किसी भी मुहकमें में रिश्वत लेने से डरता था। यह डर था कि मुख्य मंत्री न आ जायं। सबको उनका डर था। तो अगर डर की मनोवृत्ति खत्म हो जाय तो शासन खत्म हो जायगा। डंडा शासन करता है। डंडे से मेरा मतलब भय से है। चाणक्य नीति में भी इसके बारे में कहा गया है।

हमारी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस सरकार ने देहातों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ३० साल के शासन में जहां शहर बनाते गए वहां गांव मिटते गए। जनता पार्टी की सरकार ने इन कामों को पूरे बजट का ४० फीसदी गांव पर खर्च करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। प्रदेश का किसान राहत की सांस ले रहा है। किसान का कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से कांग्रेस से छुटकारा पाया है और आप यह आशा करें कि झूठ बोलकर जैसा सेहरा जी ने कहा कि उस शासन को किसान चाहता है और वह आ जाय तो यहां की जनता और किसान मिट जाना पसन्द करेगी लेकिन तानाशाही नहीं पसन्द करेगा।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां रामनरेश यादव जी बैठे हैं और आज विकास का युग है। प्रदेश की जनता विकास कर रही है। दुनिया में कोई प्रशासन की इकाई इतनी बड़ी नहीं है जितना कि इस प्रदेश का है केवल इंडोनेशिया को छोड़कर। यूरोप में इंग्लैंड के बराबर है। यदि यह स्थिति है तो जहां प्राविन्स का सवाल है, बड़े प्राविन्स का सवाल है जैसा कि श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि यदि यह प्रदेश बंट गया तो पूरा देश बंट जायेगा। मान्यवर, ऐसा कहकर जो सोचने की शक्ति है उसमें दूसरी बात है। इस तरह की बातें करने से जो सोचने की प्रवृत्ति है, छोटे-छोटे राज्य बनाकर विकास करने की जो प्रवृत्ति है वह सिद्धान्तों पर एक तरह से कुठाराघात है। कोई कहता है कि गंगा-जमुना बंट जायेगी। इस तरह धार्मिक प्रश्न लेकर यह बातें यहां नहीं आनी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जो हैं उनके बल पर हम अब चुनकर आए हैं। जिस समय बी० के० डी० थी उस समय मैं हाउस में था, उनके आशीर्वाद से और पूरे विधायकों की जो समिति बनी थी उसमें १५० मेम्बर थे उसका मैं कन्वीनर था। मैं आज कहना चाहता हूं कि श्री राम नरेश यादव या उनकी सरकार इस प्रदेश को बांट नहीं सकती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो मुख्य मंत्री आ जाय वह उत्तर प्रदेश को पीछे जाने से रोक नहीं सकता है। इस प्रदेश को प्रशासन के स्तर पर संभालना मुश्किल है। यदि प्रदेश को पीछे लाने से रोकना है और प्रशासन को ठीक करना है तो इस प्रदेश को ३-४ भागों (प्रदेशों) में बांटना होगा। मुख्य मन्त्री नहीं इसको बांट सकते हैं लेकिन एक काम कर सकते हैं। जैसा कहा जाता है कि पूरा प्रदेश जैसे बुन्देलखंड, पश्चिमी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश और यह कहा जाता है कि पहाड़ी प्रदेश इस प्रकार ४ भागों में बंटा हुआ है। कोई भी

सरकार आती है वह इस प्रदेश को ४ भागों में बांट कर चलती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह प्रदेश नहीं बंटता है तब तक मुख्य मन्त्री प्रशासन की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रदेश को ४ भागों में बांट करके मुख्य मन्त्री जो चले तभी सही विकास इस प्रदेश का वह कर सकते हैं।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, आज मैं सामान्य प्रशासन पर अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन प्रदेश की १० करोड़ जनता का महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम इसको उचित ढंग से नहीं ले जा सकते हैं तो हमारा प्रदेश निश्चय ही गर्त में जाएगा। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। हमको एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं बल्कि गम्भीरता से विचार करना है। चूंकि बहुमत की जनता कहने को आज तैयार हो गयी है कि यहां का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। यह हमारी जनता की बुलन्द निकल रही है। मैं इसलिये सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन यह मिलीजुली सरकार है जो हमारे प्रदेश में इसके पहले भी चल चुकी है। मिली जुली सरकार के आज रिसर्च सेन्टर और प्रशिक्षण केन्द्र खुल चुके हैं। मिली-जुली सरकार के अनुभव पहले भी हो चुके हैं लेकिन आज वह सफल नहीं हो रहे है, यदि हम बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं तो अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा कि ५ साल कांग्रेस वालों को बोलना न पड़े और यह सरकार अच्छी तरह से प्रदेश को आगे ले जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश का प्रशासन निश्चय ही लूज है।

मान्यवर, मैं अपने जिले जौनपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं वहां के जिलाधीश शिया हैं। जब से वह आये है वहां उनका असर हुआ है और वहां दो बार झगड़ा हो चुका है। इसीलिये वहां की बार एसोशिएशन के लोगों ने प्रशासन को लिखकर दिया है कि उनको वहां से हटा दिया जाय। लेकिन जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके विपरीत कहते हैं जिससे उनकी बात मान ली जाती है और जो दूसरे लोग कहते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती है। इसलिये यदि यह पार्टी पर चलेंगे तो निश्चय ही प्रशासन ठीक के नहीं चलेगा। अतः आपको निष्पक्ष होकर चलना चाहिये।

मान्यवर, कुछ दिन पूर्व देखा हमारे यहां मड़ियाहूं में नर संहार करने वाला तेंदुआ आया था। वहां के दक्षिण भाग के किसान खलिहान में रहने से डरने लगे किसान का गेहूं खलिहान में पड़ा है लेकिन वह डर के मारे वहां नहीं रहता। तेंदुआ वहां से ७-८ बच्चे उठाकर ले गया जिलाधिकारी को लिखा गया और यहां चर्चा हुई लेकिन उसको हंसी में टाल दिया गया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि देश में प्रचार करके सरकार बनाना आसान है लेकिन मित्रों प्रशासन को चलाना एक अनुभव की बात है। हमारा देश गांवों का देश है। जब हमारे गांव मजबूत होंगे तो जिला मजबूत होगा और जिला मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकृष्ण—]

लेकिन आज आप गांव में कोई ताकत नहीं दे पा रहे हैं।

हरिजन की बात आती है तो आप इमानदारी से कहें कि वहीं ब्राह्मण और बनिया तथा क्षत्रिय की पिटाई हो गयी यह क्यों नहीं कहा जाता है बल्कि यह क्यों कहा जाता है कि हरिजन की पिटाई हो गयी। इसलिये मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आपने गरीब और हरिजन के रक्षा के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं? कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे जनता को राहत मिले। निश्चय ही आप ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि यदि राजनीतिक दृष्टि से सरकार चली तो वह सरकार चल ही नहीं सकती। इस समय जो सरकार चल रही है उसमें सी प्रकार की बातें चल रही हैं जैसे आरक्षण का मामला है। आरक्षण के मामले को कोई भी बर्दास्त नहीं करता। हरिजन वर्ग के मतलब जाति नहीं होते। वर्ग के माने हैं पिछड़ा हुआ, नई बात सोचिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चलाने में कुछ मुलायम भी होना चाहिए। आपको जनता के सुझाव, विरोधी पक्ष के सुझाव को देखना चाहिए और समझना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि क्या नियमों में संशोधन कर के काम अच्छा चल सकता है, क्या जो शोर गुल मचा हुआ है, देश में अराजकता की बू आ रही है उसे शांति किया जा सकता है। असेम्बिली के अन्दर जो भी सुझाव आता है उस पर गम्भीरता से सोचें और अमल करें। जाति के बल पर उसूलों के बल पर प्रशासन चलाना उचित नहीं है।

अंत में मैं कटौती का प्रस्ताव जो हमारे सेहरा जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और सरकार ने जो अपना प्रस्ताव रखा है वह बहुमत के आधार पर पास ही हो जायेगा लेकिन जो बहुमत जनता ने दिया है जनता देख रही है कि बहुमत के आधार पर आप पास करते रहें लेकिन उसका दुरुपयोग होगा सदुपयोग नहीं होगा। सिंचाई की दो नहरें चल रहीं हैं उनको बेकार कर दिया है। सरकार लोग ओवरसियर से मिल कर, इंजीनियर से मिल कर यह सब कर रहे हैं। हमारी शारदा कैनाल की स्कीम है वह भी इसी प्रकार चल रही है। कोई निर्णय उस पर नहीं लिया गया है इस तरह से यदि आप गंभीरता के साथ प्रशासन चलाने में असमर्थ रहे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने में भी असमर्थ रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार ने जो प्रस्ताव रखा उसका विरोध करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित बजट का स्वागत करता हूं और उदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, तत्कालीन सरकार के बाद जनता सरकार का जो गठन हुआ वह किसी जातीयता के आधार पर नहीं हुआ। जनता सरकार में कोई वर्ग की बात नहीं है। जनता का सरकार की है। लेकिन हमने देखा कि हमारी सरकार के समय में भी तत्तकालीन सरकार की तरह सचिवालय के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे उच्च अधिकारी हों उन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका परिणाम यह है कि प्रशासन दिन प्रतिदिन जर्जर होता चला जा रहा है। आप देखें जब जनता के साथ न्याय नहीं होता तो चाहे पुलिस विभाग हो कोई भी विभाग हो तो विभाग का खुल्लमखुल्ला पक्ष किया जाता है।

मैं सदन के माध्यम से अधिकारयों को बता देना चाहता हूं कि सरकार बदनाम करने के लिए जो एक नीति अपनायी जा रही है कि यह जातीयता की सरकार

है, यह वे भूल जायं, यह सरकार न तो ब्राह्मण की सरकार है, न तो क्षत्रिय की, न जाटों की और न यादवों की। यह सरकार जनता की सरकार है। इसके साथ ही साथ जातीयता के आधार पर पदोन्नति, नियुक्ति के कारण और छोटे कर्मचारीऔर बड़े कर्मचारी के बीच दरार पैदा करने से एक असंतोष है। उस असंतोष का कारण है कि कानून और व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। आप देख लें छोटे कर्मचारी के लिए हमारे शासन ने ट्राइब्यूनल बनाया है। हमारे छोटे कर्मचारी न्याय मांगने न्यायपालिका में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जाते हैं वहां दशा यह है कि ट्रिब्युनल में अधिकारी २ बजे बैठते हैं और १ घंटा बैठकर चले जाते हैं ऐसा देखा गया है कि छोटे कर्मचारी प्रदेश के कोने-कोने से न्याय के लिए आते हैं और जो समय निर्धारित है उसके अन्दर उनको न्याय नहीं मिलता। मैं निवेदन करूंगा कि उसे तोड़ दिया जाय। अगर उच्च अधिकारियों के लिए वह नहीं है तो छोटे कर्मचारी के लिए भी ट्रिब्युनल नहीं होना चाहिए।

इसके बाद में चयन समितियों की बात कहना चाहता हूं। चयन समिति द्वारा जातीयता के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। चाहे ब्लाक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर, वहां भी लोगों के साथ न्याय नहीं होता। न्याय दिलवाने के लिए चयन समिति में जन प्रतिनिधि को सदस्यता दें। मैं आपके सामने २१ तारीख को सिवा में हुई घटना को रखना चाहता हूं। अगर अधिकारियों का बस चला होता तो ट्रेन फूंक दी जाती, स्टेशन जला दिया जाता। लेकिन मैंने जनता के बीच जाकर हाथ जोड़ कर उस माब को शान्त किया। पी० ए० सी० के डी० वाई० एस० पी० यहां से जी० आर० पी० के एस०पी० मिस्टर अवस्थी और न्यायप्रिय कलक्टर गये थे। उन्होंने कहा कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आकाशवाणी से समय-समय पर जो न्यूज प्रसारित की गयी वह गलत प्रसारित की गयी। पी० ए० सी० के जवानों ने जनता के आक्रोश को देखकर गोली चलायी। पी० ए० सी० के जवानों को चोट नहीं आयी। मैंने जिलाधीश से कहा कि अगर घायल हुए हैं तो आठ पी० ए० सी० के जवानों का डाक्टरी मुआयना करवा लिया जाय। जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने स्वयं जाकर मुआयना करा लिया लेकिन डाक्टर ने जो फैक्ट था वह वही लिखा। कहीं किसी को चोट नहीं आयी थी, किसी को खून नहीं बह रहा था। किसी ने दर्द बतलाया तो किसी ने कुछ। पी० ए० सी० के जवानों ने कस्बे के अन्दर घुस कर फायरिंग की। जिलाधीश महोदय ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा कर जेल भेज देंगे लेकिन आज आकाशवाणी से केवल निलम्बन की बात कही जा रही है मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि निलम्बन कोई सजा नहीं है। उसको जेल भेजा जाय और मुकदमा चलाया जाय जिससे जनता में आस्था उत्पन्न हो सके। अगर इस प्रकार के मामलों में कड़ी निगरानी नहीं रखी गयी और कार्यवाही नहीं की गई तो व्यवस्था म सुधार नहीं होगा। (इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जी० आर० पी० में एफ० आई० आर० दर्ज कराने की व्यवस्था थी लेकिन वह नहीं कराई गयी और बाद में २२ तारीख को १० बजे कर १० मिनट पर एफ० आई० आर० दे रहे थे तो मैंने नहीं देने दिया। इस पर कहा गया कि जब भी चाहे एस० पी० एफ० आई० आर० दे सकते हैं। उसमें दिखाया गया था कि जनता बन्दूक छीन रही थी, जी० आर० पी० के लोगों को मारा गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

से तथ्यों पर पर्दा डालकर शासन को बदनाम करने की चेष्टा अधिकारी लोग करते हैं। इस पर शासन को कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। एक बात में यह कहना चहता हूं कि तत्कालीन सरकार में निजी सचिव रहे उनका स्थानान्तरण करके किसी और पद पर रखा जाय ताकि न्याय करने की जब बात होती है और मंत्री महोदय आदेश पारित करते हैं तो उनमें विलम्ब का कारण यह न बने। आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारी जिनके दिमाग में यह गलतफहमी है कि हमको कोई निकाल नहीं सकता है, शासन निकालेगा, तो भी वेतन देगा, एसे भ्रष्ट अधिकारी अगर पकड़े जायं, तो धारा ५ के स्तम्भ २ में भ्रष्टाचार का मुकदमा चले, मुख्य मंत्री जी को उनको साधारण अपराधियों की तरह जेल में ठूंस देना चाहिये और जैसे चार असमाजिक तत्व भरे जाते हैं। आज स्कूलों में जो अव्यवस्था फैल रही इसका कारण केवल यह है कि अन्य राजनीतिक दल हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वे छात्रों, श्रमिकों तथा किसानों में दूषित वातावरण फैला रहे हैं और शासन के उच्चाधिकारी उसको शह दे रहे हैं। इस स्थिति पर सरकार को विचार करना चाहिये और जो उच्चाधिकारी हमारे बीच में हैं उनको सोचना चाहिये कि वे भी इस प्रदेश व देश के नागरिक हैं। उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे सरकार बदनाम हो। शासन ठीक चलेगा तो देश व प्रदेश ठीक रहेगा वर्ना उनके सामने भी एसी समस्या खड़ी होगी और जिस तरह सरकार उखड़ जायगी तो उसी तरह वह भी उखड़ जायेंगे। एक व्यवस्था पुलिस में यह देखने को मिली कि जहां तक उच्चधिकारियों की बात है जिन अधिकारियों को ५०० मिलते थे उनको बढ़ा कर ९०० कर दिये गये और ९०० से बढ़ा कर १२०० कर दिये गये लेकिन जो छोटे अधिकारी हैं उनके लिये कोई वृध्दि नहीं की गयी। सारा बजट उच्चाधिकारी अपने लाभ के लिये ही रखते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाय और जो छोटे लोग हैं उनके लिये भी आवास तथा अच्छी वर्दी की व्यवस्था की जाय। गोरखपुर जनपद में कई स्थान तो ऐसे हैं जहां उनको टेंट डाल कर रहना पड़ता है एक सुझाव यह भी है कि चोरी डकैती में जो लोग पकड़े गये थे उनको भी यहां से राजनीतिक लाभ दिया जा रहा है। इसकी स्क्रीनिंग कर ली जाय और देख लिया जाय कि फरजी सर्टिफिकेट इश्यू न कर दिए जायं ताकि लोग अनुचित लाभ न उठा सकें। इन शब्दों के साथ में बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने आज शान्ति और व्यवस्था का अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। किसी भी जनतंत्री पद्धति को कायम रखने के लिये दो खेमो की अत्यन्त आवश्यकता है। एक प्रशासनिक दल और दूसरा विरोध पक्ष। तीस साल तक शासन करने वाला जो दल था जब वह शासन करने में असमर्थ रहा और असफल हो गया जनता ने उसको विरोधी दल के रूप में प्रदेश के अन्दर पात्रता नहीं दी। सेहरा जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे काल्पनिक है और सरासर असत्य हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उन्होने कहा देहरादून में लाठी चार्ज हुआ। मैं कल साढ़े ८ बजे देहरादून से चला हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देहरादून में आज तक कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है कि जनता ने जिस दल को विरोधी दल तक के लिए मान्यता प्रदान नहीं होने दी वह विरोधी दल का कर्तव्य तक निभाने में भी बिलकुल असफल हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि देश व प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ते हुए अपराधों की दृष्टि

में रखते हुए शान्ति व्यवस्था है वह किसी भी शासन के लिए बहुत आवश्यक है ।

इस बढ़ती हुई परिस्थिति में पुलिस प्रशासन को नए ढंग से मौलिक रूप से बदलने की आवश्यकता है । समझता हूं कि ३० साल तक चलने वाले शासन से पहले अंग्रेजी शासन था उसी समय भी इसी तरह का बजट आता था और बदली हुई परिस्थितियों में पुलिस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया गया । उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ३० सालों में गरीब किसान अधिक गरीब हुआ, गरीब मजदूर अधिक गरीब हुआ, इसी तरह से छोटा कर्मचारी छोटा ही रहा । पुलिस का सिपाही और छोटा कर्मचारी दबा हुआ है । उसकी सुख सुविधा के लिए उसके बच्चों की शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलीं । उसका परिणाम यह है कि आज जो शान्ति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सिपाही है वह दबा हुआ है । इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां हम बड़े अधिकारियों को बड़े उद्योगपतियों को, बड़े किसानों को सुख सुविधायें दे रहे हैं वहां छोटे वर्ग के कर्मचारियों और लोगों को सुविधा बजट के द्वारा दें । उनके बच्चों की शिक्षा की ओर हमें ध्यान देना होगा यदि हम चाहते हैं कि इसमें बुनियादी परिवर्तन आये और जिम्मेदारी से काम कर सकें । छोटे पुलिस सिपाही को सुविधा वेतन वृद्धि से देनी होगी ।

इसके साथ ही में यह कहना हूं कि इस बदलते हुए वैज्ञानिक युग में बढ़ती हुई जनसंख्या में अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है । इसमें पुलिस विभाग को वैज्ञानिक ढंग से समर्थ बनाना पड़ेगा । प्रत्येक जिले में जो अपराधी का पता लगाने वाले कुत्ते होते हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे तुरन्त अपराधों का पता चल सके । इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे जो पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी हैं वह भ्रष्ट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं । आज जनता में चर्चा है कि अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उसके भी कारण हैं । लोगों में चर्चा है कि डी० आई० जी० तक की जो छोटे कर्मचारी हैं वह सब्जी से लेकर टी० वी० सेट तक पहुंचाने के लिए मजबूर होते हैं । इसका कारण है कि जो अपराध केन्द्र हैं उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है । यह बात सही है हमारे मुख्य मंत्री जी को देखना होगा । यदि यह बात सही है तो इसे दूर किया जाय ।

इसके साथ ही जो आदमी अपराध करता है और जब वह पकड़ा जाता है तो उसके लिए १४वीं सदी के जैसे तरीके अपनाये जाते हैं । उसको मारा पीटा जाता है मुझे मालूम है अभी दो आदमी पकड़े गये उनके पैर तोड़े गये । इस वैज्ञानिक युग में इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाय कि अपराध का भी पता चल जाय और अपराधी को इस तरह से मारना न पड़े । यह चौदहवीं सदी के जो तरीके हैं इनको छोड़कर नये वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिये ।

आज सबसे बड़ी संख्या में अपराधों को जो प्रेरणा दे रहे हैं वह हमारे विरोधी दल के लोग हैं । मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मेरे जिले के अन्दर जितनी अशांति है उसके पीछे आज तक ३० साल तक जो शासन में संरक्षण पाते रहे हैं चाहे वह व्यापारी हो या बड़े अधिकारी हों या ऐसे असामाजिक तत्व हों, वह लोग हैं । यही लोग आज गड़बड़ी मचाए हुए हैं । हमारे विरोधी भाई चाहे गांव स्तर पर

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री—]

हों, जिला स्तर पर हों, या प्रदेश के स्तर पर इस तरह की बात आ रही है कि इन लोगों से प्रेरणा मिल रही है। इसलिए मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी इन नई परिस्थितियों में सोचे हमको १० करोड़ जनता ने विश्वास दिया है पूरे विधान सभा के अन्दर मुख्य मन्त्री जी को बड़ा बहुमत प्राप्त है...। पिछले एक साल से हमारा प्रशासन चल रहा है, उसको ठीक से चलाने के लिए और शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिए नई परिस्थितियों को देखते हुए छोटे कर्मचारियों की सुख सुविधा पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जो तीन हमारे यहां असामाजिक तत्व खड़े हो गये हैं, जिसमें चन्द व्यापारी और कुछ अधिकारी, जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, उनके गले के नीचे से जनता पार्टी का शासन नहीं उतरा है। ऐसे अधिकारियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कुछ अधिकारियों ने इमरजेंसी में अपनी आंख बन्द करके काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और जिसने अनुशासन में रहकर कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ काम किया है, उनको प्रोत्साहन देना होगा, चाहे उन्होंने ज्यादतियां की हों। मैं फिर से प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का, जिसे मैं समझता हूं विरोध करने के उपयोग नहीं है वापस लेने की प्रार्थना करते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मुख्य मन्त्री जी ने सामान्य प्रशासन का जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा कि प्रचार किया जा रहा है कि जनता सरकार के आने से प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, उस सम्बन्ध में मैं एक सामान्य बात कहना चाहता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब सत्ता में परिवर्तन हुआ है शान्ति और व्यवस्था की दिशा में प्रभाव पड़ा है। किन्तु अगर पिछले आपातकाल के दो वर्षों के समय को निकाल दिया जाए और सन् १९७४ और १९७७ की तुलना की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपराध सन् १९७७ में जनता सरकार के समय में घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। सन् १९७४ में प्रदेश में डकैतियों की संख्या ४५४१ थी और १९७७ में ४१८७ रही, इसी तरह राहजनी सन् १९७४ में ८५३६ थीं और १९७७ में उनकी संख्या ७८४३ रही। हत्याओं के सम्बन्ध में सन् १९७४ में यह संख्या ४५१३ थी और १९७७ में ४७५६ थी। इसी तरह सन् १९७४ में १३७६५ दंगे हुए, जब कि १९७७ में ११२९० ही हुए। नकबजनी की घटनाएं १९७४ में ४६४३२ थीं और १९७७ में ३७३०० थीं। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा शासन काल में निश्चित रूप से अपराधों में कमी हुई है। यह कहना कि जनता सरकार में अपराध बढ़े हैं, सही नहीं है। हो सकता है कुछ स्थानों पर अपराध बढ़े हों, जैसे हमारे क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अपराध कुछ अधिक हुए हैं। मेरे क्षेत्र में तीन थाने हैं, जहां पिछले कुछ माह में डकैती, कत्ल और राहजनी की घटनाएं घटीं, किन्तु स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई विशेष अच्छी भूमिका नहीं निभाई। क्षेत्र के लोग अपने को असुरक्षित अनुभव करने लगे हैं। हमारे कांग्रेसी भाई आज हरिजनों के नाम की दुहाई देते हैं, किन्तु मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या वह वे दिन भूल गये जब हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी की जा रही थी और उसके फलस्वरूप हरिजनों में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। जनता सरकार की स्थापना से पिछले शासनकाल में जो हरिजनों का उत्पीड़न किया गया उनको रहने के लिए भूमि दी गयी, लेकिन जनता सरकार के आने के साथ उन तमाम भूमिहीनों को उनके हक दिलाये गये, सही माने में

जनता सरकार ने भूमि दी है, उन भूमिहीनों को। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में निगोहां गांव है जहां पर कत्ल और डकैतियां हुआ करती हैं। थाना बहुत दूरी पर है। वहां पर एस० एस० पी० महोदय ने एक एडहाक पुलिस चौकी की स्थापना की है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि निगोहां गांव में पुलिस चौकी की स्थापना करने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र में हरिजनों की जनसंख्या ५० फीसदी है। लेकिन उनके सामने कार्य करने का साधन नहीं है। अधिकतर लोग खेतिहर मजदूर और भूमिहीन हैं।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)––

व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्य प्रशासन और पुलिस का बजट है। कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

एक सदस्य––

कोरम पूरा है।

श्री अध्यक्ष––

कोरम नहीं है तभी तो घंटी बजी है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सन्त बख्श रावत––

मेरे क्षेत्र में हरिजनों की संख्या लगभग ५० फी सदी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेसी भाई हरिजन उत्पीड़न की बात कर रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में एक भी हरिजन उत्पीड़न की घटना नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र में गरीबी का वातावरण बहुत अधिक है। उनके सामने रोजी कमाने का साधन नहीं है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करें ताकि इस क्षेत्र के लोग अपनी जीविका चला सकें। मेरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। मेरे क्षेत्र से शारदा सहायक नहर निकल रही है। गोसाईगंज रजबहा में पानी दिया जाता है लेकिन इस नहर के चलने से गोसाईगंज रजबहा में पानी नहीं गया है। जिसके कारण किसानों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। पिछले वर्ष लाखों रुपये की हानि हुई है और फिर किसानों की फसल समाप्त हो रही है। मेरे क्षेत्र में इस नहर का पानी दे कर वहां के किसानों को राहत देने की कृपा करें। मेरा क्षेत्र गोमती नदी से मिला हुआ है जहां की जमीन बहुत ऊबड़–खाबड़ है जिसके कारण नहर का पानी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में सरकारी नलकूप अधिक से अधिक लगाये जायं ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकें। मेरे क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जनता सरकार की स्थापना से प्रदेश के जिन विकास खंडों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ है वहां हमारे क्षेत्र के विभिन्न ब्लाकों में कुछ मार्गों का निर्माण हुआ है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री तथा इस सरकार से

[श्री सन्त बख्श रावत--]

अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र की सड़कों पर विशेष ध्यान दे कर सड़कें बनवाने की की कृपा करें । आजकल हम देखते हैं कि अधिकारी मन्त्रियों के आदेशों की अवहेलना, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं ।

एक आदेश माननीय मुख्य मन्त्री जी का है, उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूंगा । माननीय मुख्य मन्त्री ने १८ अगस्त, १९७७ को अपने पत्र संख्या ३६६४ द्वारा एक स्थानान्तरण का आदेश दिया था तीन अनुस्मारक देने के बाद भी उस अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं हुआ । मैं इस सम्बन्ध में आई० जी० से मिला, लेकिन उस पर समुचित कार्यवाही नहीं हो सकी । अभी शीघ्र ही मैं फिर मिला तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनको बदल दिया गया जिले से नहीं हटाया गया । चोरियां हो रही हैं, मेरा क्षेत्र लूटा जा रहा है, लेकिन अधिकारी मौन हैं । सरकार के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मन्त्री तथा शासन से यह मांग करता हूं कि वह अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाये और अपने आदेशों का पालन करवाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री अजब सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)--

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई गलत-सलत शब्द निकल जाये तो उसे माफ करने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं ।

श्री अजब सिंह--

ठीक है, उस वक्त से बहुत बीमारी और मुसीबत उठाने के बाद नया लाइसेंस रिन्यू हुआ है । यह बजट तो पास हो ही जाना है । बजट पास होते रहे हैं और पास होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, उस मुसीबत में ९-१० महीने हो गये हैं लेकिन हम उनको दूर करने का कोई उपाय नहीं सोच रहे हैं । और हम उन बातों को भूल गये हैं । हमें अपने संगठन में मजबूती लाकर और अपनी नीति में परिवर्तन लाकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए । हो यह रहा है कि एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और पार्टी बन्दी में मुसीबतें उठाते हैं, उसका कारण यह है कि सारा काम जो था वह नष्ट और भ्रष्ट हो गया है और आप लोग समझते हैं कि हमारी सरकार चल रही है, हां, चलती रहेगी । क्यों चलती रहेगी यह आप नहीं महसूस कर रहे हैं । ९-१० महीने हो गये हैं । आज कोई नया काम नहीं किया जा रहा है । मेरा तो ख्याल यह है कि आप कुछ भी नहीं कर पायेंगे और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ? बढ़ते-बढ़ते इतना भ्रष्टाचार हो गया है । कांग्रेस गवर्नमेन्ट के जिम्मे काफी इलजाम है । हम लोग कहते हैं कि नसबन्दी करवाया तो उसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता । आपकी सरकार बनी है तो आप क्या कर रहे हैं । आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे फलां विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । जितने भी कर्मचारी हैं किसी के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी आप नहीं कह सकते हैं कि वह स्वच्छ और ईमानदार है। हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में, देहात में और तहसील में जब हम जाते हैं तो शर्म आती है जो उन लोगों से बरताव किया जाता है। १० महीने में कोई नयी बात पैदा नहीं हुई। किसान की मौत हुई है। इस सरकार ने ९ महीने में किसान की मौत और वह मौत क्या, गन्ना। कोई इन्तजाम यह सरकार नहीं कर सकी, कोई पौलिसी तय नहीं कर सकी, कोई काम ऐसा नहीं कर सकी जिसमें काश्तकार को भी राहत मिल जाय। अभी ३ दिन की छुट्टियों में मैं अपने क्षेत्र में गया, वहां पर क्रशर्स बन्द पड़े हैं, थ्रेशर्स बन्द पड़े हैं और मिल बन्द होने वाले हैं। पश्चिमी जिलों में गन्ना इतना खड़ा हुआ है कि काश्तकारों को उसे जलाना पड़ेगा। ३ रुपये, साढ़े ३ रुपये और ४ रुपये प्रति क्विन्टल के भाव आज वहां पर गन्ने का है। काश्तकारों की बहू-बेटियां भेजना और मंगाना सब बन्द हो गया है। पैसा हाथ में नहीं है, बेचारे मजबूर हैं। आपने मिल वालों का और क्रशर्स वालों का टैक्स भी माफ कर दिया। आपने भी उन्हीं को फायदा पहुंचाया है जो गरीब किसान का गन्ना साढ़े ४ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से ले रहे हैं, उन्हीं को आपने भी भरा है जिनको कांग्रेस सरकार भरा करती थी। अब गेहूं के खरीद के सैन्टर्स कम होते जा रहे हैं, पूरी संख्या में नहीं खुल पा रहे हैं। अगर ये सैन्टर्स पूरी संख्या में नहीं खुल पायेंगे तो हमारी सरकार पूरा गल्ला नहीं खरीद पायेगी और फिर यही ८० रुपये, ७० रुपये, ७५ रुपये और ६० रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिकेगा और सरकार देखती रहेगी। यहां पर हम भाषण भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं, कहते भी हैं लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा है आज १० महीने इस सरकार को बने हो गये हैं लेकिन कोई कारगर उपाय नहीं किए गये हैं।

एक बात यहां पर ट्रान्सफर्स की आयी। ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में मन्त्रियों के कमरों के सामने तख्तियां लटकी हुयी हैं कि ट्रान्सफर्स के बारे में आप तकलीफ न करें। ठीक है, हम तो नहीं देंगे लेकिन उस जनता को क्या जरूरत थी आप लोगों को शासन में लाने की? जो लोग एक स्थान पर ३-४ साल से काम कर रहे थे, जो मन चाहा काम कर रहे हैं आप उनकी इन्क्वायरी नहीं करा सके, उनके कार्यक्रम आप नहीं देख सके, उनके तबादले आप नहीं कर सके। कांग्रेस सरकार को बदलने और आपको यहां पर लाने का कारण यही था कि जनता परेशान थी, उनको तकलीफ थी, उनको बदल कर आपको यहां पर लाये। आप किसी का तबादला न कीजिए, आपके वसूलों में कुछ फर्क पड़ेगा, आप उनको हाथ न लगाइये, उनको न छेड़िये चाहे जनता की खाल उतरवा दें, उनको जलावतन कर दें।

यहां पर कहा जाता है कि इतनी डकैतियां कम हो गयीं, इतनी राहजनी कम हो गयी, इतने कत्ल कम हो गये, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी जगह कम हो गये? मान्यवर, मेरा छोटा सा जिला है। कोई महीना नहीं होता कि वहां पर राहजनी, कत्ल और डकैतियां न होती हों। क्या होता है लिखने में उनकी संख्या कम हो गयी हो लेकिन मौके पर कम नहीं होती है। जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप इरीगेशन में, कोआपरेटिव में, एजूकेशन में और जितने भी अन्य विभाग हैं, उनमें कोई तबदीली नहीं ला सके हो तो मेरी समझ

[श्री अजब सिंह—]

में यह नहीं आता कि यह कब आयेगी कौन लायेगा, और आपका इरादा कब तक का है ।

मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी इस मिशन में कामयाब नहीं होगी तो मेरी प्रार्थना है कि प्रेम से और आराम से इस दल के विधायक लोग इस्तीफा देकर अपने-अपने घर चले जायं यह सबसे बेहतर बात होगी बदनामी से बचने के लिए और बुराई से बचने के लिए । और फिर जनता अपने आप फैसला ले लेगी कि उन्हें क्या करना है । आप कोई फैसला नहीं ले सकेंगे, आपके यहां पर तो वही मशीनरी है । मैं तो समझता हूं कि आप सरकार नहीं हैं । मैं देखता हूं कि मंत्री लोग आदेश देते हैं और वे आदेश किन अल्फाज में देते हैं वह नीचे जाकर खत्म हो जाता है, फाइल खत्म हो जाती है । अगर कोई आदेश दीजिए तो इस तरीके से दीजिए जिससे मालूम पड़े कि यही सरकार है और वह गवर्नमेंट की मशीनरी है । आप क्यों मुझे और इस पब्लिक को धोखा देते हैं आज जनता आपकी ओर आशा लगाये देख रही है कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं । आज चारों तरफ डकैतियां हो रही हैं, राहजनी हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । जो भाई यह कहते हैं कि कत्ल बन्द हो गये हैं, डकैतियां कम हो रही हैं वे भाई गलत कहते हैं । वे मेरे साथ चलें, मैं उनको समझा दूंगा और बता दूंगा कि अगर आप जनता सरकार को चलाना चाहते हैं तो सेवा के तरीके से सेवा कीजिए, प्रयत्न कीजिए और जनता को दिखा दीजिए कि यह सेवा है और प्रदेश की जनता यह मान जाय कि वास्तव में उनकी कोई सेवा की है । वरना मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस्तीफा देकर अपने-अपने घर जाइये और अपना-अपना काम संभालिए और कह दीजिए कि आपके बस की बात नहीं है ।

(श्री राम दत्त जोशी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

जोशी जी आपके बारे में सदन में माननीय सदस्यों को बड़ी उत्सुकता थी । कृपया यह भी बता दीजिए कि आपकी मुक्ति कैसे हुयी, क्या परेशानी थी ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हुस्ने इत्तिफाक है कि आज मैं आपके सामने सदन में अपना वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हूं, वरना स्थिति यह भी हो सकती थी कि अगर इस सदन के सदस्यों की मुझ पर कृपा होती तो मेरा शोक प्रस्ताव यहां उपस्थित होता ।

मान्यवर मेरा कसूर केवल इतना था कि १७ तारीख को इस सदन में मैंने अपने भाषण में ३ बातें कही थीं संक्षेप में । एक तो यह कि गन्ने के खेत में आदमी झुलस सकता है, मर सकता है, लेकिन वह राख बनकर गायब नहीं हो सकता । दूसरी बात मैंने यह कही थी कि हड्डियां वहां जानवरों की हैं । मनुष्य की नहीं हैं । यह बात अब अनेलेसिस से भी साबित हो गयी है । तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए पंतनगर के छात्र नेता और कुछ कर्मचारी नेता सुन रहे थे और उसी रात को, १७ तारीख को यहां से इंडस्ट्रियल ट्रायब्यूनल, फोर्थ के समक्ष बाजपुर शुगर फैक्टरी के केस में काशीपुर मुझे जाना थी कोर्ट में । मैं रात को नैनीताल एक्सप्रेस से गया । जब भोजी पुरा स्टेशन पर उतर कर चाय पीने गया तो उन्हीं छात्र नेताओं और कर्मचारी नेताओं को टी स्टाल के आस-पास

चक्कर काटते हुए मैंने देखा जिन्होंने १६ तारीख को पन्तनगर फार्म में जब मैं गया था तो मुझे हूट किया था। मैंने उसको लाइटली टेक-अप किया। फिर जब ट्रेन चली तो बहेड़ी में उन्हीं लोगों ने फिर मेरे कम्पार्टमेंट में चक्कर लगाये तो मुझे संदेह हुआ कि इनका इरादा गड़बड़ हो सकता है। मेरी जेब में इस समय भी १७ तारीख का काशीपुर का थर्ड-क्लास का (अब सेकंड क्लास) का टू टायर का रिजर्वेशन टिकट है। मेरा काशीपुर जाने का इरादा था और उसी ट्रेन से जाता भी, लाल कुआं से गुजरता हुआ, लेकिन उस संदेह के कारण मैं किछा में उतर गया इस इरादे से कि बस से काशीपुर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, इत्तफक से काशीपुर वाला डिब्बा सबसे आखिर में होता है, मुझे २५–३० नौजवानों ने घेर लिया और पहला सवाल उन्होंने यह पूछा कि आपने सदन में यह क्यों कहा कि गन्ने के खेत में जलकर आदमी कभी राख नहीं हो सकता, हम आज उसी गन्ने के खेत में तुम्हें लेजाकर राख बना देंगे। 'मैंने कहा कि मैंने क्या गलत बात कही थी क्योंकि जब खुद गन्ना ही राख नहीं बन सकता तो आदमी की लाश को कैसे राख बना सकता है? तुम जबरदस्ती करना चाहते हो तो दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि इतने एम० एल० ए० नहीं बोले, तुम ही एक एम० एल० ए० रह गये जो तुमने ऐसा कुछ कहा। बहरहाल, उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं हाथ जोड़ता हुआ, पिछले ओर पैरों से चलता हुआ स्टेशन मास्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ा और कमरे के पास पहुंचा ताकि वहां से टेलीफोन कर सकूं कि इतने में ही वहां लड़कों की संख्या सौ सवा सौ के करीब हो गयी और ठीक स्टेशन मास्टर के कमरे के दरवाजे पर उन्होंने मुझे दबोच लिया और मुझे उठाया और उठा करके उसी ट्रेन के एक दूसरे कम्पार्टमेन्ट में ले गये जिसमें उनके कुछ और साथी भी बैठे हुए थे, वहां ले जाकर उन्होंने मुझे बन्द कर दिया, सौ डेढ़ सौ लड़के उसमें घुस गये और मुझे दबोच लिया गया। ट्रेन ने व्हिसिल दे दी, गार्ड ने झंडी भी दिखा दी। वहां से केवल १० मिनट का रन है किछा से नेक्स्ट स्टापेज का और इस तरह से मेरी जिन्दगी और मौत के बीच में केवल १० मिनट का अन्तर था। लेकिन इसी बीच में स्टेशन मास्टर ने खिसकती हुई ट्रेन को रोक लिया और पुलिस को टेलीफोन किया। वहां ट्रेन केवल ५ मिनट रुकती है किछा पर। १८ तारीख को ट्रेन २० मिनट डिटेन रही। वहां थोड़ी बहुत पुलिस थी, वह आयी और उसने रेस्क्यू किया। पुलिस के आदमी ५–६ थे। हड़बड़ी में भाग आये थे, दरोगा सादे लिबास में ही जैसे सुना वैसे ही चले आये। तो इतनी कम तादाद में पुलिस इतनी बड़ी संख्या के सामने क्या कर सकती थी? उन्होंने बड़े हाथ–पैर जोड़ कर, खुशामद की लेकिन स्टेशन मास्टर ने कहा कि ट्रेन नहीं जायगी भले ही मेरी नौकरी चली जाय। अब उन उपद्रवकारियों ने सोचा कि ट्रेन अब जायगी तो है नहीं, जो हमारा इरादा इनको पन्तनगर ले जाकर इनकी क्रिया करने का है, वह तो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन तो जायगी नहीं और जितनी देर ट्रेन रोके रहेंगे उतनी ही खबर शहर में फैलती जायेगी और फिर एक भीड़ यहां आ सकती है मेरे बचाव के लिए इस लिए यह सोच कर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर पुलिस कस्टडी में मुझे चुपके से काशीपुर पहुंचाया गया। वहां मैंने कोर्ट एटेन्ड किया। वहां मेरी हाजरी लगी है।

[श्री राम दत्त जोशी--]

काशीपुर में भी बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि जो तत्व मेरा स्टेशन पर घेराव किय थे वही किछा में मेरी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यह भी बता। कि मैं वहां से चला जाऊ। रात को ही मैं फिर रामनगर चला आया। रामनगर से फिर एक रास्ते से जो जंगल के रास्ते होकर नैनीताल आता है, उस रास्ते से मैं नैनीताल आया। मुझे बताया गया कि मेरा उन लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है। नैनीताल में न तो डी० एम० थे, न ही आई० जी० पुलिस थ, न ही एस० पी० थे, तो मैं फिर जाकर एस० डी० एम० के यहां बैठ गया। यहां से टेलीफोन भी आते रहे। एस० डी० एम० मुझे यहां भेजना चाहते थे। पर किसी भी रास्ते से भेजना खतरे से खाली नहीं था। नैनीताल से कोई रास्ता ऐसा नहीं था जहां बीच में पन्तनगर या खतरे वाला हिस्सा न पड़ता हो। अगर मोटर से मुरादाबाद आता तो भी ९ मील का फार्म क्रास करके आना पड़ता, ट्रेन भी पंत नगर ही होकर आती थी। पंतनगर रेलवे स्टेशन पर तथा पूरी युनियर्सिटी कैम्प में अराजकता की स्थिति है। आपके आफिसरान कहते हैं कि वहां नार्मल्सी है, पर अराजकता का राज्य है, चारों तरफ भय और आतंक बुरी तरह से छाया हुआ है। सभी लोग बुरी तरह से आतंकित हैं। वहां पुलिस का आतंक नहीं है, इन लोगों का आतंक है। जिस तरह से मुझे किडनेप करके ले जाया गया उसको देखकर आज कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जो लोग भी वहां से भागे हुये हैं अपनी सम्पत्ति आदि को छोड़ कर, वे वापस जा सकें।

मान्यवर, एक शिकायत मेरी समाचार-पत्रों से है। वे एकतरफा रिपोर्ट छाप रहे हैं। आज सैकड़ों परिवार ऐसे मिलेंगे जो शरणार्थी बने हुये, अपनी सारी सम्पत्ति छोड़े हुये भागे हुये दूसरी जगह पड़े हैं, मगर उनके बारे में अखबारों में कुछ नहीं निकलता। मैंने नेशनल हेराल्ड को पढ़ा है, वह इन्दिरा गांधी का अखबार है, उसमें कितनी गलत और भ्रामक खबरें छपती हैं, कि मुझे पढ़ कर आश्चर्य होता है। वे इन्दिरा गांधी की पैरवी करें, मगर तथ्यों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर और झूठे तरीके से न छापें जिससे लोगों में आतंक फैल जाये। १५ तारीख को नेशनल हेराल्ड में छपा कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रशासन में हड़ताली मजदूरों का और छात्र नेताओं का पूर्णतया कब्जा हो गया है, मगर १७ तारीख को मेन हेड लाइन में क्या छपा है? दो दिन पहले कुछ छापते हैं और दो दिन बाद कुछ छापते हैं। ब्लिट्ज में वहां के वाइस चान्सलर का जो फोटो छपा है वह डी० पी० सिंह जो भूतपूर्व वाइस चान्सलर हैं, उनका छपा है न कि वर्तमान वाइस चान्सलर का। यह क्या स्तर है पत्रकारिता का? क्या आपका यही काम रह गया है कि बैठे-बैठे समाचार मैनुफक्चर करके एक तरफा तरीके से छापें? क्या यही कर्त्तव्य रह गया है? मेरा मतलब यह है कि चाहे पत्रकार हों, चाहे और भी जो हों, हमारा यह कर्त्तव्य है कि यह जहर जो है साम्प्रदायिकता का, जातिवाद का किस तरह से मिटे।

हम लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि हमारा देश केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं पिछड़ा हुआ है, बल्कि यह बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। सभ्यत के माने क्या हैं? सौजन्य और शराफत तथा इन्सानियत के माने क्या हैं? महात्मा गांधी का फोटो सामने टंगा हुआ है, लेकिन इनके सिद्धान्तों पर चलने के लिए हम लोगों में कोई तैयार नहीं है। तो मान्यवर, सामान्य प्रशासन के बारे मुझे यह कहना है कि इस समय यह जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, मैं इसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सामान्य प्रशासन पर, पुलिस पर जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया जा रहा

है, उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है। अफसरान के दिमाग में अभी यह गलतफहमी है कि य सरकार रहने वाली है कि नहीं। अफसरान लोग सोचते हैं कि ये लोग रहने वाले हैं कि नहीं मुझे मालूम है कि मंत्रियों के आदेश रद्दी की टोकरी में धरे रहते हैं। मैं अफसरों को बता देना चाहता हूं कि हमारे अन्दर में कितना ही मतभेद हो, नौकरशाही की ओर विपक्ष में बैठने वाले लोगों की कोशिशें नाकामयाब रहेंगी। इस बात को वह नोट कर लें। आल इंडिया रेडियो से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने १७ तारीख को यहां पर कहा था, जो तर्क दिया था, उसको प्रसारित किये होते तो शायद इतनी आग न भड़कती। वहां पर यह कहा गया कि वहां पर एक ही आदमी था, इस लारे हाउस के अन्दर एक ही नालायक आदमी था, जिसने सच बात कही। सच कहने की सजा क्या है? कौन यह साबित कर सकता है कि गन्ने के खेत में आग लगे तो उसमें लाश जल कर राख हो सकती है। पुलिस की एकतरफा निन्दा करन से भी काम नहीं चल सकता। जब हम अपोजीशन में थे, तो खिलाफत भी करते थे, परन्तु जब कोई अच्छा काम सरकार करती थी, तो उसकी तारीफ भी करते थे। जिन लोगों ने इन्दिरा जी की तानाशाही का समर्थन किया, उन सबने कहा कि इस तरह की गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हो गयी, कांग्रेस (ओ०) के लोगों ने भी यह माना कि इमरजेन्सी का जो हमने समर्थन किया था, वह गलत था।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह शब्द वापस लीजिए कि कांग्रेस (ओ०) ने यह कहा कि इमरजेंसी का जो समर्थन किया था, वह गलत था। कांग्रेस (ओ०) ने इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है। वह भूल से कह रहे हैं।

श्री राम दत्त जोशी--

मेरा मतलब कांग्रेस (आर०) से है। मान्यवर, इन्दिरा गांधी जान बूझकर यह स्थिति बना रही हैं कि जिससे यह साबित हो सके कि यह देश केवल डन्डे के जोर पर ही चल सकता है। सी० पी० आई० वाले भी कहते हैं कि इमरजेन्सी में गलती हुई है। कांग्रस (रेड्डी) ने भी कहा है कि गलती हो गयी। कम्युनिस्ट ने भी कहा कि गलती हो गयी। लेकिन इन्दिरा गांधी ला एंड आर्डर की ऐसी सिचुयेशन पैदा करना चाहती है कि इस देश में सिवाय डन्डे के काम चल ही न सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। लेकिन मान्यवर, यह जनता का पैसा है जो करोड़ों अरबों की तादाद में हम विभिन्न विभागों के अनुदान के रूप में इसकी स्वीकृति मांगते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसके एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। लेकिन आपके प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं। लिर्थाजों में पड़े हैं। गलत सूचना देते हैं जैसे कहा गया कि पंत नगर में नारमेलसी है। वहां पर कोई नारमेलसी नहीं है, जिला प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। पंत नगर गोली में चली तो मर्जी से नहीं चली, मजबूरी से चली।

[श्री राम दत्त जोशी--]

दुनिया को कोई जनतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जहां पर मैं समझता हूं कि गोली न चली हो। मैं कोई गोली चलाने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे ऐसा हुआ। केरल में भी कम्युनिस्ट सरकार को गोली चलानी पड़ी थी। मुख्य मंत्री जी ने इसमें न्यायिक जांच कर दी है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग-अलग हो जायगा। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम जातिगत भावनाओं को न उभारें और शक्ति के साथ जिस तरह से जनतन्त्र चल सकता है उसको चलाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद आज स्थगित किया जाता है और कल इस पर विवाद जारी रहेगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम ५१ की सूचनाओं को ले रहा हूं। आज श्री रवीन्द्र सिंह, शारदा प्रसाद रावत, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री राम गोबिन चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री श्रीनारायण, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रियासत हुसैन, श्री हरिकेवल प्रसाद, इन सब लोगों ने एक ही आशय की सूचना दी है कि गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार स्टेशन पर दिनांक २१ अप्रैल, १९७८ की रात को पी० ए० सी० द्वारा गोली चलाये जाने के कारण ३ व्यक्तियों की मृत्यु।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने शारदा प्रसाद रावत जी का नाम लिया है। शारदा प्रसाद रावत जी उपमंत्री हैं तो कैसे वह नियम ५१ में दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--

रावत नहीं जायसवाल।

इस सूचना को मैंने स्वीकार किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर मैं इजाजत नहीं देता। ओझा जी आप तो नियमों के जानने वाले हैं। इसको मैंने स्वीकार कर लिया है, इसमें विवाद की जरूरत नहीं है। इसको मैं मंजूर कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर वक्तव्य दें।

(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव --

२७ अप्रैल को रख दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तो आपके पास सूचना होगी। कल तक दे दें।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, जो सूचना मिली थी उसको मैंने बता दिया था।

लोक सेवा आयोग द्वारा एक हजार डाक्टरों की सेवायें स्थायी न किये जाने के कारण विषम स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

(स्वास्थ्य मंत्री) श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, २० जून, १९७३ से पूर्व प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के अलग-अलग संवर्ग थे। उक्त तिथि से एक नवीन सेवा संवर्ग का सृजन किया गया, जिसका नाम "प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा" रखा गया। नवीन संवर्ग में साधारण ग्रेड (रु० ५५०-१२००) में २०५६ पदों का सृजन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इन पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जायेगी। अर्थात् जो भी अधिकारी उक्त तिथि के बाद आयोग द्वारा चुने जायेंगे वे "प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा" के अधिकारी होंगे।

उपर्युक्त २०५६ पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये लोक सेवा आयोग को २-७-१९७३ को विज्ञापन भेजा गया, जो आयोग द्वारा ८-१०-७३ को प्रकाशित हुआ। बाद में आयोग तथा शासन के बीच विचार-विमर्श के उपरांत अधिकतम आयु सीमा, आयु की गणना की तिथि, इत्यादि विषयों पर कतिपय संशोधन किए गए और अंत में आयोग ने संशोधित विज्ञापन १२-११-१९७५ को प्रकाशित किया, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ३१-१२-१९७५ रखी गयी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची शासन को दिसम्बर, १९७७ में प्राप्त हुई, जिससे १६७३ अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुमोदित किए गए हैं इन अनुमोदित अभ्यर्थियों में से केवल ८५२ ऐसे हैं, जो विभाग में पहले से तदर्थरूप से कार्यरत हैं। शेष ८२१ अभ्यर्थी पूर्णतया नये हैं।

साधारण ग्रेड (रु० ५५०-१२००) के चिकित्साधिकारियों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं, परन्तु कार्य संचालन हेतु शासन को इस पद पर तदर्थ नियुक्ति करने का अधिकार है। तदनुसार शासन द्वारा इन पदों पर तदर्थ नियुक्ति समय-समय पर की जाती रही है। वर्ष १९७५ से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए १७३० चिकित्साधिकारी हैं जिनके नाम आयोग से प्राप्त चयन सूची में नहीं है।

नियमानुसार लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति का नियमितीकरण आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। अतः नियमितीकरण के प्रश्न पर लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय होने तक केवल इस आधार पर कि वे लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हुए हैं, उपर्युक्त अधिकारियों को सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हर साल एक निश्चित संख्या में डाक्टरों को लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर लिया जाय तो इसमें सरकार को

[श्री रवीन्द्र सिंह--]

क्या परेशानी है ? ऐसा सरकार ने क्यों नहीं किया ? २०५६ पदों पर नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग को भेजा और अन्तिम तिथि ३१-१२-७५ रखा । तो मैं जानना चाहता हूं कि २०५६ से कम लोगों को भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग को क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कथन सत्य है कि प्रति वर्ष अभियाचन लोक सेवा आयोग को जाता रहे तो इस प्रकार की समस्या जो आयी है वह न होती । गत वर्षों में प्रति वर्ष अभियाचन लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया । हमने आदेश दे दिये हैं कि प्रति वर्ष ऐसे पदों के ऊपर नियुक्तियां हो इसलिये लोक सेवा आयोग को नाम भेजे जाते रहेंगे ताकि इस प्रकार की समस्या अब न खड़ी हो भविष्य में ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

जितने स्थानों पर अभी नियुक्तियां नहीं की गयी हैं उन पर कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, लोक सेवा आयोग के साथ इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और यथाशीघ्र हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर यह नियुक्ति का मामला तय कर देंगे । जैसा हमने निवेदन किया कि १७३० लोग ऐसे हैं जो १९७५ के साक्षात्कार में बैठे थे और अनुमोदित नहीं हुये हैं । दिसम्बर, १९७७ में सूची प्राप्त हुई है । इसमें यथाशीघ्र कार्यवाही करके नियुक्ति का काम पूरा करेंगे ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जितने तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे गये थे । उनकी चरित्र पंजिका और सेवा अवधि इत्यादि के रिकार्ड भी विभाग ने भेजे थे या नहीं और क्या विभाग का प्रतिनिधि इन्टरव्यू के समय वहां मौजूद थे कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इस समूचे प्रश्न पर जब हम एक नये सिरे से लोक सेवा आयोग के साथ बैठकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो एक या १० व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है पूरी सूची पर विचार करने के लिये लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श चल रहा है । इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न संगत है कि विभाग के विशेषज्ञ वहां थे कि नहीं और दूसरा प्रश्न है कि जो तदर्थ नियुक्ति थे उनकी पत्रावलियां, उनकी चरित्र पंजिकायें भेजी गयीं थी कि नहीं ? उनका मतलब था कि यदि वह सब होता तो यह असंगति शायद पैदा नहीं होती ।

श्री कल्याण सिंह--

जहां तक मान्यवर, विभागीय विशेषज्ञ का प्रश्न है प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग का विशेषज्ञ उसमें रहा है। जहां तक चरित्र पंजिका, सेवा अवधि का प्रश्न है वह सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे जो फार्म होता है उसमें लिखा रहता है कि सेवा कब से कर रहे ह, किस पद पर हैं।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह लोक सेवा आयोग का इन्टरव्यू हुआ तो उसमें शासन का प्रतिनिधि वहां था या नहीं और जो इनका भविष्य अधूरा लटका हुआ है इस पर कब तक निर्णय ले पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कहा कि विशेषज्ञ था।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

शासन का प्रतिनिधि कोई था विशेषज्ञ के अलावा ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, लोक सेवा आयोग में विभाग की ओर से एक विशेषज्ञ होता है। वह उसमें था। दूसरे प्रश्न का जहां तक सवाल है इस प्रश्न को हम जल्दी निपटाना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में विज्ञापन निकला १९७३ में, उसके बाद सामान्य मतभेद दूर करने में पूरे दो वर्ष लगे। इस अवधि में जो समय लगा उसका क्या कारण है और दूसरे हमारे सामने जो संदर्भित समस्या है इसके समाधान के लिए क्या मंत्री जी कोई उपाय निकालेंगे।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर यह जो दो वर्ष का बीच का समय है यदि अनुमति हो तो कुछ तथ्यों को सामने रख कर स्थिति स्पष्ट हो जायगी। आयोग को अधिवाचन भेजा गया, २-७-७३ को आयोग द्वारा पद विज्ञापित किया गया, ८-१०-७३ को आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि रखी गयी। १४-११-७३, प्राविधिक परामर्शदाता की प्रथम नियुक्ति की गयी ३१-१२-७३ को आयोग ने सूचित किया कि आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि १९-१-७४ के शुद्धि-पत्र द्वारा २-३-७४ तक बढ़ा दी गई है और यह ७-२-७४ को विज्ञापन द्वारा प्रकाशित की गयी, आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ३०-३-७४ तक बढ़ाई गई आयोग द्वारा विज्ञापन की जो कतिपय शर्तें थीं जैसे अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि, आयु की गणना हेतु तिथि में संशोधन का प्रस्ताव शासन को आयोग से प्राप्त हुआ २७-८-७५ को और आयोग के उक्त प्रस्ताव को मानते हुए शासन के आयु की गणना की तिथि १-७-७३ के स्थान पर १-७-७५ कर दी जाए, अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए शिथिलनीय होगी, सभी २०५६ पदों को अस्थायी घोषित कर दिया जाय इस तरह की सूचना २४-९-७५ को भेज दी। आयोग द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किया गया जिसमें आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि ३१-१२-७५ रखी गयी

[श्री कल्याण सिंह—]

और यह दिया गया १२-११-७५ को और आयोग से अभ्यर्थियों की जो सूची प्राप्त हुई वह दिसम्बर, १९७७ में प्राप्त हुई। इस तरह यह कार्यक्रम पूरा होता है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चिकित्सा अधिकारियों में बहुत से ऐसे चिकित्सा अधिकारी हैं जिनकी सेवा १० साल और १५ साल तक भी हो गयी है। लोक सेवा आयोग के सामने न जाने का उनका कोई दोष नहीं है। लोक सेवा आयोग अनुमति नहीं दे रहा है तो क्या शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि उनकी सेवा समाप्त न करके उनको नियमित कर दिया जाय ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, यह समय से कुछ पूर्व की बात हो जायगी। हाइपोथिटिकल क्वेश्चन है। वह ऐसा करेंगे। तो हम क्या करेंगे। इस पर विचार विमर्श किया जायगा। अभी से हम कैसे मान लें कि कब कैसा करेंगे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि नियमितीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और पत्र व्यवहार चल रहा है। क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि जिनका नाम चयन सूची में नहीं आ पाता है। उनकी दस वर्ष की सेवाओं को देखते हुए उनकी पदोन्नति के जो समय जिनका पूर्व सूची में चयन हो गया है, उनके बराबर योग्यता मानकर उनका ख्याल रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वह दे चुके हैं कि लोक सेवा आयोग से मिलकर सारे सवाल को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित ४०० स्थान भरे नहीं जा सके। १७३० तदर्थ चिकित्सक हैं। स्पष्ट है कि १७३० में से कोई भी लोक सेवा आयोग के जो आधार हैं उनको पूरा नहीं करता है तो सरकार इनके लिए क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष —

यह पुनरावृत्ति है। जैसा उन्होंने कहा, लोक सेवा आयोग से मिलकर इन सबके भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह—

इन १७३० के भविष्य के बारे में लोक सेवा आयोग द्वारा तो तय कर दिया गया क्योंकि ४०० स्थान रिक्त हैं और इतनी रिक्तियां रहने के बावजूद भी इनको उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री अध्यक्ष—

लोक सेवा आयोग केवल संस्तुति करता है और अगर सरकार चाहे तो विशेष परिस्थितियों में उन संस्तुतियों को अस्वीकार भी कर सकती है। माननीय मंत्री इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह--

इन १७३० के विषय में कुछ आश्वासन दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

एक बार वह कह चुके कि हटाये नहीं जायंगे । उनका कहना है कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा रास्ता सोचा जायगा ।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष सूची नहीं भेजी गयी तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इसमें यह देखा जाना है । १९७३ में अभियाचन भेजा गया । १९७५ में दो दो साक्षातकार हुए । दिसम्बर, १९७७ में सूची आयी । मैं ऐसा कोई वाक्य नहीं कहना चाहता जिससे कमीशन साहबी पर कोई रेफलेक्शन पड़े । इसके विलम्ब में कई चीजें शामिल हैं ।

श्री श्री नारायण--

सन् ७० से हर वर्ष सूची नहीं गयी तो उसके लिये कौन दोषी है और क्या कार्यवाही उसके विरुद्ध की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

वह नहीं हुई । इसको पूछिये नारायण दत्त तिवारी जी से ।

श्री देवन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १७३० जो तदर्थ नियुक्तियां ७५ के पहले की हैं परन्तु ७५ के बाद जिनकी नियुक्ति हुई और जिनकी पुष्टि हो गयी है तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको बचाने के लिए शासन क्या कदम उठायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

कई बार इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री कल्याण सिंह--

जैसा मैंने कहा समूचा प्रश्न शासन के विचाराधीन है । जो गैर इंसाफी की बात है तो उसको दूर करने का प्रयास है ही ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

क्या आप उनको सीनियारिटी भी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

शास्त्री जी, इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री जी ने सारे प्रश्न को ही अभी विचाराधीन रखा है ।

अब यह प्रश्न समाप्त किया जाता है और एजेन्डे का १२ नवम्बर का आइटम लिया जाता है ।

नैनी टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, इलाहाबाद में मजदूरों द्वारा अतिरिक्त महा प्रबन्धक का घेराव व पथराव तथा पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद के प्रबन्धकों की ओर से १४ अप्रैल, १९७८ को श्री राजेश चन्द्र तिवारी, सेक्रटरी मजदूर संघ, इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई गई कि उन्होंने अपरेन्टिस टेक्नीशियन की परीक्षा की उत्तर पुस्तकायें छीन ली हैं। सोलह अप्रैल को श्री तिवारी को इस आधार पर निलम्बित कर दिया गया, किन्तु उनके समय के पूर्व फैक्ट्री से चले जाने के कारण निलम्बन आदेश की तामीली नहीं हो सकती। सत्रह अप्रैल को फैक्ट्री में प्रवेश करके उन्होंने श्रमिकों को हड़ताल करने के लिए उकसाया तथा फैक्ट्री में स्थित एलेक्ट्रिक सब स्टेशन को बन्द कर दिया। इसी तिथि को उन्होंने कुछ अन्य श्रमिकों के साथ लेखा अनुभाग, अन्वेषण तथा विकास अनुभाग इत्यादि में प्रवेश करके अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा श्रमिकों को हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की एक भीड़ ने ट्रान्समिशन सेक्शन में बलात प्रवेश करने का प्रयत्न किया किन्तु सिक्योरिटी गार्डस ने उन्हें रोका। फलस्वरूप उन्होंने गार्ड्स पर पथराव किया और फैक्ट्री में प्रवेश करके 5 राजकीय कार्यालय तक पहुंचे जहां सीढ़ियों पर उन्हें रोका गया। श्रमिकों ने वहां एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों को धमकी दी गयी और उन्हें स्वदेशी काटन मिल तथा जीप फ्लैश लाइट में हुई घटनाओं का स्मरण कराया गया। समय से पुलिस के आ जाने के कारण कोई अवांछनीय घटना नहीं घटी। दिनांक १८-४-७८ को श्री राजेश चन्द्र तिवारी के नेतृत्व में लगभग २०० श्रमिकों ने गार्ड को धक्का देकर फैक्ट्री में प्रवेश किया और यह मांग की कि श्री राजेशचन्द्र तिवारी का निलम्बन आदेश तत्काल निरस्त हो। यह भीड़ लगभग सभी अनुभागों में गई और पूरा काम बन्द कर दिया गया। इन लोगों ने अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें धमकी दी। इसके बाद लगभग 400 श्रमिकों का एक जलूस प्रशासकीय भवन की ओर गया जहां जिले के अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका गया और यह समझाया गया कि हिंसात्मक कार्यवाही न करें किन्तु फिर भी इन लोगों ने उन पर पथराव किया और उत्तेजनात्मक भाषण दिया। अतिरिक्त जनरल मैनेजर तथा अन्य अधिकारियों का घेराव भी किया गया और कुछ श्रमिकों द्वारा बलात पावर सब स्टेशन में तोड़ फोड़ की गयी जिसके कारण फैक्ट्री को बिजली की सप्लाई बन्द हो गयी। श्रमिकों के नेताओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे तेजाब, गैस सिलेन्डर इत्यादि एकत्रित कर लें ताकि उसका उपयोग प्रबन्धकों के विरुद्ध हो सके। इस बीच भीड़ और भी उत्तेजित हो गयी और उन्होंने दरवाजों के शीशे तोड़ना प्रारम्भ किया और सिक्योरिटी गार्ड्स पर पथराव भी किया। पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था करने के पश्चात् अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस भीड़ को गैर कानूनी घोषित किया और उन्हे वहां से हट जाने का आदेश दिया किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और पथराव जारी रहा। इस पथराव से उस रास्ते से गुजरती हुई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई तथा परगनाधिकारी करछना, सर्किल अफसर, एक सब इन्सपेक्टर, दो कान्सटेबिल तथा चार गार्ड्स और दो अन्य कर्मचारीगण घायल हुए। पुलिस ने इस स्थिति में भीड़ को खदेड़ दिया। इस आधार पर धारा 147, 148, 323, 336, 332, 353, 342, 427 भारतीय दण्ड विधान तथा 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत थाना नैनी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ और 4 व्यक्ति घटनास्थल पर गिरफ्तार हुए। स्थिति इस समय पूर्ण नियंत्रण में है। फैक्ट्री में 18 अप्रैल को 6 बजे शाम से 'लाक आउट' घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि इसमें काफी तथ्यों पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने लिखा है कि सरकिल अफिसर, परगना अधिकारी, करछना और दो कान्स्टेबिल और गार्ड को चोट लगी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने मजदूर थे जिनको चोट लगी है, उनके नाम क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, तीन कर्मचारियों को चोट आई है साधारण चोट है। उनके नाम हैं श्री एच० पी० श्रीवास्तव, अभयराज सिंह, श्री के० के० श्रीवास्तव।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मंत्री जी ने एक जगह कहा है कि तोड़ फोड़ के कारण बिजली की सप्लाई बन्द कर दी गई थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि उससे कितनी क्षति हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, क्षति का अनुमान लगाने के लिए फैक्ट्री की ओर से एक कमेटी का गठन हुआ है असेसमेंट कमेटी, वह अनुमान लगा रही है। अभी यह अंदाजा है कि १०–१५ हजार रुपये की क्षति हुई है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १४ और १८ तारीख के बीच केन्द्रीय संचार मंत्री, श्री बृज लाल वर्मा वहां थे और उनके सामने मामला पेश हुआ था। क्या उन्होंने मामले को हल करने का प्रयास किया या वैसे ही छोड़ कर चले गये ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, यह सही है कि केन्द्रीय संचारमंत्री वहां गये थे और यहां के यूनियन के सेक्रटरी, श्री राजेशचन्द्र तिवारी जो निलम्बित किये गये थे उन्होंने उनसे भेंट की थी और इनको भेंट करने की अनुमति दी गई थी। इन्होंने मांग की कि इनका निलम्बन तुरन्त समाप्त किया जाय। इन्होंने मंत्री जी से भी बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया और जो मामले को सुलझाने की कोशिश की थी उससे वह सहमत नहीं हुए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान्यवर, सारी घटना केवल इसलिए घटी कि जो ट्रेड यूनियन लीडर थे उन पर यह चार्ज लगाया गया है कि वह उत्तर पुस्तिका छीन रहे थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के स्टैंडिंग आर्डर में दिया है कि किसी भी मजदूर को निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि उनको चार्जशीट न किया जाय। क्या यह औपचारिकता जो श्रमिकों के संबंध में है उसका पालन किया गया ?

दूसरा प्रश्न यह है कि १८ अप्रैल को लाकआउट कर दिया गया इसके लिए भी जो श्रमिक कानून में प्रोवीजन है वह यह है कि सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। तो क्या मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि लाकआउट के पहले श्रम अधिकारी जो श्रम विभाग के है, अनुमति ली गई ?

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

श्री तिवारी को जो निलम्बित किया गया वह कारण बताओ नोटिस दिया गया । यह नियमानुसार निलम्बन किया गया । लाक आउट भी नियमानुसार किया गया है ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि नियमानुसार निलम्बन किया गया । जनता पार्टी के लोग बिना किसी कारण बताओ नोटिस के निलम्बित कर दिया करते हैं । अभी १४ और १६ अप्रैल को किसी प्रकार का नोटिस तामील नहीं किया गया । कहते हैं कि नियमानुसार निलम्बन कर दिया । कहते ह उत्तर पुस्तिका छीन ली । लेकिन इसके कारण स्पष्ट नहीं है पूरा कारण स्पष्ट नहीं है । वह कारण भी आना चाहिए था । वह कौन सा नियम है ? कब उनको नोटिस दिया गया, कब तामिल हुआ और कब निलम्बित किया गया ? लाक-आउट का भी कोई जवाब नहीं आया ? भारतीय दन्ड विधान की ८ धाराओं की कर्मचारियों पर लगा दिया गया, उसके बावजूद भी सरकार को जब तसल्ली नहीं हुई तो ७, क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट लगा दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अधिकारियों पर भी कोई कार्यवाही की जा रही है या नही ? या यों ही कह दिया गया कि घेराव आदि था, तो क्या कोई अधिकारी भी दोषी था, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई ? कि केन्द्रीय संचार मंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद भी ये कदम उठाने पड़े ।

श्री अध्यक्ष--

राकेश जी, प्रश्न बड़ा सूक्ष्म किया कीजिए । आप तो पूरा व्याख्यान देने लगते हैं । मंत्री जी इनका प्रश्न इतना है कि धारा ८ क्यों लगाई गई ? कोई नोटिस दिया गया ? निलम्बन के पहले अधिकारियों का भी क्या कोई दोष है ? यदि दोष है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कोई मजदूर कर्मचारी इस समय जेल में नहीं है । ४ आदमी केवल गिरफ्तार हुए थे, उनकी जमानत हो गई है । कुछ और आदमियों ने अदालत से अपनी जमानत करा ली है और बाकी के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई आदमी जेल में नहीं है । निलम्बन के बारे में मैंने निवेदन किया, १४ तारीख को यह घटना थी--अप्रेन्टिस शिप की परीक्षा हो रही थी, उसे शेड्यूल्ड कास्ट के एक लड़के को अप्रेन्टिस शिप में भरती कराना था । इन सेक्रेटरी महोदय ने एक विद्यार्थी को जो उनके लिए क्वालीफाइड नहीं था, उसके लिए फक्ट्री प्रशासन पर यह दबाव डाला कि उनको परीक्षा में बिठाया जाए, जो नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता था । यह कार्य यूनियन की कार्य पद्धति के अन्तर्गत नहीं आता है । जो फैक्टरी के मजदूर हैं, उनके इन्ट्रेस्ट को ही वाच करने की उनसे आशा की जा सकती है । उन्होंने बाहर के आदमी के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोशिश करने की चेष्टा की और परीक्षा भवन से कापियां बाहर ले गये । इनको नोटिस दिया गया और नोटिस का जवाब इन्होंने नहीं दिया, इनको नियमों के अनुसार निलम्बित कर दिया गया ।

जहां तक अधिकारियों की गलती का सवाल है, मैंने इसकी तफशील में पढ़ा है--अधिकारियों को केवल चोट आई है, गार्ड्स को चोट आई है, फक्ट्री के

कर्मचारियों को भी चोट आई है। किन्तु उन्होंने (मजदूरों) ने अपना बयान दिया है कि जब वह फैक्टरी में फैक्टरी की बस में जाने लगे तो उस जुलूस की भीड़ ने जिसको सेक्रेटरी साहब लीड कर रहे थे, बस पर पथराव किया और उनको भी चोट इस भीड़ के कारण आई है। तो इस स्थिति में मैं समझ रहा हूं कि परगना अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने बहुत धैर्य से काम लिया और बहुत कम यानी दिखावे के लिए लाठी डंडे का प्रयोग किया और उन्होंने खुद चोट खाई है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि किसी अधिकारी का दोष है, उचित नहीं है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस पथराव से उस रास्ते से गुजरती हुई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई तथा परगनाधिकारी, करछना, सर्किल अफसर, एक सब-इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबिल तथा चार गार्ड्स और दो अन्य कर्मचारी-गण घायल हुए, उसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। भीड़ को पुलिस ने कैसे खदेड़ा? आंसू गैस छोड़ा, लाठी चार्ज किया, गोली चलाई? दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १८ अप्रैल को छः बजे लाक आउट कर दिया गया। तो लाक आउट पीरियड का वेतन भुगतान होगा? तीसरा प्रश्न है कि लाक आउट कब समाप्त किया जायगा, कब फैक्टरी खुलेगी?

श्री लक्ष्मण सिंह--

भीड़ को लाठी डंडा दिखा कर, जमीन पर लाठी डंडा पटक कर और आसमान में घुमा कर और डरा धमका कर खदेड़ा गया है। लाक आउट का जहां तक प्रश्न है, लाक आउट तो सरकार समाप्त करना चाहती है। उसमें उत्पादन की हानि हो रही है, मगर स्थिति सामान्य होने पर ही लाक आउट समाप्त किया जायगा। जहां तक उनको तनख्वाह देने का प्रश्न है जो नियम होगा उसके अन्तर्गत दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

लाठी चार्ज और गोली वर्षा के सम्बन्ध में जितने बयान इस सदन में आज तक हुए हैं एक बात सब में लगी हुई है कि पथराव किया गया। यह घटना जिस प्रशासकीय ब्लाक की है वहां पर ईंट पत्थर तो हैं नहीं। क्या वह मजदूर पहले से योजना बना कर ईंट पत्थर जेब में भर कर, सर पर लाद कर गेट में घुस रहे थे, यदि ऐसा है तो उस समय पहरे पर सीक्योरिटी गार्ड्स ने क्यों नहीं रोका, यह जानना चाहता हूं?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, इसमें निवेदन किया था कि श्री राजेश चन्द्र तिवारी, सेक्रेटरी यूनियन, करीब २०० लोगों को साथ लेकर गये। माननीय सदस्य ने माना है कि वह फैक्टरी नहीं देखी है, गेट पर तीन या पांच आदमी रहते हैं। वह रोकने में असमर्थ थे। उनके पास बन्दूक रिवालवर नहीं होते, न उनको चलाने की इजाजत है और मजदूर अगर जेबों में या झोलों में पत्थर भर कर चले जायं तो कोई रुकावट नहीं है। लाठी डंडे लेकर चलते हैं, तलवार बल्लम ले कर भी चलते हैं। इस केस में मैं जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हर केस में ऐसा ही

[श्री लक्ष्मण सिंह]

बयान दे दिया जाता है। एक प्रकार का बयान नहीं दिया जाता हर केस में, हर एक केस की स्थिति अलग होगी। इस केस में किसी मजदूर को चोट नहीं आयी, केवल प्रशासन के लोगों को चोट आयी, इस प्वाइंट को भी ऐप्रीशिएट करना चाहिए। अखबार वालों की बात कह दूं तो नाराज हो जायेंगे। यह सेंसेशनल न्यूज निकाल देते हैं। कोई मजदूर घायल हुआ इसकी जानकारी नहीं है। कोई मजदूर को चोट नहीं आयी। दो तीन आदमियों को चोट आयी है। एक व्यक्ति विशेष का मामला था। पहले १९७६ में इस किस्म की बात आयी थी। उन्होंने इसमें इंटरवीन करके हौसला बढाया हुआ है और उत्पादन ठप पड़ा है। एक डेढ़ आदमी मजदूरों को बहकाते और लीडरशिप कायम करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, कुछ दिन के लिए डाक्टर राकेश को वहां पर विथ्ड्रा करा दिया जाय।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने अपने लम्बे चौड़े बयान में ऐसी चीजों को कहा, बहुत सी चीजें इस ढंग से कहीं जो हास्यास्पद हो सकती हैं, तथ्यों को छिपाने की बात हो सकती है। इन सारी चीजों की ओर माननीय मंत्री जी का केवल एक ही इशारा है कि एक आदमी के द्वारा ही यह सारी घटनायें हो रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लाक आउट खोला जाये और जो घटना हुई है उसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी जाये।

श्री लक्ष्मण सिंह—

आपका कोई सुझाव है कि किस अधिकारी से जांच करायी जाये? जो मुकदमे कायम हुए हैं, उनकी विवेचना हो रही है। उनकी मांग है कि बिना शर्त वापस लिया जाये। उसमें एक कठिनाई हो रही है कि वह मजदूरों के हित में बात नहीं थी और उनके जूरिस्डिक्सन की बात नहीं थी। पुराने कुछ बिगड़े हुए लीडर्स सारे फैक्टरी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहते हैं और यह शर्त लगायी है कि वह उसी पोस्ट पर रहेंगे। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि लाक आउट हो और उत्पादन में कमी रहे। उससे हमें कठिनाई हो रही है लेकिन आप इसमें किन तथ्यों पर जांच चाहते हैं।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस एक व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है, उसके अन्तर्गत आप कोई ऐसा फारमूला बनायेंगे जिससे आये दिन जो घटनायें होती हैं, वह न हों और शान्ति कायम की जा सके। मजदूरों के प्रतिनिधित्व पर कभी विचार किया है। आप और आपकी सरकार के पास इसका क्या निदान है?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है। आप श्रमिक सम्बन्ध का प्रश्न उठा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कापी छीनता है तो यह अपराध है। इसलिए आपका प्रश्न पैदा नहीं होता है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, मुझे पूरी जानकारी है। राकेश का दिमाग खराब नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

उस जिम्मेदार अधिकारी ने परीक्षा की पुस्तिकायें छीन लीं इसलिए निलम्बित किया गया।

श्री श्रवण कुमार (जिला जौनपुर)--

जैसा कहा गया कि श्रमिकों के नेताओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि तेजाब इत्यादि इकट्ठा कर लो, जिससे उसका उपयोग हो सके, तो जो ४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनके पास इनमें से कोई चीज बरामद हुई ? इस घटना से कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई। लाक आउट हो गया है और सभी मजदूर प्रभावित हैं।

श्री अध्यक्ष--

किसी के पास तेजाब भी मिला ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

नहीं मिला।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने दबी जुबान से जब कहा तो जाहिर हो गया कि सस्पेन्शन की कार्यवाही नियमित रूप से नहीं हुयी। सस्पेन्शन के नोटिस के पहिले जो कार्यवाही होती है, वह भी नहीं हुई और लाक आउट भी, जो हुआ, गैर कानूनी हुआ और अदालत का भी यह फैसला हो जायगा कि ऐसा ही सही है। इस बीच में जो नुकसान हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन पर है। तो औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि मजदूरों पर जितने मुकदमें चले हैं, उनको वापस लेंगे, निलम्बन के आदेश निरस्त कर देंगे और फैक्टरी को चलाने के तुरन्त आदेश कर दिए जायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यूनियन के सेक्रेटरी यह आश्वासन अन्डरटेकिंग दे दें कि वे अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे और मजदूरों को अकारण नहीं बहकायेंगे। तब उनका निलंबन समाप्त करने पर शासन तुरन्त तैयार हो जायगा।

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है कुछ आश्वासन या वे ऐसा माहौल पैदा करें कि दुबारा तोड़ फोड़ की कार्यवाही नहीं होगी तो लाक आउट तो हम स्वयं ही तुरन्त समाप्त करना चाहते हैं।

(किसी सदस्य द्वारा कोरम की ओर ध्यान दिलाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बार-बार कोरम की घंटी का प्रश्न न उठायें क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आपके जलपान की व्यवस्था कर दी है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८

(शिक्षा मन्त्री) श्री कालीचरण--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में इसके जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं, जिनके कारण आप राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ में संशोधन कर रहे हैं, प्रकाश डाल दीजिए।

श्री कालीचरण--

मान्यवर, समय-समय पर कार्य सम्पादन पर कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं, जहां कुछ पुराने नियम बाधक होते हैं। यह एक छोटा सा विधेयक है, केवल उन्हीं कठिनाइयों के निवारण के लिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय, इन्टरमीडिएट और बेसिक शिक्षा परिषद, तीनों में कुछ संशोधनों की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमन् वर्तमान अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के रहते हुए विश्वविद्यालय में अधिकांश जगहों पर तदर्थ कार्यकारी परिषद् कार्य कर रही हैं, जिनमें से कुछ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया लेकिन इन नियमों और परिनियमों के कारण उनका चुनाव कराना संभव नहीं हो सका। तो सारे कार्य परिषदों में समरूपता लाने के लिए यह विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम लाया गया है और साथ ही साथ एक और खास उद्देश्य इसका यह है बहुधा यह देखा जाता है कि विश्वविद्यालयों में कभी-कभी धन का दुरुपयोग, अपहरण, अपवर्जन हो जाया करता है। अब तक ऐसे कोई नियम स्पष्ट नहीं हैं कि जिनकी जिम्मेदारी साबित हो जाय उनसे धन वापस लिया जा सके। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी विश्वविद्यालय के धन या संपत्ति का दुर्व्यवहार, दुष्प्रयोजन या अपहरण किसी अधिकारी के द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि उसमें उत्तरदायित्व किसी का रहा है तो उससे उस धन की वसूली की जा सके।

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का चुनाव हुआ लखनऊ के प्राचार्य संघ और अन्य प्राचार्यों ने माननीय हाई कोर्ट में एक आख्या दाखिल की। कोर्ट ने इसके स्थगन का आदेश दे दिया। पुरानी परिषद् के कई सदस्य अनेक कारणों से अथवा देहान्त हो जाने के कारण परिषद् छोड़ चुके थे। नयी परिषद् से इन नियमों के व्यवधान के कारण कोर्ट में आ नहीं रही थी। तो उनमें संशोधन लाने के लिए जो कि परिषद् का सबसे बड़ा कार्य परीक्षाओं का संचालन है, समय से परीक्षाएं संचालित हो सकें, जिन परीक्षार्थियों के फल रुके हुए हैं, उनकी घोषणा की जा सके इसलिए भी संशोधन की आवश्यकता हुई।

साथ ही साथ पुराने नियमों में यह प्राविधान था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कार्यकाल खत्म हो जाय तो एक बार एक वर्ष और पुनः एक वर्ष—दो वर्षों के लिए कार्य—काल बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत उचित नहीं था। इसकी आलोचना भी होती थीं। इस संशोधन से यह नियम बनाया गया है कि एक बार ३ महीने और दूसरी बार ३ महीने, अधिक से अधिक ६ महीने केवल उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और चूंकि पुरानी परिषद् एक तरीके से समाप्त हो चुकी थी, नयी पूर्णतया गठित नहीं हुई थी, नियमों के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कार्य पूर्णतया ठप हो गया था। इसलिए शिक्षा निदेशक जो पदेन माध्यमिक परिषद् के अध्यक्ष होते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया कि परिषद् का कार्य, जब तक गठन न हो जाय वह उसका कार्य संपादित करते रहें। खास घटनाओं के कारण इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ जो संशोधित रूप में था उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम १९७२ की धारा ५ (२) (ग) में यह नियम है कि परिषद् अपने कर्मचारियों के संबंध में विनियमन का निर्धारण कर सकती है। उसी नियम में ६ (२) में लिखा है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी। और साथ ही साथ उसी में धारा ६ (१) में लिखा हुआ है कि यह परिषद् समय समय पर अपने कर्मचारियों के नियमों में संशोधन कर सकती है। इस तरह से एक तरह का विरोधाभास था। तो नियमों में एकरूपता लाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिनियम में इस अधिनयम के द्वारा संशोधन लाया गया।

इस प्रकार से कोई बहुत विशेष संशोधन की बात नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि समय—समय पर कार्य—संचालन में पुराने नियमों के रहते हुए, जो कठिनाई आती हैं उनके निवारण के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं अपेक्षा करूंगा माननीय सदस्यों से कि इसको सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री देवबहादुर सिंह (जिलान नीताल)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो में विधेयक पेश किया कुछ असंगतियों को दूर करने के लिये, उसके सम्बन्ध में दो एक बातें कहना चाहता हूं। आपने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद् का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, कार्य स्थगन हो गया था, मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार कर ऐसी व्यवस्था करें जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति न आने पावे।

जहां तक प्रबन्ध समितियों के समय बढ़ाने की बात है, या बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के लिये नियम आदि बनाने की बात है, यह ठीक है, मगर चुनाव को बार बार टालना ठीक नहीं है। यह नियम आदि भी बहुत पहले बन जाने चाहिये थे।

इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था करना भी जरूरी है कि अगर कोई स्कूल बन्द हो जाये, किसी स्कूल का कोई मैनेजर स्कूल को बन्द कर दे, तो आज उसको चालू रखने के लिये आपके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं उसके लिये भी इस अधिनियम में कोई व्यवस्था होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर कोई स्कूल बन्द हो जाये तो वहां के कर्मचारियों को कौन सी सुविधायें प्राप्त होंगी उसके लिये भी यदि आप इसमें कोई संशोधन रखते तो वह आपका एक कल्याणकारी कदम कहलाता।

कार्यकाल बढ़ाने की जो बात है, आखिर आप कब तक कार्यकाल बढ़ाते जायेंगे? चाहे जिला परिषद् हो, चाहे शिक्षा परिषद् हो, हर एक चुनाव आप

[श्री देव बहादुर सिंह]

डालते जा रहे हैं। शिक्षा परिषद् में अगर चुने हुए लोग आयेंगे तो काम ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये चुनाव आप जल्दी कराने की भी व्यवस्था करायें। यही मुझे निवेदन करना था।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं ३ कारणों से हृदय से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। शिक्षकों की सेवाओं को भी अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा के प्रबन्ध में जनतान्त्रिक सहयोग के लिये भी यह एक पहला कदम होगा।

विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में इस सदन में अनेकों बार चर्चायें हो चुकी हैं। फंड्स का गलत दुरुपयोग होता है, कई बार कहा गया है। उसकी रोकथाम के लिये ही इसमें व्यवस्था की गयी है। पहले हमारा कोई नियन्त्रण ही नहीं था। अब इसमें संशोधन करके राज्य सरकार का नियन्त्रण रखा गया है। अब यह किया जा रहा है कि कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा। यह हो जाने के बाद सरकार का एक बहुत बड़ा नियन्त्रण हो जायेगा। किन्तु इसमें जो आगे लिखा है उसके बारे में मैं आश्वासन चाहता हूं यह लिखा है अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय। इसमें कहीं ऐसा न हो जाये कि रूल बनाने में काफी विलम्ब हो और यह यूं ही रखा रह जाये। सो हम पारित करने जा रहे हैं यह कुंठल हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

आप थोड़ा सा सतर्क रहियें, नियम जब आये, तो देख कर पास कीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मान्यवर, उसका अगर कोई समय निर्धारित हो जाय तो ठीक रहेगा। दूसरी बात जहां तक इन्टरमीडिएट एजूकेशन की बात है, उसके सम्बन्ध में यह अच्छा कदम उठाया गया है। अभी तक जो सरकार द्वारा अनुरक्षित विद्यालयों के प्रधानाचार्य ११ और ११ अध्यापक चुने जाते थे, उसमें प्रधानाचार्य के लिए ५ वर्ष का और अध्यापक के लिए १० वर्ष का अनुभव का जो बन्धन था, वह इस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी प्रधानाचार्य, कोई भी अध्यापक, उसमें भाग ले सकता है। इस तरह से शिक्षा के प्रबन्ध में अधिक जनसहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। चुनाव न होने की दशा में वर्तमान सरकार ने समय निर्धारित कर दिया है। दो वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं बढ़ाये जायेंगे यह पूर्व सरकार का निर्णय था, उसे वर्तमान सरकार ने वर्तमान संशोधन के द्वारा ६ महीने कर दिया है। अब तक इन्सपेक्टर आफ स्कूल के यहां लोग आवेदन-पत्र दिया करते थे और वह आवेदन-पत्र प्रबन्धक के पास भेज दिया जाता था, इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि निरीक्षक के द्वारा मेरिट निर्धारित कर दी जायगी। अभी तक जो प्राइवेट मैनजमेन्ट थे, अपने लोगों को गलत ढंग से अस्थायी रूप से रख कर, उनका शोषण किया करते थे, अब इसमें व्यवस्था हो गयी है कि चालू शिक्षा सत्र समाप्त होते-होते वह सब अस्थायी रिक्तियां अपने आप समाप्त हो जायंगी। प्राइमरी स्कूल के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो टीचर्स हैं, उनकी सेवा नियमावली अब तक नहीं बन पायी है, उसका कारण यह था कि जिम्मेदारी अब तक निश्चित नहीं थी, जो प्रक्रिया की विसंगति थी, पिछली सरकार ने दूर करने की कोई कोशिश नहीं किया। अब विसंगति दूर करके सरकार ने नियमावली बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन संदेह यह है कि कहीं अधिकारियों के चक्कर में जाकर कहीं वह नियमावली बनने में बहुत समय न लग जाय। जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस संशोधन को पारित कर यह भी समय निश्चित कर लें कि उनकी सेवा नियमावली कब तक बन जायगा। अभी अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के बारे में यह निश्चित कर दिया गया था कि इनकी सेवा नियमावली बन जायगी और उनको वेतन चेक से दिया जाया करेगा, परन्तु निर्णय हो जाने के बाद भी उसके परिपालन में कितना समय लग गया है, इसकी जानकारी स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी को है। इसलिए प्रशासन के हित में जो निर्णय लिये जाते हैं, वह भी—कभी—कभी हमारे अधिकारियों के कारण विलम्ब हो जाता है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय, तो यह अधिक जल्दी लाभकारी सिद्ध होगा। इन शब्दों के साथ पुनः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है निश्चित ही इसकी मंशा अपने आप में शिक्षा है शिक्षा जगत के अन्दर चाहे विश्वविद्यालय हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद् हो, कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त है और उन कमियों को देखते हुए इस चीज की पुनरावृत्ति जो की गयी है, इन सारी कमियों को देख कर यह संशोधन रखा गया है। मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूं। जैसी ही आस्था और विश्वास के साथ जो बड़े दिल दिमाग के साथ इस विधेयक को रखा गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जो भी विषय रह गया था, उनमें जो कमी रह गयी थी, अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता सम्मानित सदस्य ने बताया कि तमाम कमियां ऐसी रह गयी हैं जिसके लिये मुख्य रूप से परिषद् जिम्मेदार थी और इन परिषदों की अवधि भी जिम्मेदार थी। तो नयी समितियों के चयन के लिये समय की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये। जिससे कि जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली के अनुरूप शिक्षा जगत में कार्य हो सके। जैसा कि अभी शासन ने जो और जनतांत्रिक प्रणालियां हैं उन पर चोट किया था और अवधि बढ़ा दी थी तो इसमें निश्चित समय की घोषणा होनी चाहिये। अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी तो डाइरेक्टर को दे दी गयी है लेकिन तत्काल इनका चयन कराया जाय और इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अदा की जाय।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई विश्वविद्यालयों में इस तरह की बातें उठीं कि धन का दुरुपयोग होता है, पद का दुरुपयोग होता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दुरुपयोग करने वालों पर यदि दुरुपयोग की पुष्टि हो जायगी तो उसे सरचार्ज के रूप में कर दिया है तो यह संशोधन करके, जो पैसे का दुरुपयोग करते थे, अपने हित में पैसे का उपयोग करते थे, उन पर अंकुश लगाया है। यह स्वागत योग्य कदम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के विषय में भी संशोधन किया गया है। इससे पूर्व डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को नियुक्ति के लिये गठित होने वाली समितियों में प्रबन्ध समिति का जोर और असर रहता था। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने इसमें ३१(ए) के मुताबिक परिवर्तन करके ऐसा कर दिया है जिससे उपयुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकेंगे। जो उपयुक्त होंगे और जिनकी एकेडेमिक क्वालीफिकेशन होगी वही प्राध्यापक तथा प्राचार्य के पद पर नियुक्त किये जा सकेंगे। इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि प्राध्यापकों और प्राचार्यों को चयन समिति का अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा निर्दिष्ट व्यक्ति बनाया गया है। तो फिर जब भविष्य में इसे संशोधित करें तो दूसरे शिक्षाविदों जैसे उपकुलपति या कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को बनाया जाय। विश्वविद्यालय की इक्जीक्यूटिव काउंसिल में वे सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है उनमें एक रूपता लाने के लिये जो परिवर्तन किया है हम उसके लिये बधाई देते हैं। बेसिक शिक्षा के अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार के नियमों से बाधित होंगे, ऐसा करके बेसिक शिक्षा जगत में सुधार करने का प्रयास किया है।

मान्यवर, जहां तक अस्थायी नियुक्तियों का सवाल है तो हर साल प्रबन्धक और प्रधानाचार्य अपने मन से अस्थायी नियुक्ति कर लिया करते थे। इस विधेयक में संशोधन करके यह निश्चित कर दिया है कि कोई भी प्रबन्धक या प्रधानाचार्य केवल एक शिक्षा सत्र के लिये नियुक्ति कर सकता है। जैसे ही शिक्षा सत्र समाप्त होगा वह नियुक्तियां समाप्त हो जायंगी। तो इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। इससे शिक्षा जगत में सुधार की दिशा में, अच्छा प्रशासन देने की दिशा में काम हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक जो आज प्रस्तुत किया गया है यह शिक्षा जगत में एक क्रान्तिकारी कदम है। इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय और शिक्षा जगत से सम्बन्ध रखने वाले हर व्यक्ति में जिज्ञासा थी और अनेक सदस्यों ने कहा था कि इस विधेयक की रूपरेखा को हम देखेंगे जो क्रान्तिकारी कदम कहा जा रहा है। उसकी प्रतिक्रिया है जनता सरकार के और शिक्षा मंत्री के प्रति काफी उत्साह और आशा की भावना पैदा हुई है। इस विधेयक के माध्यम से प्रबन्ध समितियों के जिस दोष को दूर करने का प्रयास किया गया है उसमें मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। इस विधेयक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद् की तरफ ध्यान दिया गया है जबकि इस तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया था। लेकिन इसके द्वारा हमने साबित कर दिया कि हम असली आधार की तरफ देख रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी चाहे वह अध्यापक हो या गैर अध्यापक कर्मचारी हो सब की सेवा शर्तें और वेतन आदि की असंगतियां जो थीं उनको दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया है। अतः यह सब देखते हुये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह के विधेयक इस शिक्षा जगत में क्रान्तिकारी कदम के रूप में आते रहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । लेकिन इसमें मैं २–३ सुझाव देना चाहता हूं कि जो शिक्षा मंत्री जी ने संशोधन पेश किया है उसमें तीन प्रकार के विद्यालय प्रभावित हो रहे हैं । पहले प्रकार में बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालय आते हैं, दूसरे में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय और तीसरी श्रेणी में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालय आते हैं । मान्यवर, शिक्षण संस्थाओं में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिसको दूर करने के लिये शिक्षा मंत्री ने जो संशोधन पेश किया है वह सराहनीय है । लेकिन देखा गया है कि कानून से बचने के लिये जितनी भी प्रबन्ध समितियां या अधिकारी लोग है वह उससे बचत कर लिया करते हैं । शिक्षण संस्थाओं में फर्जी बाउचर बनाये जाते हैं और उसमें धन का दुरुपयोग किया जाता है जिसको अधिकारी पकड़ नहीं पाते हैं ।

शिक्षा मंत्री ने कहने के लिये संशोधन पेश कर दिया है कि अब धन का दुरुपयोग शिक्षण संस्थाओं में नहीं हो पायेगा । लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सी शिक्षण संस्थायें ऐसी हैं जैसे कि एक ही भैंसे को दो तीन बार मारा जाता है और जिंदा किया जाता है । इसलिये इसके सम्बन्ध में जो भूसे का प्राबोजन है, उसमें फर्जी बाउचर लगा दिये जाते हैं लेकिन उसको कोई अधिकारी नहीं पकड़ पाता है । इसी तरह टीचर्स माध्यमिक विद्यालय में रखे जाते हैं लेकिन उनका उपयोग प्रबन्ध समिति के लोग अपने निजी काम में करते हैं और फर्जी बाउचर जमा कर देते हैं । ऐसे अनेक प्रकार के दुरुपयोग विद्यालयों में चल रहे हैं । इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि यह संशोधन तो सिद्धान्त रूप में सही है ही लेकिन व्यावहारिक रूप में कोई ऐसा तात्कालिक निर्णय लिया जाय जिससे धन का दुरुपयोग शिक्षण संस्थाओं में बन्द हो जायं । जब ऐसा होगा तभी वहां सही रूप से काम हो सकता है और तभी संशोधन का अर्थ सही हो सकता है । मैं इसके साथ ही मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है और जो दूसरे छोटे–छोटे संशोधन आते हैं वह सारे संशोधन ऐसे हैं जो एकदम सहाहनीय है । मान्यवर, शिक्षा के जगत में जो अव्यवस्था है खास कर पैसा कमाने वाली प्रवृति को खतम करने का जो संकल्प हमारी सरकार ने किया है वह सराहनीय है और इससे कुछ राहत हम को मिलेगी । हायर सेकेन्डरी और इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रिन्सिपल और अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था भी एकदम सराहनीय है ।

इस सम्बन्ध में एक सुझाव मैं माननीय मन्त्री जी को दूंगा और वह यह कि इन्टरमीडिएट बोर्ड बनाया गया है उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी ने तीन महीने के लिए दो बार कहा । यदि पहले ही एसी व्यवस्था की जाय कि बगैर टर्म बढ़ाये ही चार्ज लिया जाय तो इस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं होती की तीन महीने के लिए दो बार एक्सटेंड किया जाता है । इसके अलावा और जो कदम इस ओर बढ़ाया गया है वह सराहनीय है । इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश पाण्डेय]

भ्रष्टाचार समाप्त होगा शासन को सुचारु रूप से व्यवस्था करने का अवसर मिलेगा खास तौर पर हम तो मंत्री जी के इस बात के लिए आभारी है कि अध्यापक योग्य मिलेंगे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो शिक्षा मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करते हुये दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

आज शिक्षा विभाग तीन वर्गों में बंटा हुआ है। कक्षा १ से आठ तक, ८ से १२ तक और स्नातकोत्तर शिक्षा। मैंने देखा है कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई अच्छे ढंग से होती है। हमने कई बार शिक्षा मंत्री जी से ग्राम्य विकास मन्त्री जी से अनुरोध किया कि ५० प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिन के पास भवन नहीं है। विद्यालय में बठने के लिए छात्रों के लिए जगह नहीं है, वह गर्मी में धूप में बैठते हैं। बरसात में तो उनकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसके बाद कक्षा ८ की बात आती है। स्कूल के व्यापारी लोग ऐसा व्यापार खोले हुये हैं कि बेसिक शिक्षा कार्यालय के लाखों रुपये निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। हमारे यहां इलाहाबाद म अतिरिक्त जिलाधीश ने ७४-७५-७६ में २० स्कूलों की रिपोर्ट की है लेकिन जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। शिक्षा मन्त्री जी को इसके बारे में दो बार पत्र दिये। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस तरफ जरूर कदम उठाना है ताकि पैसे क दुरुपयोग न हो।

दूसरा सुझाव हमारा यह है कि सप्तर्षि मंडल के चुनाव में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिक्षा मंत्री जी ऐसा कोई नियम निकालेंगे जिससे कि इस मंडल में चुनाव अच्छे ढंग से हो सके। बेसिक शिक्षा और जिला विद्यालय निरीक्षक अलग-अलग हैं उन में मतभेद है। जब तक ये म भेद दूर नहीं होगा शिक्षा नहीं चल सकती है। इन्सपेक्टर ठीक तरह से निरीक्षण नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन है कि बेसिक शिक्षा और जिला परिषद् दोनों में ऐसा सामंजस्य करें ताकि शिक्षा की योजना ठीक रूप से चल सके।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संशोधन विधेयक पर जो विवाद चल रहा है, इसको समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इनको बुला लिया है। मैं आपके प्रस्ताव को ले रहा हूं लेकिन यह उनके बोलने के बाद प्रभावी होगा।

प्रश्न यह है कि इस संशोधन विधेयक पर सामान्य विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में अनुसूचित और पिछड़े वर्ग की जातियों का आरक्षण कर दिया जाता तो इनकी बेकारी दूर हो जाती । चार हजार से अधिक हाई स्कूल और इंटर कालेज हैं । लगभग ६२ हजार अध्यापक काम कर रहे हैं । अगर १८ प्रतिशत के हिसाब से उसमें आरक्षण कर दिया जाता तो लगभग १२ हजार अनुसूचित जाति के विद्यार्थी कम पा जाते । मैंने शिक्षा मंत्री जी से कई बार बात की और प्रार्थनापत्र दिये । एम० ए० एल० टी०, बी० ए० बी० एड०, बी० टी० सी० पास छात्र छात्राएं इधर उधर घूम रही हैं । उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं । उनके मां बाप ने इसलिए उनको किसी तरह से पढ़ाया कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और अपना व परिवार का सहारा बनेंगे । बहुत से छात्र आई० टी० आई० आदि से शिक्षा प्राप्त कर इधर उधर घूम रहे हैं । इसलिए मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अनुसूचित और पिछड़ी जाति के बच्चों का आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में करें ।

श्री काली चरण—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने एकमत से इसका स्वागत और समर्थन दोनों ही किया । केवल थोड़ी सी बात माननीय देव बहादुर जी ने कह दी थी कि क्या कारण है कि समय बढ़ाने की जरूरत पड़ती है । समय पर चुनाव क्यों नहीं हो जाते । मेरा उनसे केवल एक ही निवेदन है कि जिस सरकार से उनका सम्बन्ध रहा उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी, मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं । मैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लाना चाहता जिसमें कोई इस तरह की दिक्कत आ जाय । कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं । देव बहादुर जी ने कहा कि उदाहरण माध्यमिक शिक्षा परिषद् का है । बोर्ड वाली बात मैंने बतलायी थी । दूसरी बात यह है कि विधान मंडल के दोनों सदनों से कुछ सदस्य निर्वाचित होने थे । बिना उनके बोर्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी । इस संशोधन से यह व्यवस्था कर दी गयी कि बिना इनके निर्वाचित हुए भी बोर्ड गठित हो जायगा । सदन जब इनका निर्वाचन कर लेगा तो उस तिथि से यह भी उसमें काम करने लगेंगे । सारी चीजें साफ हैं । मैंने शुरू में एक बात बतला दी थी कि जो कठिनाइयां नियमों द्वारा माननीय देव बहादुर जी ने उपस्थित करवा दी थीं उन्हीं को हल करने के लिये मैं उन्हीं के पास आया हूं ।

आरक्षण का जो प्रश्न उठाया गया मैं एक प्रश्न के उत्तर में बतला चुका हूं कि यह विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायगा । जहां तक बेसिक शिक्षा परिषद् का सवाल है केवल एक ही बात बतलाई थी कि जिस वक्त शिक्षा परिषद् बनने के पूर्व प्राइमरी स्कूल विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा संचालित थे सबके अलग-अलग नियम थे । इसी शर्त पर बेसिक शिक्षा में उनका विलयन हुआ कि जो नियम पूर्व में इन संस्थाओं पर लागू थे वही लागू रहेंगे और तभी उनका विलयन होगा और इस तरह बेसिक शिक्षा परिषद् बन गयी । तरह-तरह की धाराओं के अन्तर्गत इस तरह के अधिकार दिये हुए हैं कि एक ही तरह के अधिकार हों परिवर्तन और परिवर्द्धन के और एक जैसी नियमावली बन सके । माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कुछ शंकायें उपस्थित की जैसे जूनियर हाई स्कूल प्राइवेट हैं उनकी सेवा नियमावली तथा वेतन वितरण के सम्बन्ध में जिनको कि सरकार अनुदान देती है ।

[श्री काली चरण—]

सरकार ने पूर्ण रूप से इस पर निर्णय ले लिया है और कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। कुछ विधिक दृष्टि से विभिन्न विभागों में तालमेल की आवश्यकता होती है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। इन बातों के साथ म माननीय सदन के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और माननीय अरुण कुमार तथा देव बहादुर जी ने जो हृदय से इसका स्वागत किया है इन दोनों के प्रति मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

जो विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् का गठन होने जा रहा है तो क्या उसमें विद्यार्थी तथा कर्मचारी के प्रतिनिधि की बात भी आपने सोच ली है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इस विधेयक में है नहीं। इसलिये आगे की बात करना गलत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने अपने भाषण के दौरान दो मुद्दे उठाये थे। एक तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सरचार्ज वसूल करने के सम्बन्ध म नियमावली बनाने की बात और दूसरे प्राइमरी टीचर्स की नियमावली, इसके लिये क्या कोई समय निर्धारित करने की माननीय मन्त्री कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण—

विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सरचार्ज वसूल करने का जहां तक सम्बन्ध है उसके परिनियम सरकार बनाती है। अभी कुछ विश्वविद्यालयों की नियमावलियां नहीं बन पाई हैं। इस विधेयक में साफ-साफ दिया है। समय की परिधि की बात है इस सुझाव पर विचार कर लूंगा। बेसिक शिक्षकों की परिनियमावली तो बनी हुई है केवल उनकी नियमावली में समन्वय करना है और उसके बाद सरलता हो जायगी और शीघ्र निर्णय हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से २७ तक

अध्याय—२

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में, खण्ड (१३) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४ द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १०, १९७३ की धारा २ का संशोधन

"परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में, पद 'प्रबन्ध तंत्र' का तात्पर्य, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षा समिति से है, और पद 'प्रबन्ध तंत्र के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है।"

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१—ख) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:— धारा 4 का संशोधन

"(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य ३१ दिसम्बर, १९७८ तक या खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ;"।

४—मूल अधिनियम की धारा ५० में,— धारा ५० का संशोधन

(क) उपधारा (१—क) में, अंक "१९७७" के स्थान पर अंक "१९७८" रख दिये जायंगे ;

(ख) उपधारा (२) में अंक "१९७७" के स्थान पर अंक "१९७८" रख दिये जायंग।

५—मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (८) में, खण्ड (ख) में, शब्द और अंक "धारा ६८ के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति के किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के किसी आदेश" रख दिये जायंगे। धारा ५५ का संशोधन

६—मूल अधिनियम के अध्याय १० में, धारा ५५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— नई धारा ५५—क का बढ़ाया जाना

"५५—क.—(१) धारा ६ के खण्ड (ग) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अभिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।"

धारा ७२ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ७२ में, उपधारा (२) में, उसके परन्तुक में अंक "१९७७" के स्थान पर अंक "१९७८" रख दिये जायंगे ।

धारा ७२-क का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ७२-क में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य ३१ दिसम्बर, १९७८ तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ;"

धारा ७३ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ७३ में, उपधारा (१) में, उसके परन्तुक में अंक "१९७७" के स्थान पर अंक "१९७८" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय ६ संशोधन

१०—मूल अधिनियम के अध्याय ६ में, जहां कहीं भी शब्द 'या किसी स्थानीय प्राधिकारी' 'या किसी स्थानीय प्राधिकरण', या स्थानीय प्राधिकरण और 'या स्थानीय प्राधिकारी' आये हों, निकाल दिये जायेंगे ।

अध्याय—तीन

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ का संशोधन

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या २, १९२१ की धारा ३ का संशोधन

११—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(ग) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित, राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के ग्यारह प्रधान और ऐसी संस्थाओं के ग्यारह अध्यापक ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के अधीन निर्वाचन के लिये कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि वह संस्था का स्थायी प्रधान या, यथास्थिति, ऐसा स्थायी अध्यापक न हो जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुभव रखता हो";

(दो) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(३) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के खंड (झ) या खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।"

१२--मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (1) में,-- धारा ४ का संशोधन

(क) शब्द और अंक "धारा ६" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ३ की उपधारा (३)" रख दिये जायेंगे ;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "एक वर्ष" और "दो वर्ष" के स्थान पर क्रमशः शब्द "छः मास" और "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

१३--मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:-- धारा ५ का प्रतिस्थापन

"५-राज्य सरकार धारा ४ के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।"

१४--मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जायगी। धारा ६ का निकाला जाना

१५--मूल अधिनियम की धारा ८ में, शब्द "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे। धारा ८ का संशोधन

१६--मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, खंड (ख) में, शब्द "खंड (ख) तथा (घ)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख) और (ग)" रख दिये जायेंगे। धारा १३ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा (२) में, खंड (झ) में, शब्द "खंड (ग) और (घ)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "खंड (ग)" रख दिये जायेंगे। धारा १५ का संशोधन

१८--मूल अधिनियम की धारा १६-ङ में,-- धारा १६-ङ का संशोधन

(क) उपधारा (४) में, शब्द "और वह उसे प्रबन्ध समितियों को अग्रसारित करेगा" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्--

"(५)--(एक) उपधारा (४) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धांतों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन-पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

(दो) आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना, और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी।";

(ग) उपधारा (११) में,—

(एक) शब्द "मृत्यु या सेवा-निवृत्ति" के स्थान पर शब्द "मृत्यु, सेवा समाप्ति या अन्य प्रकार" रख दिये जायेंगे ।

(दो) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो, समाप्ति के पश्चात् नहीं बनी रहेगी ।"

धारा १६—छठ का संशोधन

१९———मूल अधिनियम की धारा १६ छठ में, उपधारा (३) में, स्पष्टीकरण के खंड (ग) में शब्द "अनुसूची" के स्थान पर शब्द "द्वितीय अनुसूची" रख दिये जायेंगे ।

नई अनुसूची का बढ़ाया जाना

२०—मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची को द्वितीय अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और सदैव से पुनः संख्यांकित समझा जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित द्वितीय अनुसूची के पूर्व निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"प्रथम अनुसूची

धारा ३ (१) के खंड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन

पदाधिकारी

१—धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग) से अधीन बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(क) बोर्ड का सचिव, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा ;

(ख) सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षक, निर्वाचन अधिकारी होगा;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा ।

मतदाताओं की अर्हतायें

२—संस्थाओं के प्रधान और अध्यापक निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) संस्थाओं के ऐसे प्रधान, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती १ अगस्त को इस रूप में स्थायी हों, और

(दो) हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कालेजों के ऐसे अध्यापक, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती १ अगस्त को इस रूप में स्थायी हों ।

स्पष्टीकरण—(एक) संस्था के प्रधानों या अध्यापकों के पदों के स्थायी पदधारी जो छुट्टी पर हों, निर्वाचकगण में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे ।

(दो) ऐसे हाई स्कूल की स्थिति में जिसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती १ अगस्त के पश्चात् इंटरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता दी गई हो, यदि ऐसे स्कूल का प्रधानाध्यापक स्थायी से भिन्न हैसियत से ऐसे कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक का पद-धारण करता हो तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह इस निमित्त अन्यथा अर्ह हो, निर्वाचकगण में सम्मिलित किये जाने के लिये हकदार होगा ।

निर्वाचक होने के लिए अनर्हता

३--कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में धारा १६-छ की उपधारा (७) के अधीन निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई निलम्बनादेश पैरा २ में निर्दिष्ट सुसंगत दिनांक को प्रवृत्त हो, निर्वाचकगण का सदस्य रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा ।

निर्वाचित होने के लिए पात्रता

४--(१) संस्था का कोई प्रधान निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीस जून को ऐसी संस्था के प्रधान के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव न हो ।

(२) कोई अध्यापक निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीस जून को अध्यापक के रूप में कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष का अनुभव न हो ।

स्पष्टीकरण--इस पैरा के प्रयोजनों के लिये उस अवधि की भी गणना की जायगी जिसमें, यथास्थिति, ऐसी संस्था के प्रधान या अध्यापक ने अस्थायी हैसियत से पद धारण किया हो ।

निर्वाचन क्षेत्र

५--(१) निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र शिक्षा सम्भाग होंगे ।

(२) केवल एक संस्था प्रधान और एक अध्यापक प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जायगा ।

स्पष्टीकरण--इस पैरा के प्रयोजनार्थ, पदावलि "शिक्षा सम्भाग" का तात्पर्य उस शिक्षा सम्भाग से है जिसमें ऐसे जिले होंगे जिन्हें राज्य सरकार किसी शिक्षा उप निदेशक के प्रभार में रखे ।

निर्वाचक नामावली

६--(१) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में, उस निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट जिलों की निर्वाचक नामावलियां होंगी ।

(२) प्रत्येक जिले की निर्वाचक नामावली सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दे ।

सूचना मांगने की सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति

७--कोई निर्वाचक नामावली तैयार करने या निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई दावा या आपत्ति विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति किसी संस्था का कोई रजिस्टर, अभिलेख या दस्तावेज देख सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका ऐसी संस्था के प्रशासन पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना दे, जिसकी वह अपेक्षा करे ।

निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन

8—जैसे ही निर्वाचक नामावली तैयार हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी नामावली के प्रारूप को प्रकाशित करेगा और उसे—

(एक) अपने कार्यालय में,

(दो) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में,

(तीन) ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दे,

निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा ।

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के संबंध में दावा और आपत्तियां

9—(1) निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिये प्रत्येक दावा और उसमें की गयी किसी प्रविष्टि के संबंध में प्रत्येक आपत्ति पैरा 8 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से दस दिन की अवधि के भीतर सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने के संबंध में या उसमें सम्मिलित किसी प्रविष्टि के किसी विवरण के संबंध में, आपत्ति केवल उस व्यक्ति द्वारा की जायगी जिसका नाम पहले से उस नामावली में सम्मिलित हो ।

(2) प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति लिखित रूप में होगी और उस पर दावा या आपत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा ।

समय के भीतर न प्राप्त हुए दावा और आपत्तियों का अस्वीकार किया जाना

10—कोई दावा या आपत्ति जो पैरा 9 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न की जाय या उस व्यक्ति द्वारा की जाय जो ऐसा करने के लिए हकदार न हो, अस्वीकार कर दी जायगी ।

दावा और आपत्तियों का निस्तारण

11—(1) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक ऐसे दावा या आपत्ति के, जिसे पैरा 10 के अधीन अस्वीकार न किया गया हो, निस्तारण के लिये कोई दिनांक निर्धारित करेगा और ऐसे दिनांक की नोटिस—

(क) किसी दावा की स्थिति में, दावा करने वाले व्यक्ति को देगा ;

(ख) निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में किसी आपत्ति की स्थिति में, आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और उस व्यक्ति को भी देगा जिसके नाम के सम्बन्ध में ऐसी आपत्ति की की गयी हों;

(ग) निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि के विवरण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति की स्थिति में, आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और ऐसी आपत्ति से प्रभावित व्यक्ति को देगा ।

(२) उप पैरा (१) के अधीन निर्धारित दिनांक को सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक दावा या आपत्ति की सरसरी तौर से जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

(३) जांच के दौरान दावेदार या यथास्थिति आपत्तिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उप पैरा (१) के अधीन नोटिस दी गई हो, उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा ।

(४) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी स्वविवेक से—

(क) किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति से अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय और इसके लिये उसे शपथ दिला सकता है ।

(५) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उस पैरा (२) के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और उसे पैरा ८ के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में समाविष्ट करेगा ।

(६) एतदपूर्व दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली में किसी लिपिकीय, टंकन या मुद्रण सम्बन्धी भूल या अशुद्धि को ठीक कर सकता है ।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन

१२—(१) पैरा ११ के उप पैरा (२) के अधीन सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति संसूचना के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका आदेश अंतिम होगा ।

(२) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उप पैरा (१) के अधीन पारित आदेश को कार्यान्वित करेगा ।

निर्वाचन के लिए अधिसूचना

१३—मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा, निर्वाचकगण के सदस्यों से अधिनियम के उपबन्धों और इस अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों का निर्वाचन करने को कहेगा ।

निर्वाचन के संबंध में दिनांक का निर्धारण

१४—पैरा १३ के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा—

(क) नामांकन करने के लिए अंतिम दिनांक नियत करेगा जो पैरा १३ के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन से कम न होगा;

(ख) नामांकनों की संवीक्षा करने के लिए दिनांक नियत करेगा जो नामांकन करने के लिए अंतिम दिनांक के बाद पांचवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा ;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अंतिम दिनांक नियत करेगा जो नामांकनों की संवीक्षा के दिनांक के बाद सातवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा ;

(घ) ऐसा या ऐसे दिनांक नियत करेगा जब मतदान, यदि आवश्यक हो, किया जायगा जो दिनांक या जिसमें से प्रथम दिनांक उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अंतिम दिनांक से पन्द्रहवें दिन के पहले का दिनांक नहीं होगा ।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

१५--संस्था का, यथास्थिति, कोई प्रधान या अध्यापक अपने से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये प्रस्ताव कर सकता है, बशर्ते ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हो और उसके पास इस अधिनियम में निर्धारित अर्हतायें हों, और यह भी कि प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आये हों ।

नामांकन-पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामांकन-पत्रों के लिए अपेक्षायें

१६--(१) पैरा १४ के खंड (क) के अधीन नियत दिनांक को या उसके पूर्व, प्रत्येक उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायगा) भरा गया और उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन-पत्र शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को उसके कार्यालय में ११ बजे पूर्वान्ह और ४ बजे अपरान्ह के बीच मुहरबन्द लिफाफे में परिदत्त करेगा या करायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामांकित नहीं समझा जायगा जब तक कि वह--

(एक) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो, एक सौ रुपये की राशि,

(दो) किसी अन्य स्थिति में दो सौ रुपये की राशि,

जमा न करे या कराये :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई उम्मीदवार एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन-पत्रों द्वारा नामांकित किया गया हो, वहां उससे एक से अधिक राशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(२) इन पैराओं की कोई बात किसी उम्मीदवार को एक से अधिक नामांकन-पत्रों द्वारा नामांकित किये जाने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी ।

(३) उप पैरा (१) के अधीन जमा की गई कोई धनराशि उस उम्मीदवार को प्रतिसंदाय की जा सकेगी जिसे एतद्पश्चात् दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित घोषित किया जाय ।

१७—कोई नामांकन-पत्र प्राप्त होने पर, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी नामांकन-पत्रों ऐसे नामांकन-पत्र पर प्राप्ति का दिनांक और समय और उस व्यक्ति का पर पृष्ठांकन नाम, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वह प्रस्तुत किया जाय, पृष्ठांकित किया जायगा करेगा और मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में और रीति से नामांकन-पत्रों की सूची प्रकाशित करेगा ।

१८—(१) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा १६ में विहित रीति से नामांकन-पत्रों प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा करेगा । की संवीक्षा

(२) पैरा १४ के अधीन नामांकन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित दिनांक को, उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नामांकन-पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित हो सकता है और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उसे किसी नामांकन-पत्र की जांच करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा ।

(३) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त नामांकन-पत्रों की जांच करने के पश्चात् उन पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उन समस्त आपत्तियों पर विनिश्चय देगा जो किसी नामांकन के विरुद्ध की जाय और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्वप्रस्ताव से ऐसी सरसरी तौर से जांच, यदि कोई हो, जिसे आवश्यक समझा जाय, करने के पश्चात् किसी नामांकन-पत्र को अस्वीकार कर सकता है ।

(४) किसी उम्मीदवार का नामांकन किसी नामांकन-पत्र के संबंध में किसी अनियमितता के कारण अस्वीकार नहीं किया जायगा, यदि उम्मीदवार किसी अन्य नामांकन-पत्र द्वारा जिसके संबंध में कोई अनियमितता न की गई हो, सम्यक् रूप से नामांकित किया गया है ।

(५) नामांकन-पत्रों की संवीक्षा कर लेने और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात् शिक्षक निर्वाचन विधिकारी उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिनका नामांकन अधिमान्य पाया जाय और उसे अपने, शिक्षा उप निदेशक और सम्भागीय बालका विद्यालय निरीक्षकाओं और निरीक्षक के कार्यालयों में सूचना पट्टों-पर चिपकावेगा । सूची की एक प्रति मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(६) नामांकनों की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के संबंध में शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

१९—(१) कोई उम्मीदवार विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायगा) लिखित नोटिस द्वारा, जिसे पैरा १४ के खन्ड (ग) के अधीन नियत अंतिम दिनांक तक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है । उम्मीदवारी वापस लेना

(२) किसी व्यक्ति को, जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उप पैरा (१) के अधीन नोटिस दी है, उम्मीदवारी वापसी की अपनी नोटिस को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जायगी ।

मतदान कराने की शर्तें

२०—(१) यदि उस अवधि की, जिसके भीतर पैरा १९ के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लिया जा सकता है, समाप्ति के पश्चात्—

(क) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनका नामांकन विधिपूर्वक किया गया हो और जिन्होंने इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अनधिक हो, तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी एसे उम्मीदवारों को सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित करेगा ।

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिनका नामांकन सम्यक्रूप से किया गया हो और जिन्होंने इस प्रकार अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में एक सूची तैयार करेगा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का वर्णमाला क्रम में नाम, जैसा कि नामांकन-पत्र में दिया गया हो, और उनका पदनाम होगा ।

(२) संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों के लिये ऐसी सूची पृथक्-पृथक तैयार की जायगी और उन्हें मतदान-पत्रों के मुद्रण के लिये मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास तुरन्त भेजी जायगी।

(३) मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास पर्याप्त संख्या में मतदान-पत्र और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची भेजेगा ।

मतों का अभिलिखित किया जाना

२१—(१) मतदान, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित मतदान केन्द्रों पर ८ बजे प्रातःकाल और ५ बजे संध्याकाल के बीच गुप्त रीति से किया जायगा ।

(२) मत देने के लिये इच्छुक निर्वाचक से यह अपेक्षा की जायगी कि वह इस निमित्त निर्धारित मतदान केन्द्र पर स्वयं जाय और वहां अपना मत दे।

(३) मतदान की समाप्ति के पश्चात् सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतपेटियों को मुहरबन्द करेगा और उन्हें ऐसे निरापद स्थान म रखेगा जो मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी विनिश्चित करे। तत्पश्चात् मतों की गणना तुरन्त आरम्भ की जायगी ।

(४) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतदान के समय मतदान केन्द्र पर और मतगणना के समय मतगणना स्थल पर उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है। उम्मीदवार, अभिकर्ता की नियुक्ति का अनुमोदन मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम एक घंटे पूर्व सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से लेगा ।

२२—(१) यदि किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान के लिये निर्धारित किसी स्थान पर मतदान कराना सम्भव न हो तो मतदान उस दिनांक तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जिसे बाद में अधिसूचित किया जायगा । मतदान का स्थगन

(२) जहां उप पैरा (१) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय, वहां परिस्थितियों की रिपोर्ट मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त की जायगी ।

(३) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, ऐसा दिनांक नियत करेगा जब मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूर्ण न हो जाय और ऐसे मतदान में दिये गये मतों की सम्यक् रूप से गणना न हो जाय ।

२३—(१) जिन पेटियों में मत-पत्र हों, उन्हें सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में खोला जायगा । तत्पश्चात् दिये गये मतों की गणना शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सहायता से सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जायगी । यदि मतदाता ने अपेक्षित संख्या से अधिक मत अभिलिखित किया है तो उसका मत-पत्र अविधिमान्य घोषित किया जायगा । इस निमित्त सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा । मतों की गणना

(२) जैसे ही मतों की गणना समाप्त हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास निम्नलिखित तुरन्त भेजेगा—

(१) मुहरबन्द आवरण में मतों की गणना का विवरण-पत्र;

(२) पृथक् मुहरबन्द आवरण में प्रयुक्त मूल मत-पत्र;

(३) पृथक् मुहरबन्द आवरण में अप्रयुक्त मत-पत्र;

(४) पृथक् मुहरबन्द आवरण में, चिन्हित निर्वाचक नामावली; और

(५) मुहरबन्द आवरण में, प्रयुक्त और अप्रयुक्त मत-पत्रों का विवरण-पत्र ।

२४—(१) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा २३ के अधीन प्राप्त मतगणना के विवरण-पत्रों को समेकित करेगा और ऐसे उम्मीदवार को सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसको सबसे अधिक संख्या में मत मिले हों । परिणाम की घोषणा

(२) दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों या उनमें से ऐसे उम्मीदवारों को, जो उपस्थित होना चाहें, उपस्थिति में, पर्ची डालकर उनका विनिश्चय करेगा और उस उम्मीदवार को सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसके पक्ष में पर्ची निकले ।

परिणाम की सूचना

२५--(१) किसी निर्वाचन का परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में, जिसे विहित किया जाय, परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा ।

(२) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त सफल उम्मीदवारों को भी ऐसे निर्वाचन के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वार अलग-अलग सूचना भेजेगा ।

मतदान-पत्रों का परिरक्षण

२६--मतदान-पत्र और समस्त अन्य सम्बन्धित दस्तावेज और सामग्री पैरा २४ के अधीन परिणाम की घोषणा किये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में परिरक्षित की जायेगी ।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति

२७--मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को अपने जिले में निर्वाचन का संचालन करने के लिए आवश्यक कर्मचारिगण की नियुक्ति करने या उनमें कोई परिवर्तन करने या किसी व्यक्ति को हटाने की शक्ति होगी ।

अव्यवस्थित विषयों के लिए सभापति की शक्ति

२८--निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विषय जिसके लिये अधिनियम के अधीन कोई उपबन्ध न हो सभापति के आदेश से विनियमित किया जायगा जिसका उक्त विषय में विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

२१--(१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुये भी अधिसूचना संख्या मा०४१७०/१५-७-२(२२)-७५-उ० प्र० अधिनियम-२/१९२१-विनियम, १९७६, के साथ दिनांक ८ सितम्बर, १९७६ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित विनियमावली के साथ पठित मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (घ) के, जैसी कि वह २१ जनवरी, १९७८ के ठीक पूर्व थी, अधीन संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों के निर्वाचन को इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ पठित इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित, उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अनुसार हुआ समझा जायगा ।

(२) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पदेन सभापति के रूप में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश दिनांक २१ जनवरी, १९७८ से, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३) के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन होने तक बोर्ड और उसके सभापति और उसकी समितियों की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा ।

उ०प्र० अधिनियम संख्या २६, १९७५ की धारा २१ का संशोधन

२२--उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ की धारा २१ में, उपधारा (२) निकाल दी जायेगी ।

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ का संशोधन

२३—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ को जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ५ में उपधारा (२) में खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा। उ०प्र०अधिनियम संख्या ३४, १९७२ की धारा ५ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) निकाल दी जायेगी। धारा ६ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ९ में— धारा ९ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "परिषद् द्वारा ऐसी अवधि पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबन्धनों एवं शर्तों में यथाविधि" के स्थान पर शब्द "ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (३) में शब्द "स्थानान्तरित किया जा सकेगा" के पश्चात् शब्द "जब तक कि उप धारा (१) में निर्दिष्ट नियमों द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में परिवर्तन न कर दिया जाय" रख दिये जायेंगे।

२६—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— धारा १९ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

"१९—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये उपबन्ध बनाया जा सकता है, अर्थात्—

(क) धारा ६ के अधीन अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;

(ख) धारा ९ के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ग) परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबन्ध बनाना आवश्यक समझा जाय;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जा सकता हो।"

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

२७—(१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७७, उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश अध्यादेश, १९७७ का अध्याय पांच एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं।

अध्यादेश संख्या १७, १९७७ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९७८ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १८, १९७७

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सम्बन्धित मूल अधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड २७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

(२) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी, अध्याय दो की धारा २ और ४ को १ दिसम्बर, १९७७ से प्रवृत्त समझा जायगा, अध्याय दो के शेष उपबन्धों को २५ नवम्बर, १९७७ से प्रवृत्त समझा जायगा, और अध्याय तीन के उपबन्धों को २१ जनवरी, १९७८ से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री काली चरण--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर मिलेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२४ अप्रैल, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विधान सभा
सचिव मंत्रणा

नत्थी 'क'

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

तालिका

क्रय केन्द्रों की जांच का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं०	नाम क्रय केन्द्र	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण कर्ता	पकड़ी गई अनियमितता	कृत कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५	६
१	जाफरगंज (फैजाबाद)	३-१२-७७	जि० ग० अ० फैजाबाद	अशुद्ध कांटे का प्रयोग	(१) मिल तौल लिपिक को कार्य से हटाने के लिए आदेश दिये गये तथा समिति लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अशुद्ध कांटे का प्रयोग रोक दिया गया। शाहगंज चीनी मिल ने गन्ना निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध मु० मजिस्ट्रेट, शाहगंज के यहां मुकदमा दायर किया है।
२	अकबरपुर (फैजाबाद)	९-१२-७७	,,	,,	,, (२) मिल तौल लिपिक को हटाने के आदेश दिये गए तथा समिति लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। कांटे पर तौल करने के लिए रोक दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
३	कटेहरी (फैजाबाद)	९-१२-७७ तथा १५-१२-७७		अशुद्ध कांटे का प्रयोग	मिल तौल लिपिक को हटाने के आदेश दिए गए। समिति लिपिक पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अशुद्ध कांटे के प्रयोग पर रोक लगा दी गई।
४	महरुवा (फैजाबाद)	२०-१-७८	गन्ना निरीक्षक गोंडा	अशुद्ध कांटे का प्रयोग कर ४ कुन्टल प्रतिगाड़ी कम तौल	दोषी सभी कर्मचारियों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है। ४ कुन्टल प्रति गाड़ी की दर से १५ गाड़ियों का बढ़ोत्तरी का बिल रु० ६९० भुगतान हेतु मिल को प्रस्तुत किया गया। शाहगंज चीनी मिल ने गन्ने निरीक्षक गोण्डा के आदेश के विरुद्ध मुंसिफ मजिस्ट्रेट शाहगंज, जिला जौनपुर में मुकदमा दायर किया है।
५	पैराताजपुर (फैजाबाद)	१८-१-७८	,,	अशुद्ध कांटे के प्रयोग से वास्तविक वजन से एक प्रतिशत कम वजन प्रदर्शित किया जाना	मिल तौल लिपिक को हटाने के आदेश दिये गए। जिला अधिकारी ने ७७-७८ सीजन के लिए लाइसेन्स अस्वीकृत कर दिया। समिति लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। कांटे की अशुद्धता के कारण ७६ कु० की बढ़ोत्तरी का बिल रु० ८७४ मिल को भुगतान के लिए भेजा गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

निकाले गए समिति भोगी कर्मचारियों की तालिका

क्रम संख्या	नाम जनपद	निकाले गए कर्मचारियों की संख्या
१	देवरिया (उत्तर)	१६
२	देवरिया (दक्षिण)	१८
३	गोरखपुर	२०
४	बस्ती	११
५	फैजाबाद	१०
६	गोंडा	९
७	शाहजहांपुर	४
८	रामपुर	१
९	बिजनौर	३५
१०	बुलन्दशहर	३
	योग ..	१२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

गोविन्द बल्लभ पन्त, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म, पन्तनगर, जिला नैनीताल में दिनांक १०-६-१९७७ को सम्पन्न हुए नीलाम में खाद्य पदार्थों की बिक्री का विवरण

क्रम सं०	खाद्य पदार्थ का विवरण	मात्रा जो नीलाम में रखी गई (कुन्तल में)	बिक्री की गई मात्रा (कुन्तल में)	दर प्रति कुन्तल रु०	क्रेताओं का नाम व पता	टिप्पणी
१	गेहूं	३३५.५४	१००.००	११२.००	श्री कुलदीप कुमार, पटेल चौक, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	
२	गेहूं आर आर २१ अन्डरसाइज	६५०.००	१००.००	१०६.१०		
३	गेहूं	३३५.५४	१००.००	११२.००	श्री सुन्दर लाल, पटेल चौक, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	
४	गेहूं अन्डर साइज (सितारगंज संयुक्त उद्यम फार्म का)	७२५.००	२००.००	१०८.५०	श्री राजपाल, गुल्ली भत्ता मेडिकल स्टोर, रुद्रपुर, जिला नैनीताल।	

अनुवाद विधान सभा

५	गेहूं यू० पी० २१५	२२६.६५	१००.००	१०७.५०	श्री कैलाश चन्द्र, गांधीनगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल	
६	*गेहूं एच डी १९८२ अन्डर साइज व ओवर साइज व चिकेन फीड	७६.१०	७९.१०	१०७.२०	पुन	*७६.१० कुन्तल की कीमत निर्धारित समय पर जमा न होने के कारण निरस्त कर दिया गया ।
७	अरहर	१३.१०	१३.१०	२३०.००	श्री अशोक कुमार, हल्द्वानी मंडी, जिला नैनीताल ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २१६ पर)

जिलेवार सूचना की तालिका

क्रम सं०	नाम जिला	चलाये गये मुकदमों की कुल संख्या	वापस लिये गये मुकदमों की कुल संख्या	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिये गए	शासन के विशेष आदेशों द्वारा वापस लिए गए	न्यायालय द्वारा निर्णीत मुकदमों की कुल संख्या	दोष मुक्त की संख्या	दंडित मुकदमों की संख्या	न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की संख्या
१	२	३	४	४(क)	४(ख)	५	५-अ	५-ब	६
१	देहरादून	२४	४	४	..	२०	८	१२	..
२	सहारनपुर	१०२	१५	११	४	८७	३०	५७	..
३	मुजफ्फरनगर	१०१	२६	५	२१	७५	१९	५६	..
४	मेरठ	२६९	१८५	१८५	..	८४	६४	२०	..
५	बुलन्दशहर	१४८	५२	५१	१	८८	५७	३१	८
६	गाजियाबाद	८६	७८	..	७८	१८	६	१२	..
७	अलीगढ़	५८८	४२७	३०८	११९	९६	४२	५४	४५
८	मथुरा	२८३	१८०	१८०	..	८३	४३	४०	..
९	आगरा	६३९	५०५	५०५	..	३०	१४	१६	१०४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	मैनपुरी	६५	३६	३५	१	२९	१४	१५	..
११	एटा	१७९	६९	६९	..	११०	५२	५८	..
१२	चमोली	५	२	१	१	३	..	३	..
१३	बरेली	२३१	११८	८८	३०	११२	६०	५२	१
१४	बिजनौर	७१	१४	१४	..	५७	३	५४	..
१५	बदायूं	१२१	९९	९	..	२२	..	२२	..
१६	मुरादाबाद	२२४	१९०	७४	१०६	४४	१२	३२	..
१७	शाहजहांपुर	३९	१४	१४	..	२५	१०	१५	..
१८	पीलीभीत	१४५	४६	२३	२३	७९	२२	५७	२०
१९	रामपुर	५४	३१	३१	..	२३	४	१९	..
२०	फर्रुखाबाद	२२३	१५०	१५०	..	५४	१	५३	१९
२१	इटावा	५८	३९	३७	२	१९	१२	७	..
२२	कानपुर	३४७	२५०	२५०	..	९७	४४	५३	..
२३	फतेहपुर	२०	१६	९	७	४	४	..	..
२४	इलाहाबाद	११५	९२	६३	२९	८	६	२	१५
२५	बांदा	४५	३१	३१	..	१४	१३	१	..
२६	हमीरपुर	६१	४३	३२	११	१८	१७	१	..
२७	झांसी	४३	७	७	..	३६	११	२५	..
२८	जालौन	५९	२४	२४	..	३५	..	३५	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	४(क)	४(ख)	५	५अ	५ब	६
२९	ललितपुर	२३	३	२	१	८	८	..	१२
३०	वाराणसी	२७४	१५७	५१	१०६	१३	७	६	१०४
३१	मिर्जापुर	१२७	१०८	..	१०८	१९	८	११	..
३२	जौनपुर	५५	३९	३९	..	१६	३	१३	..
३३	गाजीपुर	१६९	९४	९४	..	७५	४०	३५	..
३४	बलिया	१२२	८६	४८	३७	३५	३३	२	१
३५	देवरिया	१८४	११०	११०	..	७४	६	६९	..
३६	गोरखपुर	३३८	२२०	..	२२०	२७	९	१८	९१
३७	बस्ती	२०१	१७४	१७४	..	२५	१४	११	२
३८	आजमगढ़	१३४	९८	५२	४६	३६	६	३०	..
३९	पिथौरागढ़	५	३	३	..	२	१	१	..
४०	नैनीताल	१३७	११	११	..	११८	(सूचना अनुपलब्ध)		८
४१	अल्मोड़ा	४४	५	..	५	३९	८	३१	..
४२	पौड़ी-गढ़वाल	११	२	..	२	९	३	६	..
४३	टिहरी-गढ़वाल	१०	२	२	..	८	७	१	..
४४	उत्तर काशी	४	१	..	१	३	१	२	..
४५	लखनऊ	३९०	१७७	१५६	२१	१६०	५६	१०४	५३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४६	उन्नाव	१९५	९५	८३	१२	९२	४४	४८	८
४७	रायबरेली	६०	४९	४९	..	११	१	१०	..
४८	सीतापुर	२९०	८३	३	..	१७२	९४	७८	३५
४९	हरदोई	६२	१६	१६	..	४६	३५	११	..
५०	खीरी	१९२	११२	११२	..	८०	३९	४१	..
५१	फैजाबाद	९१	१७	१७	..	७४	३३	४१	..
५२	गोण्डा	१५६	४६	४६	..	४१	५	३	६९
५३	बहराइच	५८	१०	..	१०	४८	१३	३५	..
५४	सुल्तानपुर	२८४	२४४	२२०	२४	४०	३६	४	..
५५	प्रतापगढ़	६७	३६	३६	..	३१	३	२८	..
५६	बाराबंकी	११०	४९	४९	..	६०	२९	३१	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा